खण्ड-256, अंक-1
सोमवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1887
(29 मार्च, 1965 ई0)

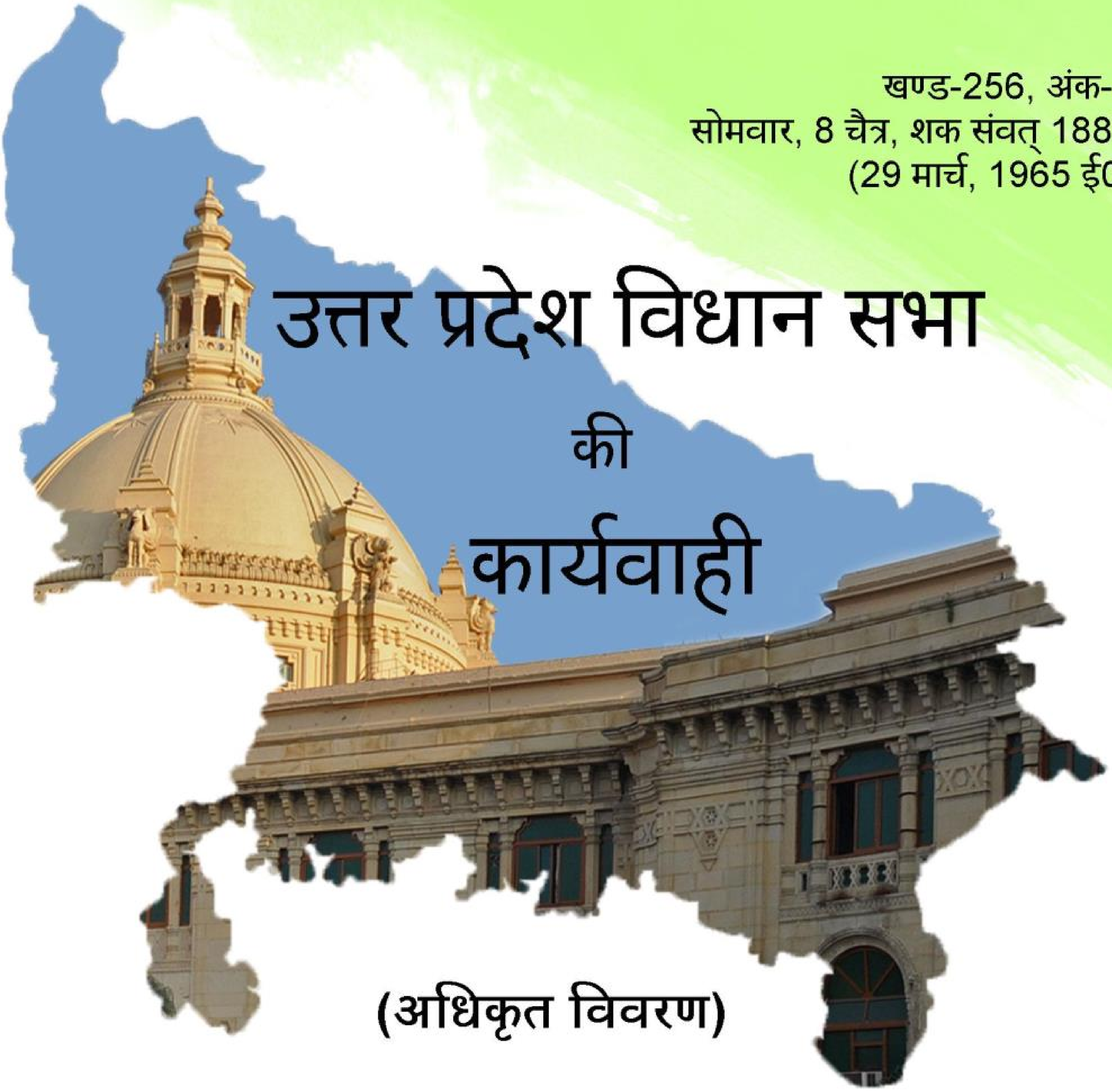

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३३
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३४
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्यकरण पर वर्ष १९५८-५९ से १९६२-६३ तक एवं वर्ष १९६३-६४ की रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	३४
शिक्षक आन्दोलन स्थगित हो जाने पर सरकार से जानकारी की मांग ..	३४–३५
लखनऊ में दूध के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	३५
प्रदेश के विभिन्न जिलों में गलत बीज बांटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३६–४०
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों आदि के लिये सदस्यों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम	४०–४१
सदन का कार्यक्रम	४१–४२
विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	४२–४३
प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपल वृष्टि के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४३–४४
१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	४४
अनुदान संख्या २४—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और .. आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४४–८५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	८५–९५

सत्थियां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

R.A. 4098

सोमवार २९ मार्च, १९६५

132744

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्ड प्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषि नारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह, यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा—कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव , श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह , श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोतम लाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
मन्ता प्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुमताज मुहम्मद, खां श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य,
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामप्रबध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपलानी, श्रीमती

सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ मार्च, १९६५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

महापालिकाओं का चुनाव

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़), श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़), श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर), श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद), श्री सत्यनारायण पांण्डेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २५ अप्रैल, १९६५ को होने वाले महापालिका के चुनावों को स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

इस मामले पर विचार हो रहा है । दुबारा विचार करने का कारण यह है कि एक स्थान पर निर्वाचक नामावली समय पर तैयार नहीं हुई है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि जब १३ मार्च को होली की छुट्टी से पहले एक सवाल के उत्तर में बताया कि २५ अप्रैल को चुनाव होंगे और इससे पहले १५ फरवरी को यह बताया, एक अल्प-सूचित प्रश्न के उत्तर में कि २५ अप्रैल को निश्चित रूप से चुनाव हो जायेंगे और अब यह तारीख भी स्थगित कर दी गई । तो क्या सरकार बतायेगी कि अब यह चुनाव कब होंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यह कहा गया था कि पूरी-पूरी कोशिश की जायगी कि चुनाव २५ अप्रैल तक पूरे हो जायं और आशा यह थी कि सब जगह पूरी कार्यवाही इसकी हो जायगी । इत्तफाक से एक कारपोरेशन के एलेक्टोरल रोल तैयार नहीं हो सके, जिसका कारण यह था कि वहां बहुत से दावे और आपत्तियां आईं, ११,००० से ऊपर कुछ शायद डिस्पोजल में भी थोड़ी-सी देर हुई । इस कारण

से जब एक कारपोरेशन मे नहीं हो सकता, बाकी कार्यवाही चल रही थी, तो २५ अप्रैल तक अब वह चुनाव नहीं हो सकते, यह तय बात है। लेकिन कब चुनाव कराये जायं, क्योंकि केवल एक कारपोरेशन के एलेक्टोरल रोल्स में जो क्लेम्स हुये हैं, उनके डिस्पोजल पर भी सोचना है। तो इसके लिये अब विचार किया जायगा। मेरे खयाल में बहुत ही जल्दी विचार होगा कि यह कितने दिनों बाद चुनाव किया जा सकता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की थी कि २५ अप्रैल तक चुनाव करा देंगे, इसके पश्चात् यह कह देना कि नामावली तय नहीं हुई है, तो आपके समक्ष घोषणा की और अब उस से वापस जा रहे हैं। तो हमारे रक्षक होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि इस तरह से गलत बयानी मंत्री जी न करें। आप व्यवस्था दें कि इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

एक तो यह होता है कि घोषणा कर दी गई कि हमने यह किया और एक घोषणा होती है कि हम करेंगे .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव अवश्य करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

भविष्य में करायेंगे, लेकिन भविष्य तो इनके हाथ में नहीं रहता। किसी और के हाथ में रहता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, उस दिन जब आखिरी दिन था तो मैंने आप से यह निवेदन किया था कि जिला बोर्डों के चुनाव किसी तरह १८ साल टले और सरकार साल में दो बार वादा करती थी, उस दिन मंत्री जी से पूछा था कि वार्डों का परिसीमन नहीं है, और वोटर लिस्ट कारपोरेशन में तैयार नहीं हुई है तो आप उसको देखते हुये बोर्डों का परिसीमन और वोटर लिस्ट तैयार करा दें, इसके बाद चुनाव करायें। तो मंत्री जी ने कहा था, नहीं हम चुनाव करायेंगे, वह सब ठीक है। अतः जब उस दिन वार्डों का परिसीमन और वोटर लिस्ट तैयार हो गई तो यह कहना कि नई वोटर लिस्ट और वार्डों का परिसीमन पुनः कराने जा रहे हैं, यह कहां तक उचित है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह बात सही है, और यह उम्मीद थी कि सब जगह पर पूरी वोटर लिस्ट तैयार हो जायगी और परिसीमन भी उनका हो जायगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक जगह ऐसा नहीं हो सका। उसका कारण यह है कि टीचर्स की स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से जिन अधिकारियों से मदद उन लोगों को लेनी थी, वह अधिकारियों को नहीं मिल सकी, कम से कम एक बात कहने के लिये उनको मिल गई जो काम नहीं कर सके। इसलिये जितनी तेजी से इस काम को पूरा करने की हम उम्मीद कर सकते थे, उतना तेजी से नहीं हुआ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे, इस मर्तबा तो उन्होंने नामावली का बहाना लेकर एलेक्शन टाल दिया, कि कहीं मई और जून में यह कहकर कि गर्मी तेज है और बरसात है, और एलेक्शन आगे तो नहीं टालेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सही बात तो यह है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप सलाह दें, इस पर अमल किया जायगा। जितनी जल्दी माननीय सदस्यों को चुनाव की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे भी उससे ज्यादा जल्दी है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुये कि जिन पर हमारा बस नहीं था और अगर किसी ने लापरवाही की है, तथा जिन अफसरों ने काम नहीं किया है उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही हो सकती है, वह की जायगी। मंत्रि-परिषद् में इस प्रश्न पर विचार करना है तथा आप लोगों से भी विचार किया जा सकता है कि यह चुनाव कब मौजूं होंगे ? अभी तो होंगे नहीं, क्योंकि गर्मी है और मई में इम्तहान चल रहे हैं तथा स्कूलो में ही पोलिंग स्टेशन होते हों, जहां अभी इम्तहान हो रहे हैं। मई में किसी तरह से कराये जा सकते हैं गर्मी वगैरह का सवाल आपके सामने होगा तो और वोट्र्स की सुविधा का भी खयाल रखना पड़ेगा। यही सब बातें विचाराधीन हैं कि क्या मई में चुनाव कराया जाय या सितम्बर, अक्तूबर में कराया जाय।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मंत्री जी ने कहा कि एक जगह को छोड़ कर सब जगह के एलेक्टोरल रोल पूरे हो गये हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक जगह को छोड़ कर बाकी स्थानों के एलेक्टोरल और परिसीमन का काम पूरा हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एलेक्टोरल सब जगह तैयार हो चुके थे, लेकिन एक जगह नहीं हुआ। परिसीमन का काम करीब-करीब २–३ जगह का खत्म हो गया है। दो जगहों का और रह गया है जो दो, तीन रोज की बात है। लेकिन असली चीज नामावली है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूची को बनाने के लिये सरकार ने कब आदेश दिया था और कब तैयार हुई तथा अधूरी क्यों तैयार हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूची तो अलग-अलग जगहों की अलग-अलग तैयार होती हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब उन्होंने १३ तारीख को चुनावों के बारे में घोषणा की थी तब उनके सामने लखनऊ के वार्डों के परिसीमन और लाखों की तादाद में आपत्तियां उनके सामने थी या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस समय तो नहीं बता सकता कि उस समय यह परिसीमन की समस्या हमारे सामने आ गयी थी या नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

लखनऊ के परिसीमन के बारे में माननीय गुप्ता जी का बयान निकला है, उसको ध्यान में रखते हुये क्या यह वार्ड्स दुबारा बनाये जा रहे हैं और यह चुनाव पोस्टपोन किये जा रहे हैं ? यह अगर सही है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में पूरी तरह से रोशनी डालने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

किसी भी नेता या सदस्य के बयान पर जो कि उसने पब्लिक में दिया हो, चुनाव टालने की बात नहीं होती। माननीय सदस्य ने गुप्ता जी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने चुनावों को

टालने की बात नहीं कही थी, उन्होंने परिसीमन की बात कही थी जिसको यह हाउस स्वयं ही सरकार को पावर देकर मंजूर कर चुका है, जिसके पास करने में हम सब लोग शामिल हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्षेत्रों का जो परिसीमन हो चुका है क्या चुनाव उन क्षेत्रों में उन्हीं के आधार पर होंगे अथवा उनमें कुछ रद्दोबदल होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

परिसीमन के माने अगर आप यह लगाते हैं कि एक सदस्यीय क्षेत्र हो, या द्वि-सदस्यीय क्षेत्र हो, तो यह चीज तो इस हाउस से तय ही हो चुकी है, इसको बदलने का काम इस सदन का ही है। दूसरा परिसीमन वार्डों को बांटने का होता है कि एक-एक सदस्य का वार्ड कितना-कितना हो, इसी पर आपत्तियां होंगी तो उसको भी तय कर दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, इसमें कई प्रश्न हैं —(१) परिसीमन, (२) इलेक्टोरल और (३) चुनाव किस तिथि को हो। तो क्या मंत्री जी इन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिये विरोधी दलों के नेताओं को बुलाकर उनकी राय मालूम करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो भी माननीय सदस्य किसी भी तरह की राय देना चाहें, दे सकते हैं, उस पर सहर्ष विचार किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वे चुनाव नहीं करा पा रहे हैं लेकिन क्या यह सही है कि मंत्रि-मंडल में आपसी फूट के कारण आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह बात तो गोपनीय है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चुनाव की तिथि घोषित करने के लिये जो गजट में प्रकाशन के लिये इलाहाबाद भेजा था, उसको स्थगित कर दिया गया है, या वह गजट में प्रकाशित हो गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वह प्रकाशित नहीं हुआ, रोक लिया गया है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

इन चुनावों को मंत्री जी १५ अक्तूबर, १९६५ से पहले करायेंगे या बाद में ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

खाद्य एवं पूर्ति विभाग में छंटनी

**२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में खाद्य एवं पूर्ति विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करने की नोटिस अभी इस मार्च में दी गई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इससे कितने कर्मचारी किस-किस वर्ग के प्रभावित हैं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

मार्च के महीने में १३५ मार्केटिंग इंस्पेक्टर, २ एकाउन्टेन्ट, ५७ क्लर्क, ११८ कामदार तथा ३५ चपरासियों के छटनी करने के आदेश हुये। अतः इनको छटनी का नोटिस दिया गया। क्योंकि मोटे अनाज की खरीद का काम खत्म हो गया है और गुड़ के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों को जो कि केवल इन कामों के लिये अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिये ही नियुक्त कर दिये गये थे, हटा दिया गया है।

**३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार ने इन छटनी शुदा कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्राथमिकता के आधार पर रिक्त स्थानों पर रख लेने का कोई आदेश दिया है? यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

कुछ महीने के लिये बिलकुल अस्थायी तौर पर लगाये हुये आदमियों को दूसरे विभागों में लगाने का प्रश्न नहीं उठता। इस विभाग में फिर आवश्यकता पड़ने पर इन हटाये हुये लोगों को प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी से माननीय मंत्री जी का क्या तात्पर्य है? क्या उन लोगों को कुछ महीनों के लिये ही एप्वाइंटमेंट आर्डर दिया गया था?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

जब कभी खरीद होती है तो उस वक्त कुछ काल के लिये या जब किसी चीज पर कोई कंट्रोल वगैरह लगाते हैं, जैसे गुड़ पर कुछ दिनों के लिये कंट्रोल लगा था, तो उस कार्य के लिये अस्थायी तरीके पर थोड़े दिनों के लिये हम कुछ आदमियों को लगा लेते हैं और फिर उनको रिट्रेंच कर देते हैं। जो सब से नीचे के होते हैं उनको पहले अलाहिदा करते हैं। फिर जब हम कभी कोई नया काम करेंगे कुछ खरीद करेंगे तो कुछ उनको ले लेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आर्डर इन कर्मचारियों को दिया गया, क्या वह उन कर्मचारियों से भिन्न दिया गया था जो कि पहले रखे गये थे? यदि हां, तो वह भिन्नता क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भिन्नता कोई नहीं है। जो सबसे बाद को लिये गये वे पहले हटेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो कर्मचारी हटाये गये हैं उनको और किसी विभाग में नौकरी न देकर उनको कुछ उद्योग धंधे देने की सरकार कृपा करेगी कि अपने सप्लाई विभाग की नौकरी के काल में जो आमदनी उन्होंने की है उससे समाज को भी कुछ लाभ हो सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरा खयाल है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये हम जरूर उनको सहूलियत देंगे। अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में वे लोन आदि के लिये अप्लाई करेंगे तो जरूर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बार तीन-तीन और चार-चार साल काम करने के बाद जो कर्मचारी निकाले गये हैं उनकी संख्या कितनी है और क्या इनकी कोई ज्येष्ठता-क्रम की सूची भी बनायी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो सबसे नीचे के हैं यानी जो हाल में लगाये गये हैं वे ही हटाये जा रहे हैं। उनमें करीब १३५ मार्केटिंग इन्सपेक्टर, २ एकाउन्टेंट, ५७ क्लर्क्स, १५८ कामदार और ३५ चपरासी हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनको इस विभाग से अलाहिदा किया जा रहा है, क्या उन्हें दूसरे विभाग में मुलाजिमत हासिल करने में प्राथमिकता भी दी जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अन्य विभाग तो सम्भवतः इनको नहीं लेंगे। लेकिन हम इनको अपने ही विभाग में जबकि गेहूं खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ले लेंगे।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन निकाले गये कर्मचारियों में कितने हरिजन कर्मचारी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी आर० एफ० सी० विभाग में कुछ मारकेटिंग इंसपेक्टर्स नियुक्त किये जा रहे हैं जब कि ये कर्मचारी निकाले गये हैं और वह विभाग भी माननीय मंत्री जी के ही अन्तर्गत है, तो क्या इन निकाले गये कर्मचारियों को जहां कहीं भी विभाग में जगहें खाली हों, चाहे वे किसी श्रेणी के हों, उनको प्राथमिकता दी जायगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मेरी सूचना है, इस वक्त कोई नयी भर्ती नहीं हो रही है। जो बाद में भर्ती हुए थे उन्हीं को निकाला जायगा। ऐसे माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसको मानने के लिये हम तैयार हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि और भी ऐसी जगहें इंसपेक्टर, क्लर्क और चपरासियों की हैं सप्लाई विभाग के मार्केटिंग सेक्शन में तो इन स्थानों की जानकारी कर के क्या इन लोगों की प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस सदन में बजट के भाषण के समय जब जनरल विवाद हो रहा था और लोगों की इच्छा थी कि कुछ अनावश्यक खर्चे कम करके बचत की जाय, हम जहां तक हो सकता है बचत कर रहे हैं, वैसे विभाग एक ही है कहीं जरूरत पड़ेगी तो अवश्य प्राथमिकता दी जायगी।

बरेली में श्री वी० आर० मेहरोत्रा, बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध स्ट्रिक्चर

**४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि क्वालिटी सेन्टर बरेली के सम्बन्ध में न्यायाधीश रिवीजन ने रिवीजन नं० २३३७, सन् १९५९ का फैसला २९ अगस्त, १९६२ को देते हुये श्री बी० आर० मेहरोत्रा, बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाते हुये उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी सजा देने की सिफारिश की है और हाईकोर्ट ने इसको कन्फर्म भी कर दिया है ? यदि हां, तो पूरा स्ट्रिक्चर क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

क्वालिटी सेन्टर बरेली के सम्बन्ध में रिवीजन नं० २३३७ सन् १९५९ का फैसला अगस्त, २९, १९६२ को देते हुए तत्कालीन न्यायाधीश '(पुनरीक्षण) उत्तर प्रदेश ने श्री वी० आर० मेहरोत्रा, बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध कुछ आलोचनात्मक वाक्य प्रयोग किए हैं जिसके एक मुख्य अंश का उद्धरण संलग्न है। इस सम्बन्ध में श्री मेहरोत्रा ने हाई कोर्ट में एक याचिका इस आशय से की थी कि उनके विरुद्ध न्यायाधीश (पुनरीक्षण) द्वारा प्रयोग किये गये आलोचनात्मक वाक्यों को उनके फैसले से हटा दिया जाय और आयुक्त बिक्री-कर और उ० प्र० सरकार को निर्देश दिया जाय कि वे उनके विरुद्ध इसके फलस्वरूप कोई कार्यवाही न करें। चूंकि श्री मेहरोत्रा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित एक प्रतिवेदन आयुक्त बिक्री-कर के समक्ष विचाराधीन था, हाई कोर्ट ने उपरोक्त याचिका को समय पूर्व करार करते हुए खारिज कर दिया। प्रतिवेदन से संबंधित मामला अभी विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६ पर)

**५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बजाय उन्हें पदोन्नति करके जज अपील्स बना दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

श्री मेहरोत्रा की सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर के पद पर पदोन्नति उनकी ज्येष्ठता तथा उनके चरित्रावली में किए गए तत्कालीन प्रविष्टियों के आधार पर की गई थी। श्री मेहरोत्रा के विरुद्ध न्यायाधीश (पुनरीक्षण) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयोग किए आलोचनात्मक वाक्य से संबंधित मामला अभी विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मेहरोत्रा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन कब आयुक्त बिक्री-कर को दिया गया था और उस मामले में कोई कार्यवाही तब से न करने का कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह प्रतिवेदन बिक्री-कर आयुक्त को १७-११-६२ को दिया गया था उसके बाद बिक्री-कर अधिकारी ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और उसके कारण कार्यवाही रुक गई और जब वह रिट खारिज हो गया तब कार्यवाही शुरू की गई।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह रिट कब खारिज हुआ और तब से इस मामले पर विचार न करने का कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

रिट का फैसला ३१-१-६४ को हुआ है और उसके बाद जब फरवरी में जजमेंट की कापी मिली तब महरोत्रा जी से स्पष्टीकरण मांगा गया और वह उन्होंने भेजा लेकिन यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि कुछ और बातों के बारे में और स्पष्टीकरण मांगा जाय और वह अभी नहीं आया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिस समय यह मामला आयुक्त के सामने विचाराधीन था, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, उस समय हाई कोर्ट में भी पेश किया था और उसकी क्या तारीख थी ?

श्री जयराम वर्मा—

३०-५-६३ को पदोन्नति हुई। उस समय हाईकोर्ट के समक्ष उनकी रिट विचाराधीन थी।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एडवोकेट (जिला बरेली)—

मान्यवर, सरकार ने इस सदन में बार बार यह आश्वासन दिया था कि जुडिशियरी जज रिवीजन के अन्तर्गत सेल्सटैक्स आफिसर होंगे और जुडिशियरी के फैसलों को मान्य माना जायगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सबसे बड़े जुडिशियल अधिकारी ने स्पष्ट फैसला दे दिया है तो वह जांच किस बात की हो रही है ? क्या हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर जांच हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

हाईकोर्ट ने कन्फर्म नहीं किया है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एडवोकेट—

जो स्ट्रिक्चर आपने अपने जवाब में दिए हैं उनसे पता चलता है कि जज रिवीजन में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि जिनसे विभाग और सरकार की बदनामी होती है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे स्ट्रिक्चर के बाद भी उनकी पदोन्नति करने की क्या आवश्यकता थी? इससे क्यों नहीं रोक सकते थे जब तक कि फैसला न हो सकता था?

श्री जयराम वर्मा—

उस समय तक उनकी चरित्रावली में जो प्रविष्टियां थीं तथा उनकी जो ज्येष्ठता थी, उसी के आधार पर फैसला किया गया था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट उत्तर देंगे की कृपा करेंगे क्वालिटी सेन्टर, बरेली ने श्री मेहरोत्रा द्वारा दैनिक प्रयोग में आने वाली चीजों को मंगाये जाने पर इन्कार कर दिया और उन्होंने ४-१-५८ को उनकी दूकान पर रेड किया जिससे सम्बन्धित विभाग और सरकार के पास शिकायतें आयीं और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं की ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन रेड अवश्य हुआ। मैं यह भी जानता हूं कि रेड के आधार पर कि जो उनके कागजात थे हमारे बिक्री-कर के अधिकारी ने उनको डिसबिलीव किया। अपील में भी जज अपील्स ने डिसबिलीव किया। जज रिवीजन ने भी उनको डिसबिलीव किया।

तारांकित प्रश्न

फसलों की बीमा योजना

*१—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कृषकों की फसलों को, जो प्राकृतिक विपत्तियों से क्षति पहुंच जाती है, उससे बचाने के लिये फसलों को प्राकृतिक विपत्तियों से क्षति का

बीमा करने की महत्वपूर्ण योजना पर अब तक क्या ध्यान नहीं दिया जब कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रदेश पंजाब में इस योजना को कार्यान्वित भी कर दिया गया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

फसलों की बीमा की योजना पर सरकार ने गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया कि वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित करना सम्भव न होगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान स्थिति यह है कि अभी ओला पड़ा, हमारी फसलें नष्ट हुई हैं ? सन् १९६२ में सूखा पड़ा था और सन् १९६३ में भी सूखा पड़ा था। हमारी फसलों को सख्त नुकसान पहुंचता रहा है। जब कि पंजाब में इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है तो मंत्री जी इसे क्यों असंभव समझते हैं और क्यों इस पर ध्यान नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण आप इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पंजाब में अभी यह बीमा योजना लागू नहीं हुई है। हमारे प्रदेश में छोटे-छोटे काश्तकार हैं ३३,४ एकड़ की जोत वाले, उनकी फसल को कौन देखेगा जो यह बता सके कि इसमें ओले से या अधिक पानी से या सूखे से इतना नुकसान हुआ है ? इसको कोई कम्पनी कर सकती है, हमारी सरकार इसको नहीं कर सकती। हमारे जो लेखपाल हैं उनके रेकार्ड्स को चैलेंस किया जायगा, रात दिन डिस्प्यूट होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में यह योजना लागू नहीं हो सकती।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारे प्रदेश के अन्दर जो तकावी रूल्स हैं ओले की क्षति के बारे में और उसमें जो छूट दिये जाने के रूल्स हैं उनके मुताबिक उनको प्लाटवाइज नहीं दी जाती है बल्कि पूरे गांव की खरीफ तथा रबी की फसल के हिसाब से दी जाती है जिसके कारण किसान को नुकसान होता है और इस कानून के रहते हुए किसान को जितनी छूट मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल पाती है, इसके लिये एक, ही आधार बीमा योजना है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी स्थिति में इस योजना को लागू करने की कृपा करेंगे ताकि किसानों को जो क्षति होती है उसकी पूर्ति हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अपनी दिक्कतें बतला दी हैं।

श्री उग्रसेन—

बलवन्त राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है कि फसलों का बीमा कराया जाय तो इस सिफारिश को क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

वही तो उन्होंने बताया है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

ओले, बाढ़ आदि से फसलों को नुकसान होता है तो उस सम्बन्ध में लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार की रिपोर्ट मांगी जाती है और उसके आधार पर छूट दी जाती है और बास

पंचट का जो नियम है उसमें भी छूट तहसीलदार की रिपोर्ट पर देते हैं तो क्या कठिनाई है इस एजेंसी को माध्यम बना कर इस योजना को लागू करने में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार कम्पनी का काम नहीं कर सकती। असल में विदेशों से खास कर अमेरिका से यह फेशनेबिल स्लोगन चला है और अमेरिका में इसका कुछ प्रयोग भी हुआ है और वहां कुछ सफलता मिली है उसी चीज को लेकर यहां भी उसे कार्यान्वित करने के लिये कहा जाता है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया हमारे यहां की परिस्थितियों में संभव नहीं है कि फसलों का बीमा किया जा सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव पर विचार करने को तैयार हैं जैसा कि उन्होंने अर्ज किया कि साहब यहां की परिस्थिति में यह संभव नहीं है कि फसलों का बीमा कराया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने भी समाजवादी देश हैं वहां पर फसलों के बीमा करने की योजना है और सरकार क्षति पूर्ति करने की जिम्मेदारी बीमा कम्पनियों को देती है और यहां पर फसलों के बीमा न कराने के जो भी कारण बताये गये हैं तो क्या सरकार कोई कमीशन नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी जो सारी चीजों को देखे। फसल खड़ी होती है तो कभी बरसात आ गई और कभी ओला पड़ गया और सरकार करोड़ों रुपये का अनुदान देती है फिर भी इन चीजों से बचाव नहीं हो पाता है तो इन सारी चीजों पर विचार कर के सरकार कोई हल निकालेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वर्तमान परिस्थिति में यह सम्भव नहीं है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन हैं उसी तरह से क्राप इंश्योरेंस कारपोरेशन बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कठिनाइयां बताई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि किन किन परिस्थितियों में फसलों का बीमा सम्भव हो सकता है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

फिलहाल नहीं हो सकता है। आइन्दा देखा जायगा।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, हम लोगों को मौका नहीं दिया गया, यह बड़ी ग़लत चीज है।

श्री अध्यक्ष—

अगर १५ आदमी एक ही सवाल दे दें तो सबको अधिकार प्रश्न करने का नहीं होता है, यह भ्रम सदन में है। यदि आप चाहें तो अथारिटी रख दूं। लेकिन मोटी बात निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि हमारे लिये वर्तमान स्थिति में ऐसी योजना लागू करना संभव नहीं है। यह उत्तर हो जाने के बाद, आप जो सवाल कर रहे हैं वे इस तरह से होने चाहिये थे कि किस तरह से यह होना सम्भव है। वैसे सवाल हुये नहीं। आपने जो सवाल किया वह भी ऐसा था जो दिक्कत को दूर करने के बारे में सुझाव नहीं था।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार ने कमेटी बिठाई थी, उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन ने भी यही सवाल पूछा था।]

गल्ले की सरकारी खरीद तथा माघ मेला में गल्ले व चीनी की दूकानें

*२—श्री कल्याणचन्द मोहले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो फसल कट चुकी है उस फल में सरकार ने गल्ला इकट्ठा करने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो फसल कटने के बाद सरकार ने कितना गल्ला किस किस्म का इकट्ठा किया तथा कितना गल्ला इकट्ठा करने की योजना थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां। बांछित सूचना इस प्रकार है।

			खरीदारी का लक्ष	खरीदारी की मात्रा २०—३—६५
			टन	टन
चावल	..	..	२,००,०००	१,०३,६४२
ज्वार	..	..	८०,०००	२७,९२८
बाजरा	..	..	८०,०००	८,४६९
मक्का	..	..	४०,०००	१९,४९८
कुल योग		..	४,००,०००	१,५९,५३७

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की माघ मेला में कितनी दूकानें सरकारी गल्ले की तथा चीनी की खोली गयीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माघ मेला में सरकारी सस्ते गल्ले तथा चीनी की १३ फुटकर दूकानें तथा आटा, मैदा और सूजी की ६ थोक दुकानें खोली गयी थीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो खरीदारी हुई, यह सीधे किसानों से हुई या व्यापारियों से हुई और किसके द्वारा हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह व्यापारियों से हुई और एजेन्टों के द्वारा हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीदारी का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के अनुसार खरीदारी क्यों नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

लक्ष्य तो हम ज्यादा से ज्यादा का रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं और जहां तक संभव हो सका, वही हमको मिल सका ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो माघ मेला में दूकानें दी गयीं, उस पर गल्ला और चीनी देने की कौन सी व्यवस्था की गयी थी ? कार्ड द्वारा या यों ही जो चाहता था वह ले जाता था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां तक संभव हो सका उतना मिल गया तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब सरकार को जिलेवार पैदावार का इल्म रहता है कि उसमें से ६० परसेन्ट की लेवी थी और ६० परसेन्ट सरकार खरीद लेगी और बाकी मार्केट के लिये रहेगा । तो ६० परसेन्ट मिलने की संभावना थी । अतः उसके अनुसार मांग रखकर लक्ष्य बनाया गया था , फिर भी क्या कारण है कि लक्ष्य पूरा नहीं हो सका ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमें मार्केट के लिये भी कुछ छोड़ना था और वह छोड़ा गया तथा ६० परसेन्ट के हिसाब से हम लेते गये, जिससे हमारा भी काम चलता रहे और मार्केट में भी अनाज आता रहे । क्योंकि हमने कोई टोटल राशनिंग नहीं कर रखी है, हम पूरा राशन नहीं देते हैं, हमारा उद्देश्य राशनिंग का यही है कि जिससे कीमत न बढ़ने पावें, वह घटें ।

श्री अध्यक्ष--

आपके प्रश्न का उत्तर यह नहीं है जो आप बता रहे हैं माननीय मायर का प्रश्न तो केवल यह है कि ६० परसेन्ट आपकी वसूली होनी चाहिये थी लक्ष्य के अनुसार वह हो गयी या नहीं हुई ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नहीं, मायर साहब तो पूछ रहे हैं कि आपने सेंट परसेन्ट वसूली क्यों नहीं की ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

नहीं नहीं, मेरा वही कहना है जो आपका (मा० अध्यक्ष) है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रश्न नियमों के संबंध में है और नियमावली के नियमों के अनुसार इस प्रकार की सूचना कोई सदस्य पूछ नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो ठीक है, प्रश्न हो गया ।

मुर्गी तथा सुअर पालने के लिये सुविधायें

*४--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में मुर्गी पालन के संबंध में नियमानुसार जो खाद्य पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं उनकी सूची क्या है तथा सरकार ने मुर्गी पालने वालों को यह पदार्थ सही दामों पर उपलब्ध कराने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

निम्नांकित खाद्य पदार्थ मुर्गी पालन के संबंध में आवश्यक समझे जाते हैं:

१—मक्का, जौ, कटापिटा गेहूं, मनुष्य अनुपयोगी खराब गल्ला आदि

२—गेहूं का चोकर, चावल के कण (राइस-पोलिश) आदि

३—मांस का चूर्ण (मीट मील)

४—हड्डी का चूर्ण (बोन मील)

५—मूंगफली की खली

६—चाक शेलग्रीट (केल्शियम)

७—नमक

८—खनिज पदार्थ मिनरल (मिक्सचर)

९—सीरा

१०—विटामिन ए, से ३ तथा बी २ तथा

११—हरी सब्जियां आदि

गांवों में प्रायः मुर्गियां खुले स्थानों में रखी जाती हैं वहां वे कूड़ा करकट से अपने भोजन को चुग लेती हैं। सामान्य तथा कुक्कुट पालक जूठन तथा अन्य उपलब्ध अनुपयोगी पदार्थ ही मुर्गियों को चुगाते हैं किन्तु ऐसे स्थानों पर जहां कुक्कुट पालन घनीकरण (डीमलिटर) प्रणाली द्वारा किया जा रहा है विभाग द्वारा सन्तुलित खाद्य की कुल मांग का कुछ अंश राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र और कुक्कुट प्रसार केन्द्रों पर तैयार करके लागत मूल्य पर विक्रय करने की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें विभिन्न सस्ते किस्म की खाद्य सामग्री व अन्य फैक्ट्री, बाई प्राडक्ट तथा घर के अनुपयोगी अन्नादि का मिश्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को विभाग द्वारा निर्धारित सूत्र (farmula) के आधार पर इस पूरक आहार को बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है जिसके फलस्वरूप कुछ संस्थाएं इस क्षेत्र में आई हैं और वह कुक्कुट पालकों को तैयार खाद्य बेच रहीं हैं।

*५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सुअर पालने तथा सुअरों का मांस डब्बा बन्द करने के लिये प्रान्त में क्या क्या सुविधायें सरकार दे रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

राज्य में सुअर विकास हेतु निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं:—

१—अभिजनन की सुविधा हेतु नर सूअर २० रु० आंशिक मूल्य पर दिया जाता है।

२—राज्य के कुछ चुने हुए सुअर विकास खन्डों में ५ रु० प्रति मास प्रति सूअर राज सहायता सूअर पोषण हेतु दी जाती है।

३—उत्तर प्रदेश के ४ पूर्वी जिलों, जैसे गाजीपुर, देवरिया आजमगढ़ और जौनपुर में सुअर पालन कार्यक्रम के घनीकरण के लिये १० रु० प्रतिमास प्रति सुअर पोषण हेतु राज सहायता दी जाती है।

४—नियोजन विभाग के अन्तर्गत ब्लाक बजट में २५० रु० तक राज सहायता के रूप में सुअर शालायें निर्माणार्थ देने का प्राविधान है।

५—ब्लाक बजट से उन्नत नस्ल के मादा सूअर क्रय हेतु १०० तक राज सहायता दी जाती है।

६—सुअर पालन हेतु ब्लाक से ऋण दिया जाता है।

७—सुअर पालकों को एक सप्ताह की वोकेशनल ट्रेनिंग पाने के लिये १५ रु० तक वृत्ति (स्टाइपेन्ड) ब्लाक बजट से दी जाती है तथा वह ट्रेनिंग सेन्ट्रल डेरी फार्म पर दी जाती है ।

८—उपरोक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त ३ तथा ९ मास की प्रशिक्षण के लिये भी उक्त फार्म पर सुविधा उपलब्ध है ।

९—हरिजन कल्याण विभाग से कुटीर उद्योग अनुदानों (Cottage Industries Grants) के अन्तर्गत सुअर पालने तथा ब्रुश बनाने के लिये व्यक्तिगत रूप से २५० रु० तथा हरिजनों की सहकारी समितियों को ३००० रु० तथा विमुक्त एवं नान शेडूल्ड ट्राइब्ज की सहकारी समितियों को ४००० रु० तक की सहायता दी जाती है।

निजी सुअर पालकों को सुअर के मांस को डिब्बो में बन्द करने की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है । हां, सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ पर स्थित बेकन फैक्टरी में सुअर के मांस को विभिन्न प्रकार से डिब्बों में बन्द करने का प्रबन्ध है जो कि बाद में बाजार में बेंचा जाता है । इस फैक्टरी के लिये सुअर गांवों से भी खरीदे जाते हैं ।

*६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सरकार जंगली सुअरों को पकड़ने तथा उनके मांस को काम में लाने के लिये क्या कार्य कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जंगली सुअरों को पकड़ने तथा उनके मांस को काम में लाने की कोई भी योजना प्रान्त में लागू नहीं है और न उसकी आवश्यकता समझी जाती है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

सरकार के द्वारा लाखों रुपया खर्च किया जाता है और उनके अधिकारी इस काम के लिये रखे हुए हैं और सरकार का आदेश भी है कि सुविधायें दी जायं, तब भी क्या सरकार इस बात को जानती है कि जितना रुपया जिलेवार खर्च किया जाता है उसको देखते हुए उसके अधिकारी उन स्थानों पर जहां मुर्गियां पाली जाती हैं उन मुर्गियों को खूराक देने के लिये और सहायता देने के लिये नहीं जाते हैं ? तो सरकार ने उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार की तरफ से आहार तैयार किया जाता है....

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि आपके अधिकारी जो आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही आपने की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आयी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

एक मुर्गी के लिये कितना खाद्य एक वर्ष के अन्दर पैदा होता है और उसका वितरण किस ढंग से किया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१९६४–६५ में ३,२७,५०० रुपये के खूराक तैयार करने का प्राविधान था और यह नो प्राफिट और नो लास पर बांटा गया ।

मुरादाबाद में सप्लाई आफिसर का स्थानान्तरण तथा खाद्य सलाहकार समिति

*७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में भू० पू० डी० एस० ओ० के तबादले के बाद डी० एस० ओ० के दफ्तर में किन किन कर्मचारियों का तबादला किया गया और क्या यह सही है कि भू० पू० डी० एस० ओ० का तबादला दफ्तर में बढ़ती हुई दिन-ब दिन भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण हुआ था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला मुरादाबाद के भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर का स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर जुलाई, १९६४ में किया गया था। इसके पश्चात् दिसम्बर, १९६४ में सामान्य आदेशों के आधार पर जिला पूर्ति कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया :

१—श्री बद्री नाथ शर्मा,
२—श्री अब्दुल गफ्फार,
३—श्री महताब हुसेन,
४—श्री अजीजुल हक,
५—श्री नसीम अहमद,
६—श्री एस० एम० रजा,
७—श्री के० एम० एल० अरोरा,
८—श्री वीरेन्द्र कुमार जैन,
९—श्री ओ० पी० अरोरा,
१०—श्री जरीफ अहमद,
११—श्री सज्जाद हुसेन,
१२—श्री जे० एस० भटनागर,
१३—श्री सुरेश चन्द्र भटनागर,
१४—श्री पी० सी० शर्मा,
१५—श्री गजेन्द्र सिंह यादव,
१६—श्री महफूज हसन खां,

*८—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद के डी० एस० ओ० के दफ्तर पर कौन-कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो आठ साल से ज्यादा से उसी दफ्तर में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला पूर्ति कार्यालय मुरादाबाद में निम्नलिखित कर्मचारी ८ साल से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं।

१—श्री	राज गोपाल गुप्ता	सीनियर इन्सपेक्टर
२—श्री	शमशेर सिंह	क्लर्क
३—श्री	श्याम लाल	क्लर्क

*९—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद जिला सलाहकार खाद्य समिति के कौन-कौन सदस्य हैं और वे किस-किस आदेश के आधार पर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

शासकीय आदेश संख्या २८३९/२९, दिनांक २६ नवम्बर, १९६३, संख्या ९१९/२९, दिनांक २६ फरवरी, १९६४, संख्या १६२५/२९, दिनांक १३ मार्च, १९६४ तथा ४८०६/२९, दिनांक १८ जुलाई, १९६४ के अनुसार जो व्यक्ति जिला खाद्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—

१—सर्वश्री दाऊदयाल खन्ना, (चिकित्सा मंत्री जिनका प्रतिनिधित्व श्री ओमकारसरन कोटिवाल करते हैं) ।
२—शराफत हुसैन एम० एल० ए०
३—जगदीशप्रसाद ,,
४—सुक्खनलाल ,,
५—नवाब महमूद हसन ,,
६—विशुनलाल ,,
७—कुंवर नरेन्द्रसिंह ,,
८—हेतराम ,,
९—हलीम उद्दीन राहत मौलाई, ,,
१०—रियासत हुसैन ,,
११—रामपालसिंह ,,
१२—राम गुलाम .. एम० एल० सी०
१३—टी० एन० सरीन .. ,,
१४—बी० पी० एस० रस्तोगी ,,
१५—छेदीलाल साथी .. ,,
१६—आचार्य जे० बी० कृपालानी एम० पी०
१७—मुजफ्फर हसन एम० पी०
१८—प्रोफेसर रामसरन, अध्यक्ष, जिला परिषद्

सरकार द्वारा मनोनीत
१९—हृदयनारायण खन्ना,
२०—जगदीशनारायण,
२१—महीलाल,
२२—आर० मित्तल,

२३—जिलाधीश, मुरादाबाद, अध्यक्ष,
२४—जिला पूर्ति अधिकारी, मुरादाबाद, पदेन मंत्री ।

श्री अध्यक्ष—

खाद्य मंत्री जी अगर आप सूची को नत्थी बना देते तो अच्छा होता । इसके अलावा जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं प्रश्न, वह स्वयं इस समिति के सदस्य हैं तो फिर वे भी यह पूछेंगे कि उस समिति के कौन-कौन सदस्य ह, गलत चीज है ।

श्री रियासत हुसैन—

यह जो १६ आदमियों की सूची दी गयी है कि उनका तबादला हो गया है तो वह एक तहसील से दूसरे तहसील में कर दिया गया है उसी जिले में तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी का तबादला एक जिले से दूसरे जिले को भी किया गया है, और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कमिश्नरों को यह आदेश दिया गया है कि वह इनका तबादला अपनी डिवीजन के अन्दर करें । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि कहां उनका किया गया है और कैसे किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो तीन आदमियों के नाम उन्होंने बतलाये हैं कि वे ८, ८ साल से वहां पर हैं तो गेंदासिंह जी की कमेटी की रिपोर्ट में जब ३ साल से अधिक का तबादला कर देने की सिफारिश है तो इनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह आर्डर कमिश्नरों को दिया हुआ है कि तीन वर्ष से ज्यादा एक जिले में कोई आदमी न रहे। बाकी के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ४ मुख्तलिफ आदेशों के अनुसार जिला खाद्य सलाहकार समिति का उन्होंने संगठन किया है तो उनमें कौन से आदेश में यह है कि किसी आदमी का प्रतिनिधित्व कोई दूसरा आदमी कर सकता है, यदि हां, तो कहां पर किन-किन को मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह गवर्नमेन्ट मेम्बरों के लिये हैं चूंकि वह हर मीटिंग में नहीं जा सकते हैं तो वे प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। यह आदेश है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार की पालिसी ३ साल में तबादला करने की निश्चित है और इसका उल्लंघन हो रहा है तो इसकी क्या वजह है कि ८,८ साल तक उनको एक ही जगह पर रखा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पालिसी के माने अनिवार्य नहीं होते हैं। उसमें यह है कि ऐसा ज्यादा से ज्यादा किया जाय। हम चाहते हैं कि ऐसा हो।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह डी० एस० ओ० मुरादाबाद जो हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत अनेक बार हुई तो वह किस प्रकार की शिकायत थी और उसकी जांच किसने की और क्या यह सही है कि वही डी० एस० ओ० इस समय झांसी में हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह आमतौर पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से तब्दील कर दिये गये।

श्री लखीसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो ८, ८ साल के लोग थे जिनको तब्दील किया गया तो क्या इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे जिनकी वजह से इनको तब्दील किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भ्रष्टाचार के आरोप में तो खत्म कर दिया जाता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला खाद्य सलाहकार समिति में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि भी ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या अब सरकार अपने नामजद सदस्यों को वापस करेगी, क्योंकि यह तो डुप्लीकेशन हो जायगा और कांग्रेस के ही मेम्बर हो जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिस समय पिछले साल सब विरोधी दलों को आमंत्रित किया गया था तो जिला स्तर पर भी हमने चाहा था कि सब पार्टी मिलकर इस समस्या को सुलझाकर हमें सहयोग प्रदान करें। यहां पर तो सब लोगों ने उसमें रहना स्वीकार नहीं किया, मगर जिलों में जिला अधिकारियों को आदेश दिया था कि स्वयं बुला लें। वह कोई कांस्टीट्यूशनल बात नहीं है, निमंत्रण था। जहां तक कम करने का सवाल आयेगा तो जिला मैजिस्ट्रेट के नामिनी पहले कम होंगे बनिस्बत गवर्नमेन्ट के।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि डी० एस० ओ के० दफ्तर में काफी गड़बड़ है तबादले के सिलसिले में, क्या मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि बाबू गेंदासिंह जी की कमेटी खासतौर से मुरादाबाद में जाय और इन सब गड़बड़ियों के बारे में स्पेशल जांच करके अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गेंदासिंह जी तो स्वतंत्र हैं, जहां चाहें जायं।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत लैन्ड पालिसी

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान सन् १९६२ से १९६४ तक ऐसे कितने केस हैं जो दफा ४ लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत थे परन्तु प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी तथा कन्ट्रोलिंग अथारिटी ने उनको कम्पाउन्ड करने के आदेश दिये और इस आधार पर किन-किन लोगों के कम्पाउन्ड नहीं किये गये और उनके नाम क्या हैं तथा न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१९६२ से ६४ तक ऐसा कोई केस नहीं है जो दफा ४ लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत था और उसको कम्पाउन्ड करने के आदेश दिए गए हों। इस आधार पर केवल एक केस श्रीमती भगवा देवी का है जो कम्पाउन्ड नहीं किया गया। उसे कम्पाउन्ड न करने का कारण यही था कि भूमि ट्रस्ट द्वारा एक्वायर की जा रही थी।

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया के लिये कोई लैन्ड पालिसी बनाई है ? यदि हां, तो उस पर अमल कहां तक हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों और अमल न होने के क्या कारण हैं ? उस पालिसी का विस्तार म्युनिसिपल क्षेत्र के अतिरिक्त बाहर तक भी लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसका नोटिफिकेशन हुआ है ? यदि हुआ, तो कब तक और क्या ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियमित क्षेत्र गाजियाबाद के लिये भूमि-नीति (लैन्ड पालिसी) बनाई है। जो भू-स्वामी इस पालिसी से लाभ उठाने के इच्छुक हों उनसे प्रार्थना-पत्र मांगे जा चुके हैं और वे प्राप्त भी हो गए हैं। आगामी कार्यवाही इसलिये स्थगित है क्योंकि भू-स्वामियों तथा उप-पट्टेदारों से कराये जाने वाले पट्टे का आलेख्य स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। इस पालिसी का विस्तार नगरपालिका की सीमा के बाहर तक भी लागू कर लिया गया है। चूंकि यह लैन्ड पालिसी किसी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बनाई गई है, इसलिये इसको गजट में नोटीफाई नहीं किया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लैन्ड पालिसी बनायी गयी है वह क्या है और क्या इस पालिसी के अन्तर्गत २३ मई, १९६२ के पूर्व जिन्होंने जमीनें ली थीं उन्हें सुविधा थी कि अपनी भूमि पर मकान बना सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लैन्ड पालिसी यह बनायी गयी कि जो लैन्ड डेवलप की गयी उसमें जो-भू स्वामी उसको लेना चाहें तो दो एकड़ तक रखा गया है कि उनको कम्पेनसेशन दिया जायगा। २ एकड़ से ऊपर और २० एकड़ से कम हो तो ४० फीसदी जमीन उनको वापस कर दी जायगी, शर्त यह रहेगी कि जो डेवलपमेन्ट के चार्जेज हैं वह वे दे दें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के। और जो २० एकड़ से ज्यादा के लोग हैं वह भी ४० फीसदी जमीन ले सकते हैं लेकिन उसके या तो चार्जेज दें या खुद डेवलपमेन्ट करें। जहां तक कि इंटरनल डेवलपमेन्ट का संबंध है और जो बाहरी एक्सटर्नल चीजें शामिल करनी हैं उनके चार्जेज देने होंगे। इस तरह से ४० फीसदी जमीन भू-स्वामियों को वापस करने के लिये रखा गया है। इसका लाभ जो उठाना चाहें वह उठा सकते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

भगवा देवी का जो यह प्लाट था उसका नक्शा वगैरह स्वीकृत हो चुका था, उसके बाद एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही है। तो क्या सरकार उन्हें अपना मकान बनाने की इजाजत देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह तो प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि भगवा देवी का खेत कम्पाउन्ड नहीं किया गया था और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा उस भूमि को एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही थी।

मत्स्य पालन

*१२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन स्थानों के तालाबों में मस्त्य पालने की नयी योजना कार्यान्वित होने वाली है और वह नयी योजना क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

प्रदेश के नैनीताल व मिर्जापुर जिलों में निम्नलिखित जलाशयों में मत्स्य पालने की एक नयी योजना राज्य आकस्मिकता निधि से १०,२०० रुपये की अग्रिम धनराशि प्राप्त कर स्वीकृत कर दी गयी है :—

(१) घोरा } .. .. .. नैनीताल।
(२) तोमरिया }
(३) जिरगा .. .. .. मिर्जापुर।

योजना का ब्योरा संलग्न 'क' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा मत्स्य पालन पर वार्षिक व्यय एवं आय क्या है ?

श्री चरणसिंह—

पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा मत्स्य पालन पर वार्षिक व्यय एवं आय के गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्नलिखत हैं:—

वर्ष		व्यय	आय
		रु०	रु०
१९६१–६२..	..	१२,३३,५५७	३,४२,३२४
१९६२–६३..	..	१३,६७,१८२	३,२०,१८५
१९६३–६४	..	१८,८५,१६७	५,३८,०००

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन

*१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कृषि विद्यालय बुलन्दशहर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का इस घोर मंहगाई के समय से चन्द माहों से हेडक्वार्टर एलाउन्स क्यों बन्द कर दिया गया है जिसके कारण उन में बहुत असन्तोष है ?

श्री चरणसिंह—

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन २२—१/२—२७ रुपये के वेतन-क्रम में मिलना चाहिये। किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों की भूल से उनको सितम्बर, १९६४ तक वेतन २७—१/२—३२ रुपये के वेतन-क्रम में मिलता था। उक्त भूल सही कर दी गयी और उनको अक्तूबर, १९६४ से २२—१/२—२७ रुपये के वेतनक्रम में वेतन दिया जा रहा है।

*१५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार उन को यह अलाउन्स दुबारा फिर से शीघ्र से शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

उनको सही वेतन दिया जा रहा है और किसी प्रकार का भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद में मकानों के नक्शे

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्ट्रोलिंग अथारिटी रेगुलेटेड एरिया गाजियाबाद ने ९–१० अगस्त, १९६२ की मीटिंग में निजी भवन निर्माणार्थ नक्शे स्वीकार करने की नीति के अन्तर्गत यह तय किया था कि निजी भवन निर्माण के नक्शे उन व्यक्तियों के स्वीकार हेतु विचार किये जायेंगे जिन्होंने अपनी भूमि २३ मई, १९६२ से पहले खरीद की थी ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और उसके बाद १९६२, १९६३, १९६४ में ऐसे कितने

नक्शे अधिकृत अधिकारी ने स्वीकार किये हैं ? क्या सरकार दिनांक १६ सितम्बर, १९६२ की मीटिंग सम्बन्धित स्वीकृत कार्यवाही तथा उसकी पुष्टि दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही सदन की मेज पर रखेगी और यह बतायेगी कि उसे कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। कन्ट्रोलिंग अथारिटी रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद ने अपनी ९ व १० अगस्त की मीटिंग में नियत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एक नोट पर विचार किया और यह प्रस्ताव पास किया कि निजी भवन निर्माण के नक्शे उन व्यक्तियों के स्वीकार हेतु विचार किये जायं जिन्होंने अपनी भूमि २३ मई, १९६२ से पहले खरीद की थी।

यह बताना सम्भव नहीं है कि १९६२, १९६३ व १९६४ में ऐसे कितने नक्शे अधिकृत अधिकारी ने स्वीकार किये क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के कार्यालय में ऐसा कोई भी रिकार्ड नहीं है जिस से यह पता लगाया जा सके कि नक्शे देने वाले भूमि के मालिक ने भूमि कब खरीदी थी।

१६–९–१९६२ तथा २०–१०–१९६२ की मीटिंगों की कार्यवाही सदस्य महोदय कृपया मेरे कमरे में देख सकते हैं। उक्त मीटिंग में जो निदेश कन्ट्रोलिंग अथारिटी ने दिये थे उनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

वन विभाग में हिन्दी आशुलिपिकों की नियुक्ति

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग के अन्तर्गत नवीन आशुलिपिकों के स्वीकृत ४८ स्थानों में कुल कितने हिन्दी भाषा के आशुलिपिकों को नियुक्त किया गया है ? यदि हिन्दी भाषा के आशुलिपिक की नियुक्ति नहीं की है, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

वन विभाग के अन्तर्गत नवीन आशुलिपिकों के स्वीकृत ४८ स्थानों में से केवल ३ हिन्दी भाषा के आशुलिपिकों की नियुक्ति की गयी है। सेवा योजन-कार्यालयों से उपयुक्त हिन्दी भाषा के आशुलिपिक उपलब्ध न होने के कारण अभी पूरे आशुलिपिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

श्री ब्रह्मसिंह, उपनिदेशक की सम्पत्ति

*१८—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री ब्रह्मसिंह के पास सरकारी सेवा में आने से पूर्व कितनी सम्पत्ति थी और आज जबकि वह एक डिवीजन के उपनिदेशक हैं कितनी सम्पत्ति है ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण आदरणीय सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

श्री ब्रह्मसिंह ने सरकारी सेवा सन् १९३९ से आरम्भ की। उनकी सम्पत्ति का विवरण सन् १९३९ के पूर्व तथा पश्चात् निम्नलिखित है:—

सन् १९३९ के पूर्व—

लगभग १८ एकड़ भूमि तथा एक साधारण मकान पूरे संयुक्त परिवार में।

सन् १९३९ के पश्चात्—

उक्त सम्पत्ति के अतिरिक्त :—

(१) एक पुरानी मोटर कार,

(२) १४ बिस्वा भूमि, ग्राम सूजड़ू, जिला मुजफ्फरनगर सितम्बर, १९६२ में क्रय किया।

(३) ९०० वर्ग गज भूमि प्रभात नगर के पास जिला मेरठ मार्च १९६३ में क्रय किया।

(४) ५०० वर्ग गज भूमि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला मेरठ में।

*१९—श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि श्री ब्रह्मसिंह, उपनिदेशक ने मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा देहरादून में कितनी-कितनी कीमत के तथा अपने अथवा अपने परिवार के नाम प्लाट्स खरीदे हैं और उन के ऊपर मकानात भी बन रहे हैं? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनके नाम अब तक कितने सीमेंट के परमिट कटे हैं?

श्री चरणसिंह—

श्री ब्रह्मसिंह ने देहरादून में अपने अथवा अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भी प्लाट नहीं खरीदा है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में खरीदे हुये प्लाटों का विवरण निम्नलिखित है :—

(१) ग्राम सूजड़ू, जिला मुजफ्फरनगर, में १४ बिस्वा भूमि लगभग २,५०० रुपये में अपनी धर्मपत्नी के नाम।

(२) प्रभात नगर के समीप, जिला मेरठ में ९०० वर्ग गज भूमि अपने नाम जिस पर मकान बनाने के लिए सरकार से १९,२०० रुपया ऋण लिया।

(३) गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला मेरठ में ५०० वर्ग गज भूमि ९,००० रुपये में, अपने नाम। यह प्लाट छमाही किस्तों पर लिया है और अभी तक केवल २,००० रुपये ही दे सके हैं। इस प्लाट का अभी तक न तो इन के नाम हस्तांतरण हुआ है और न उन्हें उस पर कब्जा ही मिला है।

प्रभात नगर वाले प्लाट पर नवम्बर, १९६३ से मकान निर्माण आरम्भ करा दिया है। उन के नाम अब तक कुल ७० कट्टे का परमिट, जिला पूर्ति अधिकारी मेरठ के कार्यालय से मिला है।

*२०—श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्होंने अपने मकानात बनाने में विभागीय ओवरसियर, इन्जीनियर आदि का सहयोग लिया है और बराबर उससे काम ले रहे हैं, क्या यह भी मालूम है कि उन्होंने सरकारी खाद का प्रयोग अपने फार्म पर किया है, क्या सरकार इन सारी बातों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—

विभागीय ओवरसियर तथा इन्जीनियर आदि का कोई भी सहयोग श्री सिंह ने अपने मकान बनाने के कार्य में न तो लिया है और न ले रहे हैं। उनका अपना अलग कोई फार्म नहीं है उनके चाचा तथा भतीजे गांव में खेती कराते हैं। उनके चाचा और भतीजे अन्य कृषकों की भांति तकावी पर अथवा खरीदकर सरकारी खाद का प्रयोग करते हैं।

भट्टा गांव तथा खरकपट्टी को झांसी की भांति राशन न मिलना

*२१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी के शहरी मुहल्लों में मुहल्ला तालपुरा में ही खरक पट्टी व भट्टा गांव नगरपालिका की वोटर लिस्ट में व अन्य सरकारी कागजात में सम्मिलित होने के उपरान्त भी शहरी क्षेत्र की भांति सस्ते गल्ले की सुविधा नहीं दी जा रही है जिसके कारण वहां के नागरिकों में बहुत असन्तोष और भुखमरी के लक्षण हैं? यदि हां, तो शहर की भांति राशन न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भट्टा गांव तथा खरकपट्टी नगर पालिका क्षेत्र के बाहर हैं। अतः शहर की भांति राशन देने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उत्तर खरकपट्टी और भट्टा गांव की जनता को पिछली बार जब-जब भी राशनिंग हुआ उन्हें शहर की ही भांति राशन कार्ड बनाकर राशन की सुविधा प्रदान की गयी थी? यदि हां, तो इस समय अनेक प्रार्थना-पत्रों के पश्चात् भी राशन की सुविधा न दिये जाने के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। इस सम्बन्ध में जिला खाद्य सलाहकार समिति सक्षम है। सरकार उनके निश्चय को ही साधारणतः स्वीकार कर लेती है।

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय के बहाल कर्मचारी

*२३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारागार महानिरीक्षक कार्यालय में १९५८ से आज तक कितने कर्मचारी नौकरियों से पृथक किये गये और उन में सरकार ने कितनों को बहाल किया और सरकार को कितना-कितना रुपया प्रत्येक को देना पड़ा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

६ कर्मचारियों को नौकरी से पृथक किया गया। उनमें से २ को बाद में बहाल किया गया। एक को ९,२४१ रुपये ६१ पैसे और दूसरे को ३,२१६ रुपये ८७ पैसे दिये गये।

*२४—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार ने वित्त विभाग के आदेश के अनुसार उस अधिकारी से जिसने गलत आदेश दे कर निकाला था उससे यह रुपया वसूल किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं।

लक्ष्मीताल झांसी में जलमुखी

*२५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे कि झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मीताल में जलमुखी को दूर करने के लिए जनहित में झांसी नगरपालिका द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

लक्ष्मीताल में वर्षों से जलमुखी फैली है। स्थानीय नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी का कथन है कि जलमुखी जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से समस्या नहीं है। इसके विपरीत जलमुखी तालाब में मच्छरों के उत्पादन को रोकती है। इस जलमुखी को समय-समय पर विकास विभाग और नगरपालिका द्वारा हटाया गया। उसको समूल नष्ट करने के लिए नगरपालिका ने ठेका भी दिया परन्तु कोई ठेकेदार कार्य करने को तैयार नहीं हुआ। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि उक्त तालाब कुछ लोगों की निजी सम्पत्ति है और नगरपालिका का उस पर अधिकार नहीं है। अब नगरपालिका ने प्लान्ट प्रोटेक्शन अधिकारी झांसी से परामर्श करके यह तय किया है कि जलमुखी को रासायनिक पदार्थ द्वारा समूल नष्ट किया जाय। रासायनिक पदार्थ मंगाने के लिए बोर्ड प्रयत्नशील है और इस मद में १,५०० रुपये का बजट में प्राविधान करने का मामला बोर्ड के सामने प्रस्तुत है।

झांसी क्षेत्र में पेय जल योजना

*२६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया तालबेहट, तहसील ललितपुर तथा टाउन एरिया महरोनी, तहसील महरौनी और विकास क्षेत्र वार, महरोनी, भंडावरा, तहसील महरोनी तथा विकास क्षेत्र तालबेहट, जखौरा, बिरघा, तहसील ललितपुर के किन-किन ग्रामों के लिए पानी पीने के लिए जलकल योजना बनायी गयी है और वह कब तक पूरी होगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इन क्षेत्रों में से महरोनी भंडावरा क्षेत्र की पेयजल योजना बन चुकी है। इस में टाउन एरिया कमेटी महरोनी भी सम्मिलित है। इस योजना में ४५ ग्राम हैं। ग्रामों की सूची नत्थी 'क' में है। इस योजना का पूर्ण होना जामिनी बांध के, जिस पर कार्य हो रहा है सम्पूर्ण होने पर निर्भर है। आशा है इस योजना के प्रथम भाग पर २ १/२ वर्ष में कार्य पूरा होगा।

टाउन एरिया कमेटी तालबेहट की योजना के लिए सर्वेक्षण होने वाला है। सर्वेक्षण हो जाने पर योजना बनायी जायगी। यह योजना कब पूरी होगी, यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

शेष क्षेत्रों की पेय जल योजनायें बनाने के कार्य का सर्वेक्षण प्रारम्भ हो गया है। योजना बन जाने पर ही यह बताना सम्भव होगा कि उस में कौन-कौन से गांव सम्मिलित होंगे तथा उन योजनाओं का कार्यान्वियन कब समाप्त होगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८ पर)

*२७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बबीना तथा बबीना-झांसी जलपूर्ति योजना जो पूरी होने को है, उस के द्वारा झांसीबबीना के अतिरिक्त रास्ते के और किन-किन ग्रामों को पीने का जल देने की योजना है और कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माताटीला से बबीना तक तथा बबीना से झांसी तक उन ग्रामों की सूची जो योजना में सम्मिलित हैं नत्थी 'ख' में है। इन ग्रामों को पानी पहुंचाने की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९९ पर)

*२८-२९--श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)--

[सातवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

वाराणसी तहसील में पिंडरा व बड़ागांव को टाउन एरिया बनाने की सिफारिश

*३०—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगरमहापालिका द्वारा कितने नक्शे मकान बनाने हेतु सन् १९६४ में टाउन प्लानर, लखनऊ के पास भेजे उन में कितने का अप्रूवल करके भेजा गया और कितने अब तक बिला अप्रूवल के रह गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६४ में वाराणसी नगर महापालिका द्वारा कोई भी नक्शा मकान बनाने हेतु टाउन प्लानर, लखनऊ के पास नहीं भेजा गया।

*३१—श्री झिलमिटराम, श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा पिंडरा जिसकी आबादी ८ हजार के करीब है तथा बड़ा गांव जिसकी ९ हजार के करीब है और जो परगना कोल असला, जिला व तहसील वाराणसी में है उन्हें सरकार नोटीफाइड एरिया बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचारार्थ अभी तक आया ही नहीं है।

*३२–३४—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

[सातवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

पकड़े गये गल्ले का वितरण

*३५—सर्वश्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच), मुमताज मुहम्मद खां तथा अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगभग दो लाख मन अनाज जो गल्ले के व्यापारियों से सितम्बर, १९६४ में प्रदेश में सरकार द्वारा पकड़ा गया था क्या उसका वितरण राशन की दूकानों द्वारा कर दिया गया है, या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि अनाज का इतना अभाव है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पकड़े गये गल्ले का वितरण अदालत के आज्ञानुसार किया गया है। अतएव जितने गल्ले के बारे में अदालत ने राशन की दूकानों द्वारा वितरित करने के आदेश दिये उतना गल्ला राशन की दूकानों द्वारा वितरित किया गया।

बराबंकी जिले में शकर वितरण

*३६—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद का शकर का मासिक कोटा क्या है और १९६४ वर्ष में प्रतिमास उसको कितनी-कितनी शकर प्राप्त हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बाराबंकी का वर्तमान चीनी का मासिक कोटा २७६ मी० टन है। वर्ष १९६४ में प्रति मास प्राप्त शकर की सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०० पर)

*३७—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त जनपद में शकर के कौन-कौन थोक व्यापारी हैं और १९६४ वर्ष में उनको कितनी-कितनी शकर का कोटा दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न सूची २ में दी है ।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १०० पर)

*३८-३९—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

[सातवें सोमवार के लिए स्थगित किए गए।]

आगरा में मैदा वितरण की जांच

*४०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में दीवाली के अवसर पर २५० बोरी मैदा का परमिट हलवाइयों को बांटने के लिए हलवाइयान पंचायत के प्रधान को दिया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

*४१—श्री बालोजी अग्रवाल—

यदि हां, तो क्या यह सच है कि हलवाइयों को मैदा की बोरी ४९ रुपये ९० पैसे के स्थान पर ५६ रुपये ५० पैसे में दी गई और ७ रुपये ६० पैसे का ब्लैक किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मामले की जांच की जा रही है ।

भट्ठा लगाने के नियम

*४२—श्री महरारसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि जिनके कारण ईंट के भट्ठे को वहां नहीं लगाया जा सकता है जहां से ५ मील से कम दूर पर भट्ठा तथा १ मील से कम दूर पर गांव और बाग हो ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । बल्कि आदेश यह है कि जिस स्थान पर भट्ठा लगाया जाय वह ग्राम के बाग से एक मील तथा आबादी से २ फर्लांग की दूरी पर हो ।

*४३—श्री महरारसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या खाद्य मंत्री जी को जानकारी है कि उपरोक्त आदेश के कारण उन जिलों तथा क्षेत्रों में एक भी भट्ठा न लग सकेगा जिनमें घनी आबादी और कुछ बागात भी हैं, लेकिन ईंट की बहुत बड़ी कमी है ? यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों से इस प्रतिबंध को हटाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

*४४—श्री महरामसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या खाद्य मंत्री को पता है कि अधिकांश विकास कार्यों को ईंट उपलब्ध होने पर पूरा किया जा सकता है और ईंट की कमी होने पर काम बिलकुल रुक जाता है, अतः क्या सरकार विकास कार्यों में प्रगति लाने की दृष्टि से ईंट बनाने में बाधक नियमों को सरल बनाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सही है कि विकास कार्यों की प्रगति के लिए प्रचुर मात्रा में ईंटों की उपलब्धता आवश्यक है। इन कार्यों के लिए जनता को ईंट प्रचुर मात्रा में मिल सकें सरकार ने ऐसे आदेश दे दिये हैं कि भट्ठे के लाइसेंस उदारतापूर्वक दिये जायं ताकि अधिक से अधिक ईंटें उपलब्ध हो सकें।

अमरोहा के हरिजनों का वृक्ष रोपित भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र

*४५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि तहसील अमरोहा में शहर के निकट रानी की भूड़ जो ८०० एकड़ है उसमें कितने एकड़ में सरकार ने वन लगाया है ?

श्री चरणसिंह—

तहसील अमरोहा में शहर के निकट रानी की भूड़ (मुहम्मदपुर जैती ब्लाक) में जो भूमि वन विभाग के पास है उसका वास्तविक क्षेत्रफल १४२.१५ एकड़ है न कि ८०० एकड़। इस पूरे १४२.१५ एकड़ के क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा चुका है।

*४६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या उन्हें इस संबंध में ग्राम पट्टी के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि इस भूड़ को जिसमें वन उजड़ता जा रहा है, हरिजनों में बांट दी जाय ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

अमरोहा के हरिजनों का एक प्रार्थना-पत्र उपरोक्त समस्त रोपित भूमि को उनमें विभाजन करने हेतु प्राप्त हुआ था। चूंकि वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र के वृक्षारोपण में काफी धन व्यय किया गया है और वृक्षारोपण अच्छी दशा में है अतएव प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया था और प्रार्थियों को सूचित कर दिया गया था

गोरखपुर तथा बस्ती में गृह निर्माणार्थ ऋण

*४७—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती शहर और गोरखपुर शहर में हाउसिंग स्कीम में कितने लोगों को ऋण दिया गया है उसमें से कितने लोगों ने ऋण का दुरुपयोग किया और मकान निर्माण में नहीं लगाया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बस्ती तथा गोरखपुर शहर में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ द्वारा अल्प आय तथा मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत कुल १८० व्यक्तिओं को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ऋण के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

बरेली नगरपालिका की जमीन से श्री प्रकाशचन्द्र की बेदखली

*४८—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि बरेली म्युनिसिपम बोर्ड की जमीनों पर श्री भुवनचन्द्र आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वास्तव में श्री भुवनचन्द्र, आनरेरी मैजिस्ट्रेट के वयस्क पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र ने कई अन्य लोगों के साथ नगरपालिका बरेली की जमीन को अपने नाम बतौर मौरूसी काश्तकार खतौनी के श्रेणी ८ में दर्ज करा लिया था ।

*४९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या यह सही है कि उपरोक्त आनरेरी मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध यह फैसला जिलाधीश का है कि उनका यह कब्जा अवैधानिक है ? यदि हां, तो सरकार उन जमीनों को वापस करने के लिए क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्री भुवनचन्द्र, आनरेरी मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई फैसला नहीं दिया गया क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है नगरपालिका की जमीन पर श्री भुवनचन्द्र ने नहीं बल्कि उनके वयस्क पुत्र ने अवैध कब्जा किया था । यह सच है कि एस० डी० ओ०, बरेली ने २५ जनवरी, १९६५ को फैसला दिया जिसके द्वारा श्री भुवनचन्द्र, आनरेरी मैजिस्ट्रेट के वयस्क पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र को बेदखल किया गया और जमीन पर नगरपालिका का कब्जा करा दिया गया ।

कृषि बीज भंडार, झांसी की जांच

*५०—श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या सरकार का ध्यान झांसी शहर के किसी विभाग के उस बीज गोदाम के संबंध में आकर्षित किया गया है कि उसमें गत लगभग दस वर्षों से वहां हजार रुपये के बीच का गोलमाल है और उसके इंचार्ज बहुत अर्से से मेडिकल छुट्टी पर हैं ?

श्री चरणसिंह—

कृषि बीज भंडार, झांसी शहर के लेखा में बहुत-सी अनियमिततायें पायी गई हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

इस बीज भंडार के तत्कालीन इंचार्ज का स्थानान्तरण हो गया है । आजकल जो इंचार्ज कार्य कर रहे हैं वे छुट्टी पर नहीं हैं ।

*५१—श्री कृष्णचन्द —

क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच-पड़ताल कराई है ? यदि हां, तो वह अभी तक किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—

स्थानीय अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच की गई जिससे बीज के वितरण के संबंध में गोलमाल का पता चला । इस मामले में जांच अभी जारी है ।

*५२—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

9098
132744

बदायूं जिले में टीन का वितरण

*५३—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में अक्तूबर, १९६४ में जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा किन-किन सार्वजनिक संस्थाओं को भवन-निर्माण हेतु कितनी-कितनी टीन का परमिट दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है—

(१)	ग्राम सभा दहगवां	१५ शीट
(२)	टाउन एरिया, दातागंज	८ शीट
(३)	रोटेरी क्लब, बदायूं	१ टन
(४)	रामायण प्रचार समिति, सत संग भवन, बदायूं ..	७ शीट
(५)	सर्व हितकारी गोशाला, बिलसी	१ टन
(६)	असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी	४ टन
(८)	प्रमोद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहसवान ..	२० शीट

*५४—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रश्न (१) के उत्तर में जिन-जिन संस्थाओं को जिस कार्य के लिए टीन दी गई वह कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनसे टीन वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी जांच हो रही है कि टीन का सही प्रयोग हुआ है कि नहीं ।

बदायूं जिले में भट्ठा मालिक पर मुकदमा

*५५—श्री उल्फतसिंह यादव—

१६ मार्च, १९६४ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ३३ के उत्तर से संबंधित क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुकदमें का फैसला जिला जजी द्वारा सरकार के विरुद्ध हुआ था, तो क्या सरकार द्वारा उसकी अपील उच्च न्यायालय में की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अपील दायर करने की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जा सकी ।

*५६–५७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[सातवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८३९/१(क)–२१००–५९, दिनांक १६ फरवरी, १९६५ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्यकरण पर वर्ष १९५८–५९ से १९६२–६३ तक एवं वर्ष १९६३–६४ की रिपोर्ट*

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्यकरण पर वर्ष १९५८–५९ से १९६२–६३ तक एवं वर्ष १९६३–६४ की रिपोर्टों को, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

शिक्षक आन्दोलन स्थगित हो जाने पर सरकार से जानकारी की मांग

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, सरकार के परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण अध्यापकों ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है । सदन के सामने कई बार यह बात भी आई कि परीक्षाओं में बड़ी अव्यवस्था चल रही है । तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे समय में जबकि शिक्षकों का आन्दोलन स्थगित हो चुका है, क्या सरकार यह घोषणा करेगी कि अब परीक्षण और निरीक्षण आदि का कार्य अध्यापकों को ही दे दिया जायेगा और उनके प्रति मैनेजमेंट आदि का जो खराब रवैया रहा तथा जो उनकी प्रतिशोधात्मक भावना रही है जिसके कारण अध्यापकों को चिन्ता है, वह सब अब समाप्त हो जायेगी और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी । मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट कोई घोषणा कर दे ताकि यह काण्ड यहीं समाप्त हो जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह तो अध्यापकों और सरकार के बीच का मामला है, सरकार की राय से वह स्थगित हुआ, यह हम लोगों की मर्यादा के विपरीत है कि हम उस बीच में पड़ें । इसको सरकार और अध्यापक जानें ।

श्री अध्यक्ष—

सरकार की तरफ से माननीय शिक्षा मन्त्री तो यहां हैं नहीं । इस वजह से उस प्रश्न को इस समय तो उठाना मुश्किल है । कोई और तरीका अख्तियार किया जाय इसके लिए ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपनेता सदन तो हैं, वे बता दें (व्यवधान) ।

---

†छापे नहीं गये ।

*छापी नहीं गयी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हम लोगों से उससे क्या वास्ता, हम तो, अगर वे लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर लड़वायेंगे। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

वह लड़ेंगे, आप लड़वायेंगे यह यहां ठीक बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—

अगर विरोधी पक्ष फिर लड़ेगा, तो हम फिर लड़वायेंगे (व्यवधान)।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब तक अध्यापकों की जायज मांग रहेगी हम जरूर उनका समर्थन करेंगे।

लखनऊ में दूध के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना स्वीकार की है, वह मैं पढ़े देता हूं कि "प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजकल दूध का अकाल सा पड़ गया है। बच्चों तथा मरीजों को भी दूध उपलब्ध नहीं होता....। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी कब बयान देंगे?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारे यहां तो रोटी का अकाल है। हमारे यहां तो रोटी ही नहीं मिलती है।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

श्रीमन, इस सम्बन्ध में चार दिन के बाद बयान देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन, चन्द्रबलीसिंह आदि का प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत यद्यपि स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन मन्त्री जी के पास कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं और जो अन्य...

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, रोटी के अकाल की बात नहीं की। यह बात महत्वपूर्ण है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, पंजाब के ७२ पुलिस के आदमी उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस आये हैं....

श्री अध्यक्ष—

ये सब बातें यदि आपकी इच्छा हो तो पांच बजे आ जाया करें तो सुन लिया करूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक बहुत मामूली जानकारी चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जाइये।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में गलत बीज बांटे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं कि गेहूं की फसल में एक प्रकार का रोग पाया गया है जिसमें गेहूं की कुछ बालियों में कुछ दाने काले पड़ गये हैं। यह रोग उन खेतों में पाये जाने की शिकायत है जिसमें पंजाब से आया हुआ गेहूं बोया गया था।

कृषि निदेशालय में इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन जिलाधीश, सीतापुर से दिनांक २० मार्च, १९६५ को प्राप्त हुआ था। इसे प्राप्त होते ही निदेशालय से दिनांक २१ मार्च, १९६४ को एक राजपत्रित अधिकारी उक्त जिले में जांच के लिए भेजे गये। बहराइच जिले से भी इसी आशय की सूचना दिनांक २४ मार्च, को प्राप्त हुई है। अन्य किसी जिले से कोई शिकायत नहीं मिली है परन्तु माननीय सदस्यों से प्राप्त सूचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि गोंडा, खीरी लखीमपुर, मुरादाबाद, बस्ती एवं बाराबंकी जिलों में भी गेहूं के खेतों में यह रोग पाया गया है। उक्त जिलों के जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे अपने जिले में तत्काल सर्वेक्षण कराकर शासन को सूचित करें कि उक्त रोग से ग्रसित गेहूं की फसल का क्षेत्रफल, हानि की मात्रा तथा प्रभावित किसानों की संख्या क्या है? इन जिलाधीशों से कह दिया गया है कि जांच के दौरान में सवाई की वसूली स्थगित रक्खें। इसके अतिरिक्त अन्य जिलाधीशों को भी कहा गया है कि यदि उन के यहां भी इसकी शिकायत हो तो शासन को तत्काल सूचित करें। अभी तक जिलाधीशों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्यालय अधिकारी द्वारा सीतापुर में सैम्पुल सर्वेक्षण तथा बहराइच में जिला नियोजन अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं:—

(१) इस बीमारी का फैलाव रोगग्रस्त बीज (जिसे 'मेमनी' या सेहूं या गेंगला कहते हैं) द्वारा होता है। चूंकि मेमनी साधारण स्वस्थ बीजों से बहुत हल्की होती है और गेहूं साफ करते समय हवा में अधिकांश उड़ जाती है, यह बीमारी फैलने नहीं पाती। बीज तथा पौधे की प्रारम्भिक अवस्था में इस रोग की पहिचान नहीं हो सकती। जब बालें निकलती हैं और दाने पड़ते हैं तब बाली से दाना निकालने पर ही इसकी पहचान हो सकती है। इसलिए वितरण के समय किसानों को इसकी सूचना देना असम्भव था।

(२) रोगग्रस्त खेतों में जांच से पता चला है कि बीमारी का प्रकोप ०.१ प्रतिशत से २.०० प्रतिशत तक है जो कि नगण्य ही कहा जावेगा।

(३) पंजाब से प्राप्त गेहूं की फसलों में भी यह शिकायत केवल ६—७ जिलों से ही प्राप्त हुई है जब कि पंजाब का गेहूं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बोया गया है। शिकायत वाले जिलों में भी जहां जांच हो सकी है रोग केवल कुछ ब्लाकों के कुछ गांवों में व इन कुछ गांवों के भी केवल कुछ ही खेतों में है। इन कुछ खेतों के भी कुछ पौधों की कुछ बालियों में पाया गया है।

(४) डा० रघुबीर सहाय माथुर, प्लान्ट पैथालोजिस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वयं इन काले दानों के विषैले स्वभाव की जांच करने के लिए २४ मार्च को सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीटयूट गये और वहां डा० भट्टाचार्य फार्मोकालोजिस्ट के साथ परीक्षण किया। १०० मिलीग्राम दाने पीसकर चूहों के पेट में पहुंचाये गये। परन्तु अभी तक चूहे जीवित हैं जिस से यह सिद्ध है कि मेमनी रोग के काले दाने तथा भूसा विषैले नहीं होते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के बारे में भी वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इधर तो सुन लीजिये जो कुछ है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी यह आदेश देंगे कि जिन्होंने ऐसा बीज बोया है उनका सब का सब साफ किया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिलाधीशों की रिपोर्ट आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में यह रोग नहीं था और पंजाब के बीज के साथ ही यह रोग हमारे प्रदेश में आया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यहां के बीज में भी यह रोग लगता था।

श्री उग्रसेन—

क्या मन्त्रीजी देवरिया और गोरखपुर के जिलाधीशों से भी रपट लेंगे कि वहां भी ऐसी बात हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है सब जिलाधीशों से।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बीज को किसानों को देने से पहले कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने जांच की थी, चूंकि इस बार मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि पूरी जांच के बाद यह बीज दिया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस रोग का पता बालियां निकलने पर और मड़ाई होने पर हो सकता है। यह मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है क्या उन्हें मुआविजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब हो चुका है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस विष को रोकने के लिए गेहूं को पहले उपचार दिया जाता है, वह हुआ था या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिस समय यह बीज सरकार ने पंजाब से मंगाया उस समय एक ही सवाल उसके सामने था कि सब किसानों को बीज पहुंच जाय। इतना समय नहीं था कि हर दाने को देखा जाता कि यह ठीक है या नहीं। सरकार को सूचना है कि इसका जरमिनेशन भी अच्छा हुआ है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि यह गेहूं खत्तियों का होने के कारण खराब और पुराना हो गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सूचना नहीं है कि खत्तियों में था या बोरियों में।

श्री नरसिंहनारायणपांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि जिस जमीन पर यह बीज बोया गया वह पंजाब से दूसरी तरह की जमीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इतने अल्प समय में इन सब बातों की जांच करना सम्भव नहीं था।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को जानकारी है कि पिछड़े जिलों में यह बीज बोने से अच्छी फसल हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जहां यह बीज दिया गया वहां अच्छी फसल है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार कोई ऐसा उपाय कर रही है कि अगले साल इस रोग की पुनरावृत्ति न हो सके ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

किसानों से कहा गया है कि बाली तोड़ लें ताकि पूरे ढेर में न मिले जिससे आगे के लिए बीज साफ रहे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

इस रोग को मेढ़ा कहते हैं जो जौ में भी लग जाता है और खास तरीके से वे बीज जो पुराने होते हैं, तो क्या सरकार जांच करावेगी कि यह बीज पुराना तो नहीं था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कृषि विभाग के विशेषज्ञों की राय आने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या यह बीमारी इसी साल लगी है या पहले भी लगी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारे ऐग्रीकलचर फार्म पर ३०/३० बार टेस्ट होता है। लेकिन जो बीज सरकार से दिया जाता है वह सुपरवाइजर के यहां से किसान को न दिया जाकर दूसरा घटिया किस्म का दिया जाता है। क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी कि ऐसा तो नहीं हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या अब इसकी जांच करावेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

यह देखते हुये कि पंजाब में यह रोग व्यापक रूप से है, और वहां इसका इलाज किया गया है, क्या मंत्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करके इस रोग को नष्ट करने के लिये वही उपाय करेंगे, जो पंजाब में किये जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि पंजाब में यह रोग बहुत अधिक है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में सीतापुर और बहाइच का जिक्र करते समय बताया कि बहराइच जिले में जिला नियोजन अधिकारी ने जो जांच करके भेजा है, उसमें एक दो प्रतिशत तक काले बीज का अनुमान उनको पता लगा है । मेरी जानकारी यह है कि जांच पूर्णरूपेण सही नहीं है । इसलिए क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस जांच का आधार क्या था और इसके साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र नानपारा में उन खेतों की जांच करायेंगे जहां दो-दो, तीन-तीन बीघे हरिजनों के पूरे खेत इस काले बीज से आक्रान्त हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त सवाल यह है कि इस किस्म का बीज है ? इस किस्म का दाना निकला है, वह विषैला है कि नहीं ? और उसके लिये क्या उपचार है ? यह बातें हो रही हैं ?

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन् एक बात जानना चाहता हूं । आपने बाद में एक बात कह दी, जिससे हमारे लिये रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिस समय पंजाब से यह गेहूं आया, उस समय कृषि विभाग के लोगों ने ही किसानों को यह सलाह दी थी कि वह इस गेहूं को खाने में इस्तेमाल करें और बोने के लिये अगर दूसरे किसानों से हो सके तो बदल कर वह बीज बोयें । क्या यह बात सही है ? और यह बीज जहां बो दिया गया इसी वजह से यह रोग पैदा हुआ जबकि यहां की क्लाइमेट पंजाब की क्लाइमेट से कुछ भिन्न है । इसलिए....

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है कि विभाग को पहले से मालूम था कि यह बीज ऐसा है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो बीज पंजाब से आया यह बोने के लिये मंगाया गया, खाने के लिये नहीं । जो बीज बोने से बच गया वह खाने के लिये दिया गया ।

श्री रामअधार कनौजिया—

पंजाब का गेहूं जिसके संबंध में पूर्ण जानकारी थी कि वहां पानी की व्यवस्था पूर्ण थी और खाद भी अच्छी इस्तेमाल की जाती है । क्या यही कारण है कि यहां पर पानी उचित मात्रा में न मिलने और अधिक रासायनिक खाद इस्तेमाल करने के कारण यह बीमारी लगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय सदस्य की राय ठीक हो सकती है । मैं तो ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां पंजाब का गेहूं बोया गया है, वहां विशेष रूप से स्टाफ नियुक्त करें जो इस बात की जांच करे कि कहां-कहां पर यह रोग लगा है तथा उस रोगयुक्त गेहूं को फड़ पर दूसरे गेहूं से न मिलने दें, तथा उस बीज को काम में न लाया जाय। क्या मंत्री जी पता लगायेंगे कि यह इतना विषैला नहीं है कि जिससे आदमी मर जायं, लेकिन इतना जरूर है कि इसके खाने से शरीर पर रोग का प्रभाव पड़ सकता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिलाधीशों को आदेश भेजे जा चुके हैं कि वह सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दें, जहां तक विषैला होने का सवाल है सीतापुर के जो ब्लाक प्रमुख हैं उन्होंने लिखकर दिया है कि मैंने स्वयं इसको खाया है और मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। इसी तरह से एक ग्राम प्रधान ने भी लिखकर दिया है कि यह विषैला नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं कि कितने परसेन्टेज तक, किसी रूप में यह विषैला है कि नहीं, लोगों को हानि होती है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उसका अन्वेषण हो रहा है। अब रहा यह कि एक कहता है विषैला है और दूसरा कहता है कि नहीं है, तो उसकी जांच तो हो रही है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने तो कहा है कि रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने जांच कर ली।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

विषैला नहीं है तो मैं मंत्री जी को ही लाकर खिलाऊंगा।

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों आदि के लिये सदस्यों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

मुझे दो सूचनाएं देनी हैं। एक सूचना यह है कि चुनाव जो होने हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा दूसरी स्थाई समितियों के, उनके संबंध में मुझे यह सूचना मिली है कि सभी इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि आज स्थगित करके तिथियां इस प्रकार से निश्चित हों:—

नाम निर्देशन पत्रों की अंतिम तिथि तथा समय ८ अप्रैल, १९६५ सयांकाल ५ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १९ अप्रैल, १९६५ को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय २३ अप्रैल, १९६५ को सांयकाल ५ बजे तक।

निर्वाचित यदि आवश्यक हुआ तो २६ अप्रैल, १९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से चार बजे के बीच होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, बोर्ड के बारे में क्या प्रोग्राम रहेगा ?

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

मान्यवर, असेम्बली तक कब चलने वाली है ?

श्री अध्यक्ष—

निर्वाचन के संबंध में जितने निर्वाचन होने वाले थे, तथा उनके लिये हमने आज की तिथि तथा अन्य तिथियां जो निश्चित की थीं, वह सब निरस्त करके यह अब जो सूचना दी जाती है। वह सभी समितियों के संबंध में है, चाहे बोर्ड हो या कोई और हो।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

असेम्बली का प्रोग्राम मालूम हो जाय, उसी हिसाब से हम लोग आने का प्रोग्राम बना सकें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें शंका क्यों की जाती है ? आज जो मैंने सूचना दी है, उसके अनुसार २६ अप्रैल को हम निश्चित रूप से बैठ रहे हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। २४–२५ को आप प्रश्न कर लीजियेगा। मेरी जानकारी में अभी बन्द नहीं हो रही है।

सदन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय विषयक मंत्री तो हैं नहीं, माननीय बंशीधर जी, आप इस सप्ताह का कार्यक्रम बता दें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, सप्ताह का कार्य-क्रम इस प्रकार से है—

२९ मार्च वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के आय-व्ययक की शेष मांगों पर मतदान साढ़े चार बजे सायंकाल तक।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण, सायंकाल साढ़े चार बजे।

३० तथा ३१ मार्च राष्ट्रपति महोदय द्वारा उच्चतम न्यायालय को किये गये १९६४ ईसवी के रेफरेंस संख्या १ में उच्चतम न्यायालय के मत संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा।

१ व २ अप्रैल निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

१—उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५

२—रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

३—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

४—उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (यदि समय उपलब्ध रहा)

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने कार्यक्रम घोषित किया है यह इसी क्रम से लिया जायगा जिस क्रम से आप घोषित कर रहे हैं ? इसमें अगर परिवर्तन हो तो सूचना दे दीजियेगा कल ही ।

श्री बंशीधर पांडेय—

कार्य मंत्रणा समिति तो बुलायेंगे ही.....

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय सदन को मालूम होना चाहिये कि किस क्रम में ले रहे हैं । ऐसा न हो कि पहले उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक आपने रखा है और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक ले लें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

कोई परिवर्तन होगा तो कल सूचित कर दूंगा ।

विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

कल और परसों हम विवाद में भाग लेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय हम लोगों को एलाट होगा, ताकि वैसे ही तैयार रहें ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो यह चाहूंगा कि थोड़े आदरणीय सदस्य बोलें और बहुत गम्भीरता से विचार करके अपनी बातें सदन के सामने रखें ।

दूसरा मेरा मत यह है कि वह विषय प्रिविलेज का है । हमारे विशेषाधिकार की पूर्ति का उसमें सवाल नहीं आता । उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो सदन की मर्यादा के संबंध में बोलना चाहता है, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने विचार प्रकट करे । कितना समय हो, इसके लिये आप सब विद्वान हैं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भाषण देने के लिये आधा-घंटा या पौन घंटा तो चाहिये । १०–१५ मिनट में ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ सकता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आज यह कार्यक्रम स्वीकृत कर लिया जाय । बाद में कार्यमंत्रणा समिति जो तय करे फिर उसके अनुसार कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने नियमों के अनुसार कार्यक्रम-बता दिया है ।

मुझे आपको यह सूचना भी देनी है कि आज डाक्टर राम मनोहर लोहिया आ रहे हैं । आज सायंकाल ५ बजे पार्लियामेंटरी ग्रुप के सामने उनका भाषा संबंधी व्याख्यान होगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, पंजाब के ७२ पुलिस मैन हमारे यू० पी० की सीमा में घुस आये बिना हमारे यहां की पुलिस, आई० जी० और होम मिनिस्टर को बताये हुए और सूचासिंह को गिरफ्तार करके ले गये । इस प्रकार की स्थिति पर आप वक्तव्य दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि इसकी जानकारी थी और पुलिस को बता दिया था । आप कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं थी, ये दोनों विरोधात्मक बातें हैं, इसके लिये माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहें, ठीक न होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, वह तराई का इलाका है, वहां पर चीन और नेपाल की सीमा मिलती है। माननीय लाल बहादुर शास्त्री को इत्तला दी, लेकिन हमारे आई० जी० और गृह मंत्री को उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी ? मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण करा दिया जाय। यह स्टेट की सुरक्षा का मामला है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इसके साथ ही साथ आपने दो प्रश्न और स्वीकार किये थे, एक बद्रीनाथ के बारे में था, वह अभी नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष—

वह आ जायेंगे।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपल वृष्टि के संबंध में वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सभी को ज्ञात है, इस प्रदेश में १८ मार्च से २३ मार्च के मध्य कुछ जिलों में ओला वृष्टि हुई है तथा प्रभावित क्षेत्र में रबी की फसलों को क्षति पहुंची है। कतिपय माननीय सदस्यों ने भी शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि ओला वृष्टि के कारण ४ मनुष्यों के प्राण गये तथा १३ व्यक्तियों के आहत होने के समाचार प्राप्त हुये हैं। मैं उनके परिवारों के प्रति शासन तथा अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं। तीन पशुओं के प्राण जाने की भी सूचना शासन को प्राप्त हुई है।

यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश क्षेत्रों में फसलें कट चुकी हैं अथवा कट रही है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार नत्थी "क" के ३२ जिलों में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। फसलों की क्षति की सही मूल्यांकन तुरन्त करना कठिन है। तथापि राजस्व अधिकारियों न पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा मोटे तौर पर अनुमान लगाये हैं। इस हानि का ब्यौरा विवरण संलग्न तालिका नत्थी "ख" में सदन की सूचना के लिए प्रस्तुत है।

क्षति के विवरण पत्र से विदित होगा कि प्रदेश के ७,२६५ ग्राम तथा ९ पट्टी में १०,१३,६३५ एकड़ भूमि ओला वृष्टि से प्रभावित हुई है तथा रबी की फसलों को क्षति पहुंची है। प्रभावित फसलों में जौ, गेहूं, चना, मटर, सरसों, तथा तंबाकू मुख्य हैं। आम की फसल को भी क्षति पहुंची है तथा अल्मोड़ा जिले में चंपावत तहसील में फल के पौधों को हानि की सूचना मिली है। प्रारंभिक अनुमान से यह प्रकट होता है कि अधिकांश ग्रामों में हुई क्षति ५० पैसे से कम ही है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है शासन दैवी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रस्तुत करने तथा पीड़ित व्यक्तियों की हर संभव सहायता करने में सदैव सजग रहा है। राजस्व अधिकारियों के प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के पश्चात् जिन क्षेत्रों में खड़ी फसलों को ५० पैसे से ऊपर क्षति पहुंची है, राजस्व कर में नियमानुसार छूट दी जावेगी तथा छूट के लिए प्रस्तावित धनराशि की वसूली भी स्थगित हो जायगी। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए अहेतुक सहायता तथा आपत-कालीन तकावी ऋण का भी प्रबंध कर दिया गया *है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०१–१०३ पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

बद्रीनाथ की स्थिति वाला वक्तव्य आज के लिए स्वीकार हुआ था। श्रीमन्, उस पर आज वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

उसमें तो उन्होंने लिखकर भेजा है कि इसकी दूसरी तारीख कर दी जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बहुत से लोग सूचना मांगने लग जायेंगे तो दिक्कत हो जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है, रुपये में ५० पैसे से ऊपर जहां नुकसान होगा वहां तो नियमानुसार सहूलियत दी ही जायगी, लेकिन जिन बागों को शत प्रतिशत या ५० पैसे से ऊपर क्षति हुई है, उनके लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

बागों से तो हम कुछ नहीं पाते हैं। बहुत से बाग मुफ्त हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उनके ऊपर साढ़े १२ प्रतिशत के हिसाब से जोतकर भी तो लगा है?

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री पहले नं० ३ वाला पेश कर दें, उसपर विवाद नहीं होगा।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,८८,६१,८०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,८८,६१,८०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी-परिव्यय

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १०,८९,११,००० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,६१,८९,७०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

संख्या २४—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों का ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ५वें पृष्ठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां प्रेस की गलती से छपाई में भूल हो गयी और "सहकारी क्षेत्र" के स्थान पर "सार्वजनिक क्षेत्र" छप गया है, तो इसको 'सहकारी क्षेत्र" पढ़ा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या २४ व ४८ में जो धन व्यय करने के लिये मांगा गया है वह क्रमशः १०,८९,११,००० रु० और ४,६१,८९,७०० रु० है । गत वर्ष अनुदान संख्या २४ में ११,३९,४९,३०० रुपये की मांग की गयी थी । माननीय सदस्य इस बात से विस्मय में पड़ सकते हैं कि उद्योग जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए इस साल इतना कम रुपया क्यों मांगा गया है । मैं आपकी आज्ञा से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि टेक्निकल एजूकेशन का बजट, जो अनुदान संख्या १७ में अब चला गया है और वह सदस्यों के सामने आ भी चुका है । इसलिए गत वर्ष से मुकाबला करें तो अनुदान संख्या २४ में ८५,५२,८०० रुपया अधिक रखा गया है । १,४५,८१,००० रुपया गत वर्ष टेक्निकल एजूकेशन के लिए रखा गया था । इस तरह से ३ करोड़ ७ लाख ५०० रुपया कैपिटल आउटले में रखा गया है और बाकी कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के लिए है और अन्य विभागों का है । अगर माननीय सदस्य हिसाब लगायें तो कुल उद्योग विभाग पर १६,४७,६९,३०० रुपये का व्यय है और इस से स्पष्ट हो जाता है कि हम उद्योग पर पूरा बल दे रहे हैं । अगर सीमित साधनों के अन्दर और अधिक रखना संभव होता तो हम इस के लिए और अधिक व्यय करते । यह जो ८५,५२,८०० रुपये की बढ़ोत्तरी है, इस में ५५.८९ लाख रुपया नान-प्लांड या आयोजनेत्तर है और २९.६४ लाख रुपये का आयोजनागत है । अब आयोजनेत्तर में ३१ लाख रुपया गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रमेंट फैक्ट्री के लिए है, १५ लाख चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लिए है, १९ लाख विभूति ग्लास वर्क्स के लिए है और २० लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समन्वयार्थ, यानी पे रेशनेशलाइजेशन के लिये है । इसी तरह से आयोजनागत जो २९.६४ लाख की बढ़ोत्तरी है वह ५ लाख तकनीकी अनुसंधान के लिए है, १.६० लाख माडल वायर निटिंग उद्योग, वाराणसी के लिए है, २.४३ लाख खनिज पदार्थों के लिए है और ०.७५ लाख खेल कूद के औद्योगिक सामान के उद्योग के लिए है । १३.५४ लाख रुपया देहाती क्षेत्रों के उद्योगों के लिए रखा गया है, ४.६० लाख रुपया ४ पूर्वी जिलों के लिए है, १२.९० लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन समन्वयार्थ है । पहले आयोजनागत धनराशि ४०.८२ लाख की थी जिस में ११.२४ लाख की कमी कर दी गई, जैसे एलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट आदि में । यह सभी धनराशियां पिछले बजट के पुनरीक्षित आधार पर रखी गई हैं । मैं सदन के सामने अधिक आंकड़े नहीं रखना चाहता । यह विवरण बजट के पृष्ठ १२२–१२३ पर दिए हुए हैं ।

अनुदान संख्या २४ में जो १०,८९,११,००० रुपया रखा गया है उसका थोड़ा मोटा मोटा ब्यौरा इस प्रकार है कि ६,६३,५५,००० रुपया बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए, १,३८,४३,९०० रुपया लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए है । इस तरह से आयोजनेत्तर मदों में कुल रुपया ८,७७,२८,१०० होता है । यहां प्रश्न यह होता है कि क्या आज भी बड़े और मध्यम उद्योगों को सरकार अधिक प्रोत्साहन दे रही है ? हमें देखना यह होगा कि सीधी सी बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे तीन बड़े उद्योग आते हैं जिन का पूरा लाभ जनता को मिलता है । गवर्नमेंट प्रिसिजन इंसट्रूमेंट फैक्ट्री, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और विभूति ग्लास वर्क्स । यह उद्योग अब काफी लाभ देने लगे हैं जिस के विषय में मैं उत्तर में सूचनार्थ विवेदन करूंगा । यह तीनों उद्योग सफलता से पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं । आशा है कि साढ़े सात करोड़ का उत्पादन इन तीनों उद्योगों से हमें मिल सकेगा ।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

आयोजनागत बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए हम ने १४,६२,८०० रुपया रखा है, कुटीर उद्योगों के लिए १,५९,९९,५०० रुपया रखा है। यह इस बात को स्पष्ट करती है कि कुटीर उद्योगों को बहुत महत्व दिया है। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है और जो छोटे साधन वाले भी हैं वे भी उन्हें कर सकते हैं। उनसे हमारे प्रदेश की बेरोजगारी और गरीबी मिट सकती है। इसी कारण से बड़े और मध्यम उद्योगों से इसमें ११–१२ गुना रुपया उद्योगों में रखा गया है।

उद्योग के लिए आवश्यकता होती है बिजली की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह ३०० मेगावाट थी। अब हमें आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में १,००० मेगावाट तक पैदा हो सकेगी। पहले हमारे लगभग १,५०० स्थानों में बिजली थी अब यह ४,५०० स्थानों में पहुंच जायगी। इस प्रकार ज्यों-ज्यों बिजली की उपलब्धि होगी, गांवों में बिजली पहुंचेगी और कुटीर उद्योग पनपेंगे।

केंद्रीय सरकार ने भी इस तृतीय योजना के अन्त तक ४ इकाइयों की स्थापना की है जो इस प्रकार है —

(१) डिजिल लोकोमोटिव, वाराणसी,
(२) ऐंटीबायटिक्स, ऋषिकेश,
(३) हैवी एलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार,
(४) फर्टीलाइजर फैक्ट्री, गोरखपुर।

इसके अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना में हैवी स्ट्रकचरल प्लांट, इलाहाबाद में लगाने की केंद्रीय सरकार की योजना है। बड़े उद्योगों का महत्व, श्रीमन्, इसलिए खास तौर से होता है कि कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, बना हुआ माल खरीदने में आता है और टेक्निकल शिक्षा छोटे उद्योगों को मिलती है इसलिए कि अगर एक मजदूर लगता है तो चार मजदूरों को इन्डायरेक्टली काम पर लाता है जो कि उसके सहायक होते हैं और उनकी उन्नति होती है।

चीनी मिल भी अभी तक (गतवर्ष) तक ३ सहकारी थी। इस वर्ष में एक और चौथी मिल सहकारी क्षेत्र में चालू हो जावेगी और उसका ट्रायल प्रोडक्शन होने जा रहा है। उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्रकार इस वर्ष के अन्त तक ३ चीनी मिलें और पूर्वी जिलों में भी एक चीनी मिल स्थापित हो जायगी।

जब डेवलपमेण्ट को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है तो उसमें हमारे कमिश्नर महोदय ने भी काफी काम किया है। खासतौर से इलाहाबाद डिवीजन में जिन्होंने अन्य संबंधित अधिकारी गण के विशेष परिश्रम से कार्य किया जिसके फलस्वरूप इलाहाबाद में ८९९ इकाइयां स्थापित की गयीं। लखनऊ डिवीजन में ४००, झांसी में २०० इकाइयां और गोरखपुर और वाराणसी में ४९५ इकाइयां स्थापित हुई हैं। श्रीमन्, मैं अधिक विवरण देकर इस समय आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। उद्योगों का विकास (प्रगति समीक्षा १९६४–६५) में विस्तार-पूर्वक दिया हुआ है कि हमने उद्योगों की प्रगति के लिए क्या क्या किया है। इसको पढ़कर माननीय सदस्य अपनी जानकारी भली प्रकार कर सकते हैं।

यू० पी० इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन ने केवल जमीन का ही कार्य नहीं किया है बल्कि उसने खाद्यान्नों को विकसित करने का काम भी आरम्भ किया है। मिर्जापुर में कोटा, कजराहट और डल्ला चूने के पत्थर का कार्य किया है। अल्मोड़ा में मैंगनासाइट बनायी जायगी। वहां पर ३६,००० टन डैड बर्न्ट मैंनासाइट का उत्पादन होगा। हमारे देश में करीब-करीब ६२,००० टन की आवश्यकता है। इसमें २ करोड़ रुपये की लागत होगी और लगभग ३० लाख रुपया फायदा होगा।

जो हमारे पूर्वी जिले हैं वे यों तो सभी गरीब हैं, लेकिन चार पूर्वी जिले जो सबसे अधिक पिछड़े हुए समझे गये हैं (जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और आजमगढ़) उनके लिए भी एक कमीशन की स्थापना हुई। उस कमीशन ने यह कहा है कि ये सबसे पिछड़े जिले हैं

इसके लिए ७६ लाख रुपया निर्धारित किय गया है। इसके लिए २४.५३ लाख की समान धनराशि के अतिरिक्त ३१.२१८ लाख रुपये की विशेष धनराशि रखी गयी है। इसके अतिरिक्त इसमें निम्नतम दर पर बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे माल में भी प्राथमिकता दें तो आशा है कि इस क्षेत्र में कुछ उन्नति हो सकेगी।

५ देहाती प्रोजेक्ट्स भी हमने चलाये हैं जिनमें एक पूर्वी जिले में भी है। एक रिसर्च डिवीजन की स्थापना डायरेक्टोरेट में भी है जो हमारे इकोनामिक एडवाइजर के अन्तर्गत काम करता है। उसका काम यह है कि जितने इंडस्ट्रियल एसोसियेशंस हैं, जितने औद्योगिक चेम्बर्स हैं उनसे वह संपर्क स्थापित करे। विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करें और भारत सरकार का जो टेक्नोलाजिक ब्यूरो और एप्लाईड साइंस की इंस्टीट्यूशन है उससे संपर्क स्थापित करें; जानकारी उपलब्ध करके चौथी पंवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करें कि उसमें उद्योगों की क्या शक्ल होनी चाहिए, क्या उनमें कमी है, किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है और हमारे यहां उद्योग किस तरह से पनप सकते हैं और प्रदेशों में पनप रहे हैं।

हैंडीक्राफ्ट का भी बड़ा महत्व है। यह हस्त कला के सामान को विक्रय करने का प्रबन्ध करता है। अभी तक हमारा काम संतोषजनक नहीं है इसको मैं आपके समक्ष मानता हूं और इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने एक रिआर्गनाइजेशन कमेटी बैठाई है जिसने काफी अर्से तक इस पर विचार किया। इसने सब स्टोर्स को देखा और अपने सुझाव उसने सरकार के पास भेज दिये हैं वे हमारे विचाराधीन हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जब हैंडीक्राफ्ट को प्रोत्साहन मिलेगा तो हम उससे विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे जिसकी बड़ी मांग है और जिसकी उद्योगों के विकास के लिए बड़ी आवश्यकता है। बम्बई में इस सिलसिले में एक हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश भी लगी थी और उसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा इनाम मिला है हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोमोशन के लिए, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन खोलने का विचार आता है कि विदेशी मुद्रा कैसे कमाई जाय। कर्जा मिल नहीं सकता। इसके लिए आवश्यक यही है कि हम अपना माल बनायें और ऐसे जरिए से बनायें जिसका रा मैटीरियल यहीं मिलता हो और उसको विदेशों को भेजें और पैसा कमायें। इसके लिए एक मात्र साधन यह है कि यहां के रिर्सोसेज से माल बनाने के लिए कारखानों को हम प्रोत्साहित करें तभी हम इस तरफ उन्नति कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रोमोशन कारपोरेशन बनाने के लिए विचार किया गया है और उसके लिए ऐडवायजरी कमेटी की स्थापना कर दी है। उसमें बड़े अनुभवी लोग होंगे। उनसे सलाह मश्विरा लिया जायगा कि हमारे एक्सपोर्ट प्रोमोशन कारपोरेशन की क्या रूपरेखा हो और जब वह रूपरेखा बन कर तैयार हो जायगी तो हम पूरी चेष्टा करेंगे कि इस कारपोरेशन की स्थापना कर दें जिससे एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन मिल सके।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए खास तौर से यह रियायत दी गयी है कि उनके द्वारा जो माल बनाया गया है और बड़े उद्योगों द्वारा जो माल निर्मित किया गया है, अगर १५ फीसदी कीमत लघु उद्योगों की ज्यादा है तो हम उन्हीं को खरीदेंगे। इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरे बड़े प्रदेश में हैं और प्रदेश के बाहर भी हैं। अगर हमारे प्रदेश के बड़े उद्योगों के द्वारा जो माल बनता है उनकी कीमत बाहर के उद्योगों से ५ प्रतिशत ज्यादा होती है तो प्राथमिकता हम अपने प्रदेश के बने हुए माल को देंगे। एक, दो रियायतें और दी हैं। दो लाख से कम लागत का जो कारखाना होगा वह टेंडर करना है तो हम उस पर कोई टेंडर शुल्क नहीं लेंगे। छोटे उद्योगों को रियायत देने के लिए यह किया गया है। कुछ उद्योगों के लिए यह बात लाजमी कर दी है कि ये सामान केवल लघु उद्योगों द्वारा ही निर्मित किया जायगा। इसलिए छोटे उद्योगों को हमने बड़े उद्योगों के कंपिटीशन से भी बचाने का प्रयास किया है।

टेक्निकल एजूकेशन जैसा कि सबको विदित है बिना उसके उद्योग धंधे पनप नहीं सकते और अब तक यह कमी रही कि टेक्निकल स्कूलों द्वारा दीक्षित कुशल कारीगर हमारे पास नहीं थे। इसमें वृद्धि की गयी है यह तो मैं उत्तर में बतलाऊंगा, लेकिन इस समय हम क्या क्या

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

कर सके हैं इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं। इसका विभाग अलग कर दिया है और एक मंत्रालय इसकी देखरेख करता है और आशा की जाती है कि एक जगह पर काम होने से पूरा ध्यान दिया जा सकेगा। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होने की और काम करने की जो आवश्यकता थी वह कर सकेंगे।

श्रीमन्, ऋण और अनुदानों में भी हमने काफी रियायतें की हैं। वह देर में मिलते थे उसमें कमी कर दी है और जो दुरूपयोग की बात कही जाती है उसको मैं मानता हूं कि होता है, लेकिन जितना समझा जा रहा है उतना नहीं है। इसको रोकने के लिए हमने कदम उठाये हैं।

श्रीमन्, इसके अलावा कास्टिक सोडा फैक्ट्री एक बड़े पैमाने पर खोली है जिसका उद्‌घाटन अभी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि इंडस्ट्रियल कारपोरेशन डेड बर्न्ट मैगनेसाइट की फैक्ट्री खोल रहा है। इसके अलावा लखनऊ में एक आप्टिकल इंस्ट्रूमेन्ट्स फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। इसमें लगभग एक करोड़ रुपये से ऊपर खर्च पड़ेगा। यह ईस्ट जर्मनी की मदद से बनेगी और एक बड़े उद्योग के रूप में कार्य करेगी। अब तक जो आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मिलने में कठिनाई होती थी वह उपलब्ध हो सकेंगे। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं सुझावों को सुनने का उत्सुक हूं जिससे हमें लाभ हो सकता है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इनको स्वीकार करेगा।

श्री झार खण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। कृषि के बाद हमारे राष्ट्रीय जीवन में उद्योग का स्थान आता है। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के कर्णधारों ने कृषि पर विशेष जोर दिया था इसका उद्देश्य था कि हमारा देश और प्रदेश कृषि के सिलसिले में आत्मनिर्भर हो जाय। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसके बाद द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष जोर दिया गया था और इस बात का विश्वास प्रगट किया गया था कि उद्योग के सिलसिले में हमारा देश और प्रदेश साउंड बेसिस पर खड़ा हो सकेगा। लेकिन इसमें भी हम प्रदेशीय स्तर पर सफल नहीं हो सके हैं। इसीलिये अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक मिला-जुला उद्देश्य रखा गया है। कृषि पर और उद्योग पर जोर देने का विचार योजना के कर्णधार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की स्थिति सारे देश में पिछड़ी हुई है और खास तौर से उद्योग में बहुत ही पिछड़ी हुई है। यह सही है कि बगैर उद्योग की उन्नति के एक कदम भी हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है।

इस राज्य में बड़े कारखानों की निहायत जरूरत है। उनकी स्थापना के बाद बेकारी की समस्या जो भयंकर रूप धारण कर रही है, उसका समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ....

श्री अध्यक्ष—

जरा इस बात का ध्यान रखा जाय कि सदन में कोरम रहे। यह आपकी जिम्मेदारी है।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

श्री झारखण्डे राय—

मान्यवर साथ ही साथ बड़े उद्योगों के साथ पंजाब की तरह हमारे प्रदेश के कोने-कोने में और छोटे उद्योगों को भी खोला जाये, जिनका संबंध बड़े उद्योग से समन्वयकारी हो, मदद का हो, परस्पर विरोधी न हो। इन-इन आधार को बनाकर ही अपने प्रदेश के विकास की गति को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिये निहायत जरूरी है कि हम बड़े उद्योग के लिये और छोटे उद्योग के लिये भी इंजीनियर और टेक्नीशियन काफी संख्या में पैदा करें, उद्योग में शिक्षित और कुशल तथा अशिक्षित अर्द्ध कुशल और बेकुशल लोगों को भी उचित रोजगार मिल सके। यही हमारे योजना की रूपरेखा होनी चाहिये तभी हम प्रदेश को देश के अन्य प्रदेशों के समकक्ष रख सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश की सरकार की नीति मेरी समझ में बड़े उद्योग विरोधी है, मैं इस चीज को कई बार कह भी चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, और छोटे उद्योग विरोधी भी नीति है। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र से दुश्मनी है इस सरकार की। यही कारण है कि १२–१३ वर्षों में इस प्रदेश में केवल कुल २ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में खोले जा सके हैं, एक तो प्रिसीजन-इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी और दूसरी चूर्क सीमेन्ट फैक्टरी। जिनके बारे में बार-बार इस सरकार की ओर सदन में और बाहर चर्चा की जाती है। सरकार की यह नीति, कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित नीति, समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से सर्वथा विपरीत है। आप इस को देखें कि सारे देश के अन्दर जो उद्योग की प्रगति हुई वह १७ परसेन्ट है जब कि हमारे प्रदेश की प्रगति की गति प्वाइन्ट नाईन है। करीब करीब हम वहीं पर हैं जहां पर पहले थे। यह मुख्य मंत्री जी का विभाग है, वही अपनी पीठ ठोंक सकती हैं, मैं तो इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता हूं। अपने प्रदेश के बजट को आप देखें तो इसमें साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपये उद्योग पर रखा गया है, जब कि कृषि के बाद उद्योग का ही प्रमुख स्थान होना चाहिये। कृषि और उद्योग के विकास के आधार पर ही हम अपने सारे विकास कार्यों को खड़ा कर सकते हैं और हम अपने को मजबूत बना सकते हैं। सरकार की नीति बड़े उद्योग विरोधी है, छोटे उद्योग विरोधी है और पब्लिक सेक्टर विरोधी है। उसकी नीति फिर है क्या? उसकी नीति है पूंजीवाद पर और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस सरकार की सहायता उन्हीं पूंजीपतियों को बराबर मिल रही है।

मान्यवर, समाजवादी लक्ष्य में हम कितना आगे बढ़े हैं, इसकी पूरी जांच उद्योग क्षेत्र में हो सकती है। संसार के सभी देशों में हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हम पाकिस्तान और लंका से भी पिछड़े हैं सारे देश में हमारा प्रदेश पिछड़ा है। प्रदेश में पूर्वी और पूर्वतीय क्षेत्र और अधिक पिछड़े हुए हैं। राष्ट्रसंघ की ओर से संसार के राष्ट्रों के दस वर्षीय विकास का पता लगाने के लिये जो सर्वेक्षण किया गया था उसको १० वर्षीय विकास निरीक्षण रिपोर्ट में भारत का चौबीसवां स्थान माना गया है। भारत में ३ परसेन्ट विकास हुआ है जब कि जापान में १० परसेन्ट विकास हुआ है। इतना ही नहीं, एकोनामिक कौंसिल फार एशिया एन्ड फार ईस्ट के सन् १९६४ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति और सम्मिलित विकास गति, विकासशील देशों में सब से कम है। एशिया और सुदूरपूर्व के ९ विकासशील देशों का हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति विकास की गति लंका में सब से कम है और सम्मिलित विकास पर की गति भारत में सब से कम है। भारत की विकास दर पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान में १९६१–६२ में सम्मिलित विकास दर ५–६ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति विकास दर ८–९ प्रतिशत रही। भारत में यह दर क्रमशः २–५ और ०–२ प्रतिशत रही। यह हमारे देश और प्रदेश का चित्र है। इस पृष्ठभूमि में हम इस अनुदान पर विचार करने बैठे हैं।

गवर्नर महोदय के भाषण को देखा जाय तो उसमें तीन उद्योग प्रयासों की चर्चा है: आप्टिकल इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री, पेंसिलीन वायल्स, राम नगर और मिर्जापुर तथा हिमालय क्षेत्रों के खनिज के लिये सर्वेक्षण; लेकिन माननीय मंत्री जी के भाषण में उसकी चर्चा नहीं आयी।

[श्री झारखण्डेराय]

मिनरल रिसोर्सेज के लिये कुछ जांच की गयी है मिर्जापुर जिले में प्रयास हुआ है। इसमें सिलसिले में सरकार की अकर्मणयता तो यहां तक बढ़ी है कि वह खुद अपनी स्थापित की हुई कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो ५६ में कायम हुई थी, की सिफारिश को भी सरकार लागू नहीं कर सकी और वह कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। उसका मैं एक सेंटेंस पढ़ दूं कि कितनी अरजेंसी इसमें प्रगट की गयी है। इसके ७२ वें पेज पर है—

"In so far as U. P. is concerned, I explained earlier that the development of industry is urgent."

अर्जेन्ट माना गया है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट छापने के बाद सरकार एक अंगुल भी आगे नहीं बढ़ सकी है औद्योगिक क्षेत्र में। यह तो सरकार की औद्योकि नीति है कि सरकार अपनी ही कमेटी की सिफारिशों की परवाह नहीं करती।

मान्यवर, जब मैं उत्तर प्रदेश के उद्योग पर विचार कर रहा हूं तो मेरे सामने एक मेजरिंग राड है। वह राड कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, अन्य प्रगतिशील पार्टियों का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का है। जो उसका घोषित लक्ष्य है वही मेजरिंग राड है उसी से मैं नापता हूं कि सरकार कहां तक बढ़ी है और प्रदेश और देश का मुकाबला भी संसार के उन १४, १५ कम्युनिस्ट मुल्कों से करूंगा जो समाजवाद की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं और जिनकी गति और जिनका टोटल विकास समाजवाद की ओर बहुत अधिक हुआ है बल्कि उनके मुकाबले की बात करूंगा जो रेडिकल बुर्जुआ कंट्रीज हैं जिसे वर्मा, लंका, हिन्द एशिया सीरिया, मिश्र, अलजीरिया, घाना और गिनी जो नानकम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन जो उग्र प्रगतिशील हैं। उनसे जब अपने देश और प्रदेश को नापते हैं तो देखते हैं कि हमारा देश और विशेषकर हमारा सूबा बहुत ही निराशाजनक पिछड़ी स्थिति में है। इसकी पूरी नीति पूंजीवादी समर्थन की है और उसमें भी एकाधिकारी पूंजीपतियों के समर्थन की है जो घातक है। वह आज की स्थिति में देश की पूरी राजनीति को गलत प्रतिक्रियावादी दिशा में मोड़ सकती है, मोड़ने की प्रक्रिया शुरु हो गयी है और पूरे देश की पूंजीपरस्तों की नीति इस सरकार पर दबाव डाल कर इसे पूरी तरह अपनी नीतियों से हटाने की है। जब हम इस नाप से नापते हैं तो हमें यही मिलता है। इसीलिये कुछ कांग्रेसी जो प्रगतिशील विचार वाले हैं उनसे आज जो सुनाई देता है वह अपोजीशन के साथियों से भी नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं लेकिन पूंजीपतियों को सिर पर बैठाकर समाजवाद हमारे मुल्क में कायम नहीं हो सकता। अपनी पार्टी के बारे में तो वह यहां तक कहते हैं कि सरमायेदारों की कांग्रेस है और उन्हीं पर सरकार भी कायम है। इसके रास्ते अधकचरे समाजवाद के हैं। एकाधिकार की बढ़ोत्तरी है। मान्यवर, अभी हमारे सूबे में एक सज्जन आये थे जो इस देश के टाटाओं, बिड़लाओं और सिंहानियाओं के बहुत प्रिय हैं, कानपुर में पधारे थे। उन्होंने समाजवाद के बारे में क्या दृष्टिकोण रखा है, वह आपके ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि "समाजवाद क्या बला है", मैं उनके शब्द रखना चाहता हूं, "इसे मैं नहीं जानता। समाजवाद एक ऐसा फटा पुराना हैट है जिसे सब लोगों ने पहन लिया है और इसलिये उसकी शकल ही गायब हो गयी है। मान्यवर, यह सज्जन और कोई नहीं हैं, एस० के० पाटिल साहब हैं। वे कानपुर में तशरीफ लाये थे और उन्होंने यह भाषण दिया है। हमारे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अभी भारतीय वाणिज्य उद्योग मंण्डल संघ के तीसरे वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि "जब देश संकट से गुजर रहा था तो उस समय व्यापारियों ने और इस मंडल ने सरकार को सहयोग नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनके विचार यह हैं और हमारे प्रधान मंत्री यह फरमाते हैं तो क्या यह उसी तरह की अंग्रेजी की कहावत की तरह से नहीं है कि "Liking the boot that kicks" जो जूता ठोकर मारता है उसको चाटने की क्या जरुरत है? अगर आप उनकी ताकत को उनसे लेते तो यह देश सही रास्ते पर चल सकता है। मान्यवर, इसी पूंजीपतियों के प्रति श्रद्धा के दृष्टिकोण का फल यह है कि हमारे देश में विषमता बेहद बढ़ती जा रही है। हमारे देश में

आर्थिक विषमता में ७० फीसदी और ३० फीसदी का अन्तर हो गया है। ७० फीसदी दौलत केवल १० परिवारों के हाथ में चली गई है। ये १० परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पिछले १० साल में अपनी संपत्ति चौगुनी से सात गुनी कर ली है। इनमें दो परिवार तो ऐसे हैं टाटा और बिड़ला, जिनके पास ३५० इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स हैं और जिन्होंने ५८० करोड़ से बढ़ाकर अपनी संपत्ति को ६०० करोड़ कर लिया है। देश की दौलत ७० फीसदी इन लोगों के हाथ में हैं और ३० फीसदी पूरे राष्ट्र के हाथ में है। यह हमारी विषमता का नग्न चित्र है। जवाहरलाल जी ने यह महसूस किया था और इसीलिये सन् १९४९ में उन्होंने कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में कहा था कि "अभाव गरीबी और असमानता में जनतन्त्र का अस्तित्व अधिक दिनों तक बचाया नहीं जा सकता" उसी तरह की हमारे देश में आज असमानता बढ़ रही है। उससे प्रजातन्त्र को खतरा है उसकी संस्थाओं को खतरा है। आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा कि ढेबर साहब ने चंढीगढ़ में बोलते हुए यह कहा है कि—

"The power of rajas and rulers including the power of Lal Blahadur and Ram Kishan is decreasing whereas the power of industrialists is increasing."

हमारे सूबे की सरकार की नीति पूंजीपति-परस्त है। उसकी नीति पूंजीपतियों को सुविधा देने की, उनको रियायत देने की है उनके ऊपर बकाये टैक्स कम सख्ती के साथ वसूल करने की, और टैक्स को माफ करने की है। श्री कामराज नादर जैसे आदमी, जो सही माने में समाजवादी कांग्रेसी हैं वे धनियों से सावधान रहने को कहते हैं। उन्होंने गोहाटी में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बीच भाषण करते हुए अभी २१ मार्च को कहा कि "मुट्ठी भर स्वार्थी धनियों से हमें सावधान रहना है। ये लोग समाजवाद के रास्ते में सब से बड़े बाधक हैं। उन पर बराबर निगाह रखना चाहिये। ये समाजवाद को मिटा देने पर उतारू हैं। धनी लोगों को यह बात खलती है कि उन्होंने जो दौलत इकट्ठा की है उसमें गरीब भी हिस्सा बंटा लेंगे। ये समझते हैं कि दुनिया की सारी दौलत अपनी मुट्ठी में रखना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दौलत को अपने लज्जा पूर्ण व्यसनों में पानी की तरह बहाते हैं जब कि करोड़ों लोगों की कमर मुसीबत से टूटी जा रही है।" यह बात आप कांग्रेस के अन्दर के एक हिस्से से सुनते हैं। मेनन जी ने केन्द्रीय बजट पर बोलते हुए कहा है कि बजट धनिक लोगों के हितों की रक्षा करने वाला है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने अभी ३, ४ दिन हुए पार्लियामेन्ट में अपने भाषण में यह बात कही है कि :

"The socialism—the only hope for Asia and its principles were being compromised. Wealth is accumulating in the wrong places and society is becoming decadent."

मान्यवर, यह बात इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी जबरदस्त निराशा इस स्थिति से हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें हर प्रदेश और केन्द्र में भी समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हटीं। कांग्रेस सोशलिज्म से रिटायर हुई है। यह प्रारम्भ भुवनेश्वर से ही हो गया है।

मैं अब विषय पर आता हूं। हम आज देखते हैं कि हमारे सूबे के उद्योग की भी यही दशा है। तृतीय योजना में राज्य की योजनाओं पर केवल ८ करोड़ रुपया खर्च प्रस्तावित किया गया है जब कि राज्य में केन्द्रीय योजनाओं पर १९८ करोड़ और २४५ करोड़ रुपया प्राइवेट क्षेत्र में है। कुल का मतलब है कि समाजवाद की प्रगति नहीं है बल्कि निजी उद्योग पर सरकार की कृपा बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सरकार के अन्य विभागों में टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है यहां भी है। पूरे बजट अनुदान के आंकड़ों को देखें तो अधिकारियों का वेतन १९६४–६५ में ४,२०,९०० था, १९६५–६६ में ४,५५,००० है। ३५ हजार की बढ़ती हुई। नान-प्लांड में १९६४–६५ में २७,३८,६२६ था वह १९६४–६५ में २८,९१,१०० हुआ। इस बार ३२,१७,००० है। इसमें टोटल खर्चा बढ़ा है अधिकारियों का वेतन बढ़ने की कोई वजह नहीं है यह तो टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। क्षेत्र अधिकारियों पर भी ४,४५,००० की जगह ४,८५,००० हो गया है। अधिकारियों की सुख-सुविधाओं पर विशेष

[श्री झारखण्डे राय]

ध्यान इसमें भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर जो छात्र-वृत्तियां हैं टेक्निकल एजूकेशन के लिये जिसमें कि इंजीनियर पैदा होंगे टेक्निशियंस पैदा होंगे, जो कि इंडस्ट्री को फिलअप करेंगे उनकी यह हालत है कि १९६३–६४ में १,०८,९०० था १९६४–६५ में ८६,००० हुआ और अब ७८,००० केवल रखा गया है। भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र जो कि सीमान्त अंचल है, जहां बाहरी हमले की संभावना है वहां पहले २,००,२०० खर्च था वह २ लाख ही रह गया यानी थोड़ी कमी ही उसमें भी हो गयी है बजाय बढ़ने के। मिर्जापुर, भदोही में जो ऊनी दरी बनती है, फर्रुखाबाद में जो छपाई होती है आगरे में जो जरी और दरी बनती है, कलात्मक बर्तन जो मुरादाबाद में बनते हैं चिकन का काम जो लखनऊ में होता है इसमें ज्यादा बढ़ती नहीं हुई है। अव्वल तो हुई ही नहीं है, हुई। है तो नहीं के बराबर थोड़ी। बढ़ती एक जगह हुई है वह है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। मैं इसको विधवा संस्था समझता हूं। कुछ ऐसे कांग्रेसी, जो विधायक नहीं बन सकते, जो अन्य कहीं नहीं खपाये जा सकते हैं उनके खाने-पीने और जीने के लिये यह संस्था पूरे देश के पैमाने पर खोल दी गयी है (व्यवधान) मैं बतलाऊंगा, घबराइये नहीं। १९६३–६४ में २,४५,१९५ रुपया दिया गया था। १९६४–६५ में २,६८,९०० और इस साल के बजट में २,६९,०००रुपया रखा गया है। उसमें बढ़ती हुई है। इसमें भी शिकायत यह है कि सरकार के विभागों और उसके उप-विभागों का इस खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कानों में कोई ताल-मेल नहीं है। दोनों में पैरेलज्मि यानी समानान्तरपना है और डुप्लीसिटी की भी शिकायतें मिलती रहीं। आप देखें वही काम सरकारी विभाग कर रहे हैं और वही काम कमीशन भी कर रहा है। आज के अखबारों में भी आपने देखा होगा कि अब सारे प्रदेश में खादी कमीशन वाले कम्युनिटी डेवलपमेन्ट की पैरेलल स्कीम चलायेंगे। गवर्नमेन्ट के पैरेलल खादी ग्राम उद्योग संघ भी सामुदायिक विकास का अपना काम करेगा। कांग्रेस के गिरते हुए प्रभाव को रोकने का खादी कमीशन एक साधन है कांग्रेस जनों के जीने खाने का अड्डा है। गांवों में प्रभावशाली लोगों को चन्द चांदी के टुकड़ों पर खरीदने का यह साधन है, तथा जितने भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं उनका इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है। यह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उद्योग का विकास हुआ है। पूरे बजट के आंकड़ों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि औद्योगिक विकास की उपेक्षा हुई है। पार साल इस पर १,५३,२७,७०० रुपया खर्चा हुआ था, जब कि इस साल १,३२,३८,६०० रुपया ही रखा गया है। यह है औद्योगिक विकास की प्रगति, हथकर्घा उद्योग के विकास की तरफ सरकार की घोर उपेक्षा रही है। पूरे देश में २५ लाख हथकर्घा है डेढ़ सौ करोड़ गज कपड़ा इनके द्वारा तैयार किया जाता है, लगभग ३ करोड़ आदमी इसमें काम करते हैं। हमारे सूबे के करीब ११ लाख व्यक्तियों की जीविका इससे चलती है। प्रदेश की जरूरत का लगभग ३० फीसदी कपड़ा हैन्डलूम द्वारा तैयार होता है। फिर भी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति इस तरफ रही है। कच्चा माल सप्लायी करने में, उन लोगों को टेक्नीकल जानकारी कराने में उनका बना हुआ माल बिकवाने में सरकार द्वारा जो भी प्रयास किये जाने चाहिये, वे नहीं हो रहे हैं। जो हो रहे हैं वे नहीं के बराबर ही हैं। उसके आंकड़े मैं देना चाहता हूं। १९६४–६५ में हथकर्घा उद्योग पर ९,०२,९०० रुपया व्यय हुआ था, १९६५–६६ में ८,६४,००० रुपया रखा गया है। परन्तु खादी पर आप देखें उसमें रुपया ज्यादा खर्च किया गया है। मैं खादी ही आदतन पहनता हूं मगर यह पक्षपातपूर्ण नीति ठीक नहीं है। खादी पर १९६३–६४ में २२,३३,००४ रुपये, १९६४–६५ में २८,९५,८०० रुपये तथा १९६५–६६ में २९,५५,००० रुपये रखे हैं। हैन्डलूम के साथ यह भेद-भाव और उपेक्षा नीति क्यों बरती गयी ?

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में सभी जानते हैं कि वह हमारे प्रदेश में एक प्रमुख राजकीय उद्योग है। इसमें एक ऊष्म सह कारखाना खुलने वाला था, मगर उसको स्थगित कर दिया गया।

लेकिन चुर्क सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों पर, उनके वेतन तथा उनकी सुख सुविधाओं में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है उसके भी मैं आंकड़े देना चाहता हूं। १९६३–६४ में उन पर २,३९,८९९ रुपये, १९६४–६५ में २,४०,००० रुपय व्यय किये गये और १९६५–६६ में २,८९,००० रखे गये हैं। उनकी सुख सुविधायें बढ़ती चली गयी हैं। टोटल व्यय के भी आंकड़े मैं देना चाहता हूं। उसमें भी निरन्तर बढ़ोत्तरी होती चली गयी है। पहले वह ४,३५,१६,२२० रुपये था, उसके बाद ४,६४,४०,९०० रुपये हुआ, उसके बाद वह ५,३३,७९,१०० रुपये हो गया। उसमें बढ़ती हो, उसका अधिक से अधिक विस्तार हो, इसके तो हम पक्ष में हैं, लेकिन इसके साथ हम अधिकारियों की सुविधाओं के बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। उत्पादन, मान्यवर, उस अनुपात में हो नहीं रहा है।

मान्यवर, आप देवरिया जिले के हैं। आपको मालूम है कि प्लानिंग का जो क्रैश प्रोग्राम बन रहा है, वह बेकार जावेगा अगर इसी तरह का रवैया सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों का रहा। बस्ती, देवरिया, गोरखपुर जिले के लिये २० प्रतिशत कोटा वहां से मुश्किल से मिलता है। जब स्टाकिस्ट वहां पहुंचते हैं और अधिकारियों से एप्रोच करते हैं तो कहा जाता है कि प्रायरिटी लिस्ट में यह प्लानिंग कोटा नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि जो पूर्वी जिले पटेल-आयोग के दायरे से बाकी बचे हुए हैं, जिनको कोटा पूरा नहीं मिल पाया है, क्या उनको उनका भाग मिलेगा, या नहीं? अगर यही हालत रही तो क्रैश प्रोग्राम का क्या होगा? प्रायरिटी लिस्ट में प्लानिंग कोटा को नहीं किया गया तो पूर्वी जिलों के क्रैस प्रोग्राम्स भी खटाई में पड़ जावेंगे और पटेल कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं उन पर भी अमल नहीं हो पावेगा। श्रीमन्, अच्छा काम भी हुआ है। तीन सहकारी मिलें खुली हैं और एक और स्वीकार की गई है। उनकी गति जरा तेज होनी चाहिये। कट-थ्रोट कम्पीटीशन हैवी और स्माल इन्डस्ट्री में कम होना चाहिये। चमड़ा, कपड़ा और अन्य उद्योगों में दोनों प्रकार के उद्योगों में यदि समन्वय स्थापित नहीं किया जावेगा तो निश्चित है कि छोटा मर जावेगा और बड़ा ही जिन्दा रहेगा। क्योंकि पूंजीवाद का सिद्धान्त है कि छोटा मिटता है और बड़ा-बड़ा ही होता जाता है। हैन्डलूम की जो दशा हो रही है उससे यह साफ है कि दोनों में समन्वय होना चाहिए, दोनों पूरक की भांति रहें। श्रीमन्, ऐसी स्थिति में मैं यह चाहता हूं कि सरकार जो कर्ज का रुपया देती है उसके प्रापर या उचित यूटीलाईजेशन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। यह अवश्य देखा जाना चाहिये कि रुपया जिस काम के लिये दिया जा रहा है वह उसी काम में लगाया जाय। अगर कर्ज का रुपया लड़की की शादी या बैल खरीदने में या मकान बनाने अथवा कोई कपड़े की दूकान खोलने में खर्च कर लिया जाता रहेगा तो केवल कागजों पर ही उद्योग की प्रगति होगी, उद्योग वहीं के वहीं रहेंगे। वास्तव में कोई प्रगति नहीं हो सकती।

मैं आपका ध्यान पूर्वी जिलों के उद्योगों की तरफ विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में तीन समस्या क्षेत्र हैं—पूर्वी, पर्वतीय और दक्षिणी। पूर्वी अंचल में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा और प्रगति की गति धीमी है। मऊ (आजमगढ़) क्षेत्र में एक सूत की फैक्टरी खुलने वाली थी परन्तु न जाने वह कहां चली गई, कहां उड़ गई, उसे वहां अवश्य खुलनी चाहिए। इधर सिंचाई के नये साधनों की वजह से गन्ने की खेती भी बहुत बढ़ गई है जो दो-२ मिलों के लिये गन्ने की खपत कर सकती हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि इंदारा (आजमगढ़) में एक सहकारी चीनी मिल की व्यवस्था की जावे जिससे वहां के गन्ने की खपत उन्हीं क्षेत्रों में हो जावे। जौनपुर जिले के शाहगंज में हड्डी के उद्योग के विकास की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्वी जिलों की यह भी मांग है कि बड़ी रेलवे लाइन शुरू की जाय। तभी वहां का विकास हो सकता है। गाजीपुर और उजियारघाट में गंगा पर पुल बनने चाहिए। पूर्वी-अंचल में शीशे की फैक्टरी अगर खोल दी जाय तो वहां होने वाले रेल का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलवा पटेल कमीशन की सिफारिशें सभी पूर्वी जिलों में लागू की जाय जिससे पूर्वी अंचल का विकास हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो रहा है।

श्री झारखण्डेराय—

दो मिनट और दे दीजिये।

उद्योग विकास का सीधा सम्बन्ध बेकारी से भी है। उद्योग धंधों के पिछड़ने से ज्यादा बेकारी होगी। बेकारी से सम्बन्धित सूबे के आंकड़े अगर सरकार के पास हैं तो वे कृपया दे दें। वैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बेकारों की संख्या प्रदेश में लगभग ४५–५० लाख थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह ८० लाख हो गई। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में १२० लाख तक पहुंच जाने की सम्भावना है और चौथी योजना के बाद अनुमान है वह १७० लाख तक हो जायगी। बेकारी हमारे देश और सूबे में बढ़ती ही जा रही है इसीलिये कि हम उद्योग धंधों में पिछड़े हुए हैं।

मान्यवर, अन्त में मैं दो चार बातें कह कर समाप्त कर दूंगा। पर्वतीय क्षेत्र भी उद्योग धंधों में पिछड़े हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भोटियाओं का तिब्बती व्यापार खत्म हुआ है जिससे चालीस लाख भोटिया बेकार हो गये हैं। ऊंचाई के इलाकों और नीचे के इलाकों में भी भेड़ पालन का व्यवसाय होना चाहिये। जमींदारी उन्मूलन और ग्राम समाज कानून के बाद चरागाहों का होना खत्म हो गया है। भेड़ें मरती जा रही हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र का विशेष व्यापार था वह ही खत्म होता जा रहा है। उधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। पर्वतीय इलाकों के विकास के लिये भेड़ें भेजिये। उस क्षेत्र में लकड़ी के काम, पेपर मिलों की स्थापना, दूध का कारबार तथा जड़ी-बूटियों के व्यवसाय के कायम करने की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह देखा जाता है कि रा-मैटिरीयल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिये जो नान-टैक्नीकल सरकारी अधिकारी हैं वही इंचार्ज बना दिये गये हैं। सरकारी उच्च अधिकारी "मास्टर आफ आल" समझा जाता है वह "अमृतधारा" समझा जाता है। हर बीमारी में एक ही दवा सरकार की लगती है। कोई काम हो, उसमें आई० ए० एस० और आई० सी० एस० को ही भेजा जाता है इससे विकास की गति रुक जावेगी और रुक रही है। इसलिये जरूरत है कि रा मैटिरीयल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिये जो समझते हैं, कहां उसको जरूरत है, इसके टैक्नीकल अधिकारी हों। वही रा-मैटीरियल के बंटवारे का काम करें। रूल्स और आर्डर्स ऐसे हों जो सबको भली भांति बतला दिये जायं। देहातों और शहरों में इन्डस्ट्रीज खोलने के लिये कौन-कौन से कानून हैं और कौन-कौन से आदेश हैं। ताकि सब लोग उन्हें जानकर उनसे लाभ उठा सकें। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता, सरकार क्या सुविधाएं देती हैं? क्या उनकी क्षमता के अन्दर है तथा किस चीज के लिए वह प्रयास करें। स्टोर परचेज की जिम्मेदारी कुछ लोगों पर है। उसमें जो सैंपिल्स आते हैं उनका क्या होता है, कोई है सरकार के पास रिकार्ड? इस पर भी सरकार की जरूर कड़ी निगाह होनी चाहिए, वरना करप्शन का यह भी एक तरीका बन गया है। उद्योग सहायता हेतु दरख्वास्तें आती हैं, जिनके डिस्पोजल में बहुत देर होती है। गांवों से डाइरेक्टरेट तक, और ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की दौड़ धूप में इतनी देरी होती है कि जिसका ठिकाना नहीं। इसके लिए भी कुछ सरल नियम बनाने होंगे ताकि लोगों को आसानी से सुविधाएं प्राप्त हो सकें। दरख्वास्तों का एक सैम्पिल-सर्वे होना चाहिए कि वह कब पड़ी, कहां देरी हुई, ताकि उन देरी के कारणों को दूर किया जा सके। इसी तरह से पैकेज प्रोग्राम में असिस्टेंस होना चाहिए ताकि सामूहिक विकास उद्योग धंधों का हमारे सूबे में हो सके। ऐसा न होने से जो सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं वे सही जगह नहीं पहुंचती हैं, और अगर पहुंचती हैं, तो उनका असली उपयोग नहीं होता है। इसलिए सही उपयोग हो, सही लोगों के पास जल्दी से पहुंच सकें इसकी ओर सरकार का ध्यान फौरन जाना चाहिए। इस सिलसिले में जो सुझाव मैंने दिया है, अगर उन पर अमल किया जाय तो वह लाभदायक होंगे। अन्त में मैं यह जोर देकर कहूंगा कि खेती के विकास के लिए, मकानों के निर्माण के लिए सीमेंट की जरूरत है और हम जानते हैं कि इसके अभाव में जन-जीवन दूषित हो गया है करप्शन के मारे। इसलिये जरूरी है कि सीमेंट का एक और कारखाना खोला जाय। मिर्जापुर में जो दूसरी फैक्टरी खुलने वाली है, वह जल्दी खुलनी चाहिए। और मैं यह भी चाहूंगा कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कैरो की तरह इस काम में सख्ती होनी चाहिए हमारे सूबे में अगर दो फैक्टरीज सीमेंट

की चुर्क टाइप की बन जायं, तो जनता के और सरकारी कामों के लिए सीमेंट की मांग पूरी हो सकती है। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, जो उद्योग का महत्वपूर्ण अनुदान पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस प्रदेश का औद्योगीकरण सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस माने में कि क्योंकि यहां के जन साधारण का जीवन-स्तर औद्योगीकरण पर ही निर्भर करता है। माननीय झारखंडे राय जी ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। कुछ वह अपनी पार्टी पालिटिक्स की बात ले आये। उन्होंने समाजवाद की बात उसमें पैदा की। मगर मुझे खुशी है कि उन्होंने जो उद्धरण दिया उससे साबित हुआ कि कांग्रेस प्रेसीडेंट और मिसेज पंडित यह सब चाहती हैं कि हमारे देश में समाजवाद बढ़े। केवल उन्होंने एस० के० पाटिल की मिसाल दी। लेकिन यह साबित करता है कि कांग्रेस अपनी जगह एक नेशनल प्लेटफार्म है, जिसमें सभी विचारों के लोग हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, अक्सरियत यह चाहती है कि समाजवाद हो। इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। खादी बोर्ड को उन्होंने बिधवा की संज्ञा दी। उनको यह शक हुआ कि गांव-गांव में जो इसका काम फैलता जा रहा है इससे चुनाव की कोई पृष्ठभूमि बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इकोनामी का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जितनी बेसिक इण्डस्टीज हैं, उनमें पर कैपिटा इन्कम ज्यादा बढ़ने का इमकान कम होता है और इम्प्लायमेंट का पोटेनसियल भी छोटे उद्योग धंधों के मुकाबिले में जितनी उसमें पूंजी लगती है, उसके मुकाबले कम होता है, जब तक छोटे ग्रामीण उद्योग धंधों को गांव में नहीं फैलाएंगे तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए विधवा हो या सधवा हो, उससे वह परेशान न हों। हमें प्रदेश की आर्थिक प्रगति करना है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हमारा प्रदेश यूं भी बहुत पिछड़ा हुआ है और उद्योग धंधों में हिन्दुस्तान में शायद एक दो प्रदेश को छोड़ कर सब से पिछड़ा हुआ है और इसका कारण यह है कि प्रथम और द्वितीय योजना में औद्योगीकरण की प्रगति हमारी बिलकुल नगण्य रही क्योंकि मैंने जो आंकड़े पढ़े द्वितीय योजना तक जो प्रगति का इवैलूयेशन हुआ, उसमें कारखानों की प्रगति, ९ परसेंट और मैन्यूफैक्चर्ज गुड्स की करीब ३ परसेंट होती है। इसमें शक नहीं कि उस माने में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यह भी बात सही है कि जब सारे हिन्दुस्तान की पर कैपिटा इन्कम १७.३ परसेंट बढ़ गई, हमारे प्रदेश की दस साल के अन्दर करीब-करीब अपनी जगह पर स्थिर है, आगे नहीं बढ़ी। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एग्रो इण्डस्ट्रियल वस्तुओं का उत्पादन हमारे प्रदेश में पिछले दस साल में ३ से १० प्रतिशत तक बढ़ा है जब कि अखिल भारतीय ४० से १५० प्रतिशत तक है। इसी तरह से पर कैपिटा इण्डस्ट्रियल आउट-पुट प्रदेश का कम है, जब कि कुछ स्टेट्स का ९५ प्रतिशत आगे बढ़ा है। प्रथम और दूसरी योजना में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है सारे हिन्दुस्तान में ४,९०० करोड़ है जब कि उत्तर प्रदेश का ३०० करोड़ के आसपास का अनुमान किया गया है। यों तो आज कल वैसे अगर आप देखें सारे प्रदेश का कैपिटल मारकेट बड़ा टाइट है। मुश्किल से ८० से १०० करोड़ रुपये तक मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रति साल होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में वह भी कम है। वह मुश्किल से ७–८ करोड़ का औसत आता है।

इसके साथ-साथ दूसरे कारण भी हैं। आप स्वयं जानते हैं प्रथम, द्वितीय और तीसरी योजना में जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हुआ प्रदेश का वह हिन्दुस्तान तथा और प्रदेशों के अनुपात में बहुत कम था। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता पहली दो योजनाओं में ३ परसेंट तक टोटल जो हमारा प्लान था उसका इन्वेस्टमेंट किया और तीसरी योजना में जाकर हमने इसको ५ परसेंट किया। इससे एक बात जरूर साबित होती है कि तीसरी योजना में सही माने में इस प्रदेश के औद्योगीकरण की तरफ हमने अपना कदम बढ़ाया है। अगर उस दृष्टि से देखें, तो काफी प्रगति हमने की। मिसाल के तौर पर अगर आप आंकड़े लें, तो जो फैक्टरीज ऐक्ट के अन्दर इकाईयां बनीं, वह ६२ में २,५७२ थीं १९६३ में २,६३३ और १९६४ में २,९०० बढ़ गईं। छोटी इकाइयां जो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बनीं, उनकी संख्या १९६३ में ५,३१० थीं, और १९६४ में यह संख्या ९,००० तक पहुंच गई।

[श्री नवलकिशोर]

इम्प्लायमेंट की फीगर्स आप लें, तो आप पायेंगे कि १९५९ में २,१५,१५१ व्यक्ति कारखानों में लगे थे जब कि १९६३ में यह संख्या बढ़ कर २,६७,३४४ हो गई। इसी प्रकार उत्पादन में १९५९ में २११.२ करोड़ था वह बढ़ कर १९६३ में ३४५ करोड़ हो गया। इस तरह अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति हुई और प्रदेश आगे बढ़ा है मगर—इसका दूसरा पहलू यह भी है कि प्रदेश की आबादी सात करोड़ से ज्यादा है। उसको देखते हुए हम जब भारत की पृष्ठभूमि में देखते हैं तो हमारी स्थिति काफी गम्भीर है। मैंने देखा कि इण्डस्ट्री और माइनिंग में यू० पी० में २.७४ आता है जब कि इसी उद्योग में वह और स्टेट्स में ४.९ है। करीब-करीब दुगुना हो गया। १९५६ में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठी थी। उसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी थी कि २० बड़े और मीडियम टाइप के उद्योग खोले जायं और ३१ छोटी इण्डस्ट्रीज खोली जायं। इसमें २५० करोड़ रुपया लगने की बात थी और १,२०,००० आदमियों को एम्प्लायमेंट मिलने का अन्दाजा था। मैं नहीं जानता कि उस दिशा में क्या किया गया है।

इसके अलावा १९६० में हैवी इण्डस्ट्रीज प्लान कमेटी बनी थी उसने उत्तर प्रदेश में उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिये अन्दाजा लगाया गया था और यह बताया गया था कि १,१२६ करोड़ रुपया उसमें प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट होना चाहिए मगर यह भी उम्मीद की ही शक्ल में है। इसी प्रकार आपके डायरेक्टोरेट ने भी एक प्लान बनायी थी जिसमें ७५० करोड़ रुपये के खर्चे की बात थी। इसमें से ३५० करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर में खर्च होना था, ३५० करोड़ प्राईवेट सेक्टर में और ५० करोड़ छोटे उद्योग धंधों में। मैं नहीं जानता कि सरकार इसको भी कहां तक कार्यान्वित करना चाहती है। मैंने अखबारों में बढ़ा था कि एक वर्किंग ग्रुप यहां आया था। जिसने यह बताया था कि इस प्रदेश के इण्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये ६०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें से १७६ करोड़ रुपया सेन्टर दे, १५२ करोड़ स्टेट लगाये और १९७ करोड़ प्राइवेट सेक्टर में लगे और ७५ करोड़ रुपया विलेज एण्ड स्माल स्केल इन्डस्ट्री में खर्च हो। मैं यही आशा कर सकता हूं कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी।

इस सम्बन्ध में पी० ए० सी० की एक सब कमेटी भी बनायी गयी थी, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की जायगी। लेकिन इस समय मैं कुछ बात कह देना चाहता हूं। माननीय झारखन्डे राय जी ने भी उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस समय हमारे सामने दो प्रश्न हैं। एक तो उनका जो इन्डस्ट्रीज हमारे यहां चल रही हैं और दूसरी वे जो आगे खुलने वाली हैं। चलने वाली इन्डस्ट्रीज में हमारे यहां टैक्स्टाइल और शुगर की इन्डस्ट्रीज हैं। आगरा व हाथरस में टैक्स्टाइल की ७ फैक्ट्री बन्द हो गयीं और कानपुर में बन्द होने वाली थीं लेकिन बच गयीं। इस समय सब से बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने है वह यह है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का एटीटयूड उत्तर प्रदेश के साथ स्टेप मदरली है। यह बात सही भी न हो तो भी उत्तर प्रदेश की आबादी तथा आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का जो रुख उत्तर प्रदेश के साथ होना चाहिये, वह नहीं है। जितनी भी फाइन काटन आती है वह बाम्बे और अहमदाबाद को दी जाती है। हमारे यहां टैक्स्टाइल इन्डस्ट्री का प्रोडक्शन अनुपातत: काफी घट गया है। चीनी की भी हालत यही है कि जब कि हम पहले ६० प्रतिशत पैदा करते थे अब केवल ४० प्रतिशत ही करते हैं। ये सब बात मैं सरकार से उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये कह देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में उनकी क्या कठिनाइयां हैं, वह मैं नहीं जानता।

मान्यवर, सरकार ने करीब-करीब हर जिले में एक-एक इन्डस्ट्रियल स्टेट बना दी है। यद्यपि मैं इस मत का नहीं हूं कि बिना इस बात को देखे हुए कि वहां उसका पोटेन्शियल है या नहीं, उसको बना दिया जाय। फिर भी मैंने इस बात को देखा कि उन लोगों को रा-मेटीरियल की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनकी मांग का केवल १०—१५ प्रतिशत ही मिल पाता है। नयी की बात को तो छोड़ दीजिये, पुरानी जो इन्डस्ट्रीज हैं उनको भी १०—१५ प्रतिशत ही उनकी मांग का रा-मेटीरियल मिल पाता है। मेरा विचार है कि सरकार को लाइसेंसिंग में कुछ तब्दीली करनी चाहिये

सरकार को उन चीजों के लाइसेंस देने चाहिये जिसके लिये सामान बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर आप किसी से वायदा करते हैं और फिर वह सामान उसको मिलता नहीं है और उसका रुपया भी उसमें ब्लाक हो जाता है तो उसको दिक्कत होती है।

झारखंडेराय जी ने कहा कि डायरेक्टोरेट में १०–१५ हजार रुपये के खर्चे की बढ़ोत्तरी हो गयी। इतनी तो ग्रेड ही बढ़ जाती है। आपकी डायरेक्टोरेट का जो टेक्नीकल सेल है, उसका काम ना के बराबर है। जितने भी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से मेरी बातें हुई उनमें एक भी आदमी मुझे ऐसा न मिला जिसने यह बताया हो कि इस डायरेक्टोरेट की कुछ यूटीलिटी है। जो चिट्टी भेजी जाती है उसका जवाब बहुत देर में आता है। इस विभाग का वही पुराना ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच है। इस इन्डस्टीज विभाग का जब तक हर तरह कंसेन्ट्रेटेड एफर्ट न होगा, तब तक काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। यही नहीं, डाइरेक्टोरेट के अलावा एक दो और उदाहरण दिये गये। आपके डाइरेक्टर ने अपनी सरकार के लिये एक इंडस्ट्रियल प्लान भेजा। आज करीब ११ महीने हो गये, लेकिन उनको यह पता तक नहीं है कि उनके उस प्लान के ऊपर कोई बातचीत होगी या नहीं। इस तरह की कई और बातें भी हैं एक हस्तिनापुर की स्पीनिंग फैक्टरी है जिसको केन्द्रीय सरकार ने ६७ लाख रुपये देने का वादा किया था, परन्तु एक साल हो गया, पहली किस्त भी उनको आपके यहां से नहीं मिल पायी है। तो इस प्रकार की कई बातें हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो जो ऐप्रोच है, उस एप्रोच में आमूल परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है।

एक बात मैं सेल्स टैक्स के बारे में कह दूं। हमारे यहां रेयन फैक्टरी है मगर फिर भी माल हमारे यहां बंगाल से आता है जब कि यहां का माल बाहर चला जाता है। इसका कारण यह है कि इंटर स्टेट सेल्स टैक्स २ परसेंट है जब कि उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स ७ परसेंट है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड हमारे यहां इस्तेमाल के लिये बम्बई से आता है और यहां का बना बाहर जाता है, इसका भी कारण यही है कि इंटर स्टेट सेल्स टैक्स २ परसेंट है जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स ७ परसेंट है। तो अगर हमें अपने यहां इंडस्ट्रिअल डेवलपमेंट करना है तो केवल एक डिपार्टमेंट की ही बात नहीं है बल्कि चारों तरफ से उद्योग के लिये उनको फैसिलिटी देनी होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि बिजली के क्षेत्र में सरकार ने इस तरह की कुछ फैसिलीटीज दी हैं। लोन व ग्रान्ट के सिलसिले में भी कानून में कुछ तब्दीली हुई है। मुझे बतलाया गया है कि जहां तक डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, वह तरीका भी बड़ा डिफेक्टिव है। मेरे पास सरकारी इन्फारमेशन है कि करीब-करीब ४० परसेंट का उसके अन्दर मिस्यूज होता है जिसमें से २० परसेंट तो जान बूझ कर और २० परसेंट, परिस्थितियों की वजह से होता है। इन सारी बातों में न जाकर मैं मद्रास का एक उदाहरण देना चाहता हूं।

मद्रास के अन्दर एक स्कीम बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत ५० करोड़ रुपयों के शेयर्स उन्होंने अंडर-राइट करने का निश्चय किया है। उसके ऊपर वे १ या २ परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं। वह फंड इसलिये बनाया गया है कि इसमें यदि कोई हानि हो तो उसको पूरा कर सकेंगे। तो मद्रास के पैटर्न पर ही इस प्रदेश में १००–१५० करोड़ रुपये के शेयर्स अन्डर राइट करने की स्कीम बननी चाहिये और कमीशन से एक फंड बना देना चाहिये। क्योंकि हमारे यहां बहुत सी टैक्सटाइल व शुगर मिलें हैं जिनकी मशीनरी को माडरनाइज करने के लिये और उनको पुनःस्थापित करने के लिये ही १००–१५० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह से सरकार के बिना पैसा लगाये भी प्राइवेट कम्पनी वालों का काम चल सकता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इस पर ध्यान दे और मद्रास पैटर्न को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यूं तो हमारे यहां तीन कारपोरेशन्स काम कर रही हैं मगर उसका कार्य-संचालन बहुत कुछ विभागीय तौर पर ही होता है। उनको स्वतंत्र व्यवसायिक ढंग से चलना चाहिये।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें जो इंडस्ट्री दी है उसके लिये उनको शुक्रिया है। उनके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन, एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि जितना भी काम हुआ, वह ठीक है लेकिन अगर हमें अपने प्रदेश को

[श्री नवलकिशोर]

आगे बढ़ाना है तो उसके लिये एक ही रास्ता है कि फर्स्ट प्रायरिटीज इन्डस्ट्रीज को दी जाय और इसके लिये जो कारपोरेशन बना है उनको सही माने में आटोनोमस कामर्शियल कारपोरेशन की तरफ से काम करने दिया जाय, इस्तेमाल किया जाय। इस तरह का भी एक आर्डर बनाने का प्रबन्ध किया जाय जिससे कि हमारी फैक्टरीज को ट्रेन्ड परसोनेल बराबर मिलते रहें।

*श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो उद्योग के अनुदान के ऊपर कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी-अभी दो वक्ताओं ने अपने प्रदेश की स्थिति को बारे में बताया। सच बात तो यह है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग को बढ़ाने के लिये जो प्रयास किये जा सकते थे वे नहीं हुये और तीसरी पंचवर्षीय योजना का भी अन्तिम चरण चल रहा है, लेकिन उद्योग की दृष्टि से हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि आज वह सारे देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यह अनिवार्य सत्य है कि जब तक अपने प्रदेश में उद्योगों की वृद्धि नहीं की जायगी तब तक इस प्रदेश की गरीबी का अन्त नहीं हो सकेगा। दो प्रकार के उद्योग हमारे यहां हैं, एक तो बड़े उद्योग और दूसरे छोटे उद्योग। बड़े उद्योगों की ओर जो दृष्टिकोण इस सरकार का था और है वह यह है कि पश्चिम की नकल की जाय और बड़े-बड़े उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाय, लेकिन जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने बताया कि जिस प्रकार की सहायता केन्द्र से मिलना चाहिये उसका और उस प्रकार के सहयोग का अभाव ही रहा है और इसी कारण से प्रदेश में बड़े उद्योग भी खड़े नहीं किये जा सके।

तो जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध था इस तरह से हम उनमें असफल रहे, लेकिन हम तो ग्रामीण उद्योगों में भी काफी पिछड़े हैं और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। पहली योजना में और दूसरी योजना में भी हम बड़े उद्योगों या ग्रामीण उद्योगों की दौड़ में पीछे रह गये। ग्रामीण उद्योगों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बहुत से लोगों को काम मिल जाता है और बेकारी कम होती है। आज देहातों में हालत यह है कि वहां के बहुत से लोग गांव छोड़ कर शहर में रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं और वहां फुटपाथों पर अमानवीय जीवन बिताने पर बाध्य होते हैं। गांवों की आबादी धीरे-धीरे उजड़ रही है और उस से शहरों पर भी अधिक बोझ पड़ता जाता है। अपना सूबा बहुत बड़ी आबादी का सूबा है और इसका कृषि पर बहुत अधिक भार है। यदि हम इस भार को कम करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रदेश में लघु उद्योग धंधों को चलाने के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगानी होगी। पूर्वी जिलों की गरीबी को मिटाने के लिये पटेल आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसकी सिफारिशों में कुछ उद्योगों की सिफारिश की गई है कि वहां वह खोले जायं। जौनपुर में कालीन उद्योग खोलने की सिफारिश पटेल कमीशन ने की है। वहां पर एक सेन्टर है, जौनपुर जिले में पश्चिम में जहां पर कालीन बनते हैं और भदोही के कालीन तो विदेशों तक जाते हैं जिस से लाखों रुपये की मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु उसमें होता यह है कि अपने जिले में सन् ५९ से आज तक ६३ लाख रुपया इस उद्योग के लिये दिया गया, लेकिन अभी तक ५० प्रतिशत से अधिक रुपया लेकर लोग घरों पर बैठ गये और कोई काम आरम्भ नहीं किया गया। बहुत सा रुपया गलत ढंग से व्यय हुआ है और उद्योग के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उद्योगों को बढ़ाने के लिये वह विचार करें और वहां पर एक कारपोरेशन के रूप में या कोई सहायक समिति कायम करके उनके द्वारा उद्योगों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें।

इसी तरह से लघु उद्योग धंधों के आरम्भ करने में जो धांधली होती है उसके बारे में भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी शिकायत है कि ऐसे लोगों को ऋण दिया जाता है जो उस उद्योग के विषय में कुछ नहीं जानते। मैं मंत्री जी को बता दूं कि चूना, भट्ठी और

---

*गमता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुतली, टाट उद्योग के लिये जौनपुर जिले में कई लाख रुपया बांटा गया, लेकिन वहां कोई उद्योग खड़ा नहीं किया गया। जिस से वहां लोगों को कुछ काम मिलता है। मैं सुझाव दूंगा कि जब आप लघु उद्योगों के लिये ऋण देते हैं तो आप उनको ऋण दें जो कुछ काम कर सकें। आपके जो उद्योग अधिकारी नियुक्त हों उसको भी बता दें कि जो व्यक्ति इस काम को कर सकें और जो पहले से ही कुछ उद्योग धंधे का काम कर रहा हो उसे ही रुपया दिया जाय अन्यथा, जो रुपया आप देते हैं उसे उद्योग के नाम पर, वह खा जाता है। जब कभी रिकवरी के आर्डर्स जाते हैं तब वह कुछ रुपया दे देता है और टाल देता है। जिस प्रकार श्रीमन्, बीज लेकर कोई व्यक्ति उसका उपयोग न करे बल्कि खा जाय तो जिस प्रकार अन्य सामाजिक अपराध है, उसी प्रकार वह भी सामाजिक अपराध है जो उद्योग धंधों के लिये ऋण ले कर उसमें न लगाये।

इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि जो रुपया लघु उद्योगों के लिये ऋण के लिये दिया जाय उसका उपयोग ठीक ढंग से हो।

कानपुर में आपने एक जी० टी० आई० नामक जो संस्था खोल रखी है और इसके द्वारा सारे प्रदेश का मार्ग दर्शन होता रहता है परन्तु उसके अन्दर जो आजकल निदेशक नियुक्त किये हुए हैं, उनके पक्षपात के रवैये से बड़ी धांधली चल रही है। जो योग्य विद्यार्थी होते हैं उनको दाखिल नहीं किया जाता है परन्तु जो अयोग्य विद्यार्थी आते हैं उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। इस से शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसके लिये एक जांच कमेटी बैठाये जो प्रदेश की इस संस्था में गिरते हुये स्तर को रोकने के लिये प्रयास कर सके।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिय सरकार प्रयत्नशील है वह बहुत भ्रमपूर्ण है। आप इस दिशा में सफल नहीं हो रहे हैं। इसके लिये आपको पूर्ण रूप से एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। इस पर फिर से विचार करना होगा कि किस तरह से हम इस प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ा सकेंगे। आज तक की जो प्रगति है, उस से स्पष्ट है कि आप इस मामले में पूर्णतः असफल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं उद्योग धंधे प्रदेश के बढ़ें, गरीबी मिटे, बेरोजगारी दूर हो, तो इस पर आपको नये ढंग से विचार करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उद्योग किसी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। यदि हमें किसी प्रदेश की प्रगति को नापना है तो उसका मापदंड उस प्रदेश के उद्योग की प्रगति से ही आंका जा सकता है। मान्यवर, इस बात को कहते हुये मुझे दुःख है कि अगर हम उस मापदंड से अपने प्रदेश के उद्योग की प्रगति को आंकें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम सारे देश में आज पीछे हैं और उससे भी चिन्ताजनक बात यह है कि वह हमारा पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में करीब ८० प्रतिशत व्यक्तियों का बोझ जमीन के ऊपर है और जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ केवल जमीन पर हो वह प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता इसलिये आज देश को अगर बढ़ाना है तो हमें वह उपाय सोचना होगा हमारी जिससे प्रगति तेज हो सके।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

मान्यवर हमारा पिछड़ापन बड़े उद्योगों, बीच के उद्योगों या छोटे उद्योगों में से किसी एक वर्ग के उद्योग से नहीं है बल्कि यह चौमुखी है। हम तीनों ही दिशा में पीछे हैं। जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे प्रदेश के महत्व, हमारे प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

की जनसंख्या और इसकी आवश्यकताओं की अवहेलना होती रही है। उसके अनुपात में जो हमको एलोकेशंस होने चाहिये थे तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में उनसे हम वंचित रहे और बड़े प्रयत्नों के बाद हम को दो तीन बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में और दो-तीन पब्लिक सेक्टर में खोलने की इजाजत मिली और इस प्रकार इस दिशा में हम कोई प्रगति नहीं कर सके हैं जब कि हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और लग रहे हैं। यह भी एक चिन्ता का विषय है। केन्द्रीय सरकार से इस सदन के अन्दर और बाहर अपनी आवाज द्वारा हमको प्रभाव डालना चाहिये कि हमको हमारे अधिकार मिलने चाहिये और प्रदेश की आवश्यकतानुसार एलोकेशंस मिलें और वे इंडस्ट्रीज हमारे यहां पनपें।

बेरोजगारी की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है जो एक ज्वलंत रूप में हमारे सामने उपस्थित है, जिसकी भयंकर ज्वालायें हर जगह प्रज्वलित होती दिखाई देती हैं उनसे बचने के लिये जरूरत है कि छोटे उद्योग उन्नति करें। जितनी बेरोजगारी हमारे प्रदेश में है वह एक चिन्ता का विषय है और इतनी बेरोजगारी प्रदेश में रहते हुये कोई सरकार और समाज सुख की नींद सो नहीं सकते और अगर इसका निराकरण हो सकता है तो छोटे उद्योगों की उन्नति से ही हो सकता है। छोटे उद्योगों की तालिका को यदि हम देखें तो किताब में बड़ी लम्बी तालिका लगती है और ऐसा लगता है कि कोई यत्न इस दिशा में बाकी नहीं रहा। मैं मानता हूं कि प्रयत्न हो रहे हैं। जिन आदमियों के हाथ में यह कार्य होगा स्वभावतः उनकी इच्छा होगी कि छोटे उद्योग पनपें। मुख्य मंत्री जी विशेषतया छोटे उद्योगों से लगाव रखती रहीं हैं अपने सामाजिक जीवन में, इसलिये उनकी स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिये। लेकिन इन सारी इच्छाओं के होते हुए हम प्रगति की ओर न बढ़ सकें तो फिर एक चिन्ता का विषय हो जाता है।

मुख्य कारण इसके दो, तीन दिखाई पड़ते हैं। एक तो यह कि अपने पड़ोसी प्रदेश पंजाब को ले लें। वहां हमारे प्रदेश से जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन वहां छोटे उद्योगों ने बड़ी उन्नति की है। मैं मान सकता हूं कि उसका एक कारण यह हो सकता है कि वहां का रहने वाला ज्यादा परिश्रमी है, ज्यादा साहसी है। लेकिन यह मानने के लिये तैयार नहीं कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला देश के हर सूबे में रहने वाले से पीछे हैं और वह किसी की भी बराबरी नहीं कर सकता। जिन प्रदेशों ने लघु उद्योगों में उन्नति की है वहां के उद्योग विभाग की यह एप्रोच रही है कि जब कोई व्यक्ति किसी नये उद्योग को लगाने की इच्छा करता है और आगे कदम बढ़ाता है तो उद्योग विभाग उस के पीछे जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी तथा हमारे उप-मंत्री जी जो एक साहसी युवक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उनको एक स्लोगन देना होगा कि आज तक उद्योगपति उद्योग विभाग के पीछे रहे और अब उद्योग-पतियों के पीछे उद्योग विभाग रहेगा। उद्योगपति शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है उसका गलत अर्थ राय साहब न समझ जायं। मेरा तात्पर्य नये उद्योगों से है। नये उद्योग जो लगें उनके पीछे उद्योग विभाग को रहना चाहिये। आज तक जो कुछ हमने इस दिश में किया है वह सीमित रहा है जैसे कुछ लोन्स दे दिये, कुछ ग्रान्ट्स दे दीं, लेकिन ऐसा करने से उस को हम निश्चित प्रगति के पथ पर लाना नहीं कह सकते। उन को हमको टेक्निकल एसिस्टेंस देना होगा। माननीय नवल किशोर जी ने वास्तव में विस्तृत आंकड़े दे कर सिद्ध कर दिया इसलिये मैंने इस बात पर समय नहीं लगाया। हमारा प्रदेश देश में पिछड़ा हुआ है। आज सब से बड़ी कमी यह है कि हमारे यहां टेक्नीकल असिस्टेंट नगण्य है। वास्तव में प्रदेश के किसी व्यक्ति के दिल में यह-आस्था पैदा नहीं हो पाई है कि इंडस्ट्री विभाग से टेक्नीकल असिस्टेंस मिल सकती है। यह हमारा दुर्भाग्य है। यदि यह आस्था लोगों के दिलों में पैदा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समय की परिधि को देखते हुये मैं दो-एक बातें संकेत में ही कहूंगा।

मैं एक पुरानी बात दुहराना चाहता हूं कि यदि कांटेज इंडस्ट्री की उन्नति सरकार को करनी है तो उसका दायित्व एक अलग अधिकारी को देना होगा। जो बड़े अधिकारी बड़ी इंडस्ट्रीज और लघु-उद्योग दोनों को एक साथ देखने का दायित्व अपने कंधों पर रखते हैं तो वही बात होती है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी तरह से बड़ी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स छोटी इंडस्ट्रीज को समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि लघु उद्योग बढ़ नहीं पाते हैं। मैंने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय 'गुप्ता जी' से प्रार्थना की थी और उन्होंने उसको माना भी था कि लघु उद्योगों के लिये न सिर्फ सेपरेट डायरेक्टोरेट होना चाहिये, बल्कि इसके लिये सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिये। यह इतनी बड़ी समस्या है कि इस पर ही हमारे प्रदेश का आधार है।

मान्यवर, रा-मेटीरियल और कच्चे माल की उपलब्धि न होने का एक कारण है। हमारी प्रगति पथ पर बाधक इसके लिये यह है कि पंजाब के मुकाबले में कम मिलता है। दूसरे सूबों के मुकाबले में कम मिलता है हमारे प्रदेश के मुकबले में पंजाब की आबादी एक तिहाई है फिर भी उस को रा-मेटीरियल और कच्चा माल हमारे मुकाबले में ज्यादा मिलता है। लेकिन जो कुछ मिलता है उसका एलाटमेंट ठीक है। यह भी आवश्यक है और इसलिये मैं मांग करूंगा कि जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिये तिमाही या छमाही पुस्तिका निकलती है, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एलाटमेंट कैसे होता है, क्या सिद्धान्त है, लोन्स और ग्रांट्स किस आधार पर मिलती हैं, इसको तिमाही और छमाही पुस्तिका के रूप में छपवाने की कृपा करें। शिक्षा-मंत्री ने इस ओर कदम उठाया है जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी और जनता को आसानी होगी।

मान्यवर, इसके बाद यटिलाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय नवल किशोर जी ने कहा था कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ४० परसेंट मिसयूटिलाइजेशन होता है, ग्रांट्स और लोन्स का। मैं कहता हूं कि गैर सरकारी आंकड़े जो सरकारी आंकड़ों की तरह से ही हैं और सरकारी मंत्रियों द्वारा जांच की हुई सैम्पिल सर्वे बताती है कि ६० से ७० प्रतिशत तक मिसयूटिलाइजेशन होता है। उसी प्रकार कुछ टेस्ट टेकिंग के तौर पर ६/७ आइटम्स मेरे सुपुर्द थे, उनके आधार पर मैं कहता हूं कि ६० से ७० प्रतिशत तक होता है। यह बड़ी चिन्ता की बात है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां फालो-अप नहीं है। हमारे यहां डेवलपमेंट आफिसर होना चाहिये जिसका काम हो कि लोन्स देने के बाद वह देखे कि यूनिट कैसे काम कर रही है और क्या प्रगति है।

मान्यवर, एक शब्द यदि स्टेट खादी बोर्ड के बारे में मैं न कहूं, जैसे कि एक मित्र ने इसको विधवा की संज्ञा दी और एक मित्र ने कटौती के प्रस्ताव में भी दिया हुआ है उधर के बैठने वालों में से तो मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा। उस कटौती के प्रस्ताव से मुझे कोई ताज्जुब नहीं है क्योंकि उस में जो कुछ शिकायतें हैं उसका आधार है। लेकिन श्री राय साहब के मुख से, उस की आलोचना से दुःख और ताज्जुब मुझे अवश्य हुआ। हमारे प्रदेश में जो हम रोज मांग करते हैं कि नान आफिशियल बाडी को प्रबन्ध सौंपा जाये, वह दायित्व उठावें, वितरण का काम करें और प्रगति के लिये वे आगे बढ़ें, इस उद्देश्य से उनका विचार सर्वथा भिन्न है। खादी बोर्ड एक स्टेटुटरी बाडी है, उसको जो पावर प्रदेश में मिली हुई है वह सारे प्रदेशों के खादी बोर्ड से कम हैं ज्यादा नहीं। इस पर यदि माननीय राय जैसे व्यक्ति हों, जिनका मैं आदर करता हूं, कोई भ्रान्ति हो जाये, तो वह न सिर्फ इस सदन के लिये इस बोर्ड के लिये, बल्कि सब के लिये एक दुख की बात है। मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि उसमें लगे हुये व्यक्ति, अच्छे और बुरे सभी जगह होते हैं, अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो निःस्वार्थ सेवी हैं, जो बड़ी लगन से सेवा कर रहे हैं। उनको और किसी माने में देखना मैं समझता हूं यह उनके साथ ही नहीं, समस्त संस्था के साथ अन्याय है। उन्होंने ६२–६३, ६३–५४ और ६४–६५ का जिक्र करते हुये कहा कि खादी बोर्ड का एलाटमेंट कैसे बढ़ा। खादी बोर्ड की स्थापना हुये हमारे प्रदेश में बहुत समय नहीं हुआ, पहले और दूसरे वर्ष में

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

उसका एलाटमेंट कम था, उस को जो रुपया मिलता है वह प्रदेश के माध्यम से सेन्ट्रल से मिलता है। खादी का कार्य एक पवित्र कार्य है और इसके साथ इस देश की भावनाएं संलग्न हैं। स्वयं राय साहब ने जैसा कहा वह भी खादी पहनते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण, कार्य और उद्देश्य के लिये जैसा कि खादी का महत्व है, उसे देखते हुये खादी के लिये, खादी की संस्था के लिये, खादी में लगे व्यक्तियों के लिये, यदि कुछ पक्ष की भावना है तो वह भी उचित ही है, जो कि होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और खासकर रायसाहब की कटौती का कि उन्होंने केवल एक रुपया छोड़ दिया उनके लिये।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश और प्रदेश खेतिहर है। यहां पर जमीन पर बोझ ज्यादा है। अगर जमीन का बोझ हमें कम करना है, तो हमें औद्योगीकरण की ओर आगे बढ़ना चाहिये। औद्योगीकरण के फैलाव के लिये पूंजी की जरूरत है। माननीय मंत्री जी जब प्रस्ताव कर रहे थे, तो उस समय पूंजी की कमी की तरफ उन्होंने संकेत किया था। उपाध्यक्ष महोदय, समय आ गया है कि जिस तरह से जमींदारी खत्म कर के हमने किसानों को ऊपर उठाने का रास्ता निकाला था, उसी तरह से चीनी मिलों और कपड़ा मिलों का हमें राष्ट्रीयकरण करना चाहिये साहस के साथ, हिम्मत के साथ। अभी माननीय नवलकिशोर जी ने बताया था कि वस्त्र मिलों की हालत अच्छी नहीं है। इसका कारण यही है कि उसमें जो फायदा हुआ, वह मालिकों ने अपने निजी लाभ के लिये इस्तेमाल किया, मिलों का अभिनवीकरण नहीं किया। आज उसमें संकट है। इसी तरह से चीनी मिलों का भी हाल है। चीनी का, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में सब से बड़ा धंधा है और वह चीनी मिलें आज जितना फायदा कमाती हैं, उसका सारा फायदा लोगों के निजी खर्चे में जाता है और मिलों की जो मशीनें हैं, वह सब पुरानी हैं और घिसती चली जा रही हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश का बहुत ही नुक्सान हुआ है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मांग करूंगा कि अब यह अवसर है कि राष्ट्रीयकरण उन मिलों का किया जाय और इससे जो लाभ है वह पूंजी बनाने में इस्तेमाल हो। हम समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं और राष्ट्रीयकरण समाजवाद का एक आवश्यक अंग है। इसी के द्वारा हम समाज में बराबरी भी ला सकते हैं और कारखानों के राष्ट्रीयकरण के जरिये से हम समाज में सुविधायें भी फैला सकते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जाय।

दूसरी बात जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करना है वह यह है कि अपने प्रदेश में सीमेंट की फैक्टरी कायम की जा सकती है और उसे खोला जाना चाहिये। इस देश में और अपने सूबे में भी सीमेंट का बहुत अभाव है और उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र में चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी खुली हुई है, यह देखना है कि उसमें हमें कितना फायदा होता है कच्चा माल प्रदेश का है तो फिर हमें इस कारखाने के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पूंजी बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

एक बात और ध्यान देने की है। महंगाई बढ़ रही है और उसको रोकने में हमारे सार्वजनिक कारखाने बहुत ज्यादा योग दे सकते हैं, शर्त यह है कि हमारी मूल्य नीति निर्धारित हो। कारखानों का तैयार माल अगर सौ रुपये में बाजार में बिकता है तो ४० रुपया सामान तैयारी में लगता है, ३० रुपया सरकारी टैक्सों में जाता है, २० रुपया मुनाफे में आता है और १० रु० बरबादी में जाता है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि जो माल मिलों में तैयार होता है उसका मूल्य तैयारी लागत के डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिये। तो हमारी ऐसी मूल्य नीति हो जिससे हमारा माल सस्ता बाजार में पहुंच जाय। जो डेढ़ गुनी बात मैंने कही है उसी के अन्दर सारा टैक्स और खर्चा शामिल होना चाहिये। श्रीमन्, हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है और इनको दूर

करने के लिये छोटे छोटे धंधों, कुटीर धंधों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। अभी यह बतायागया है कि जो हथकरघे हैं इससे काफी कपड़ा तैयार होता है और इनको ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये। इसी तरह से खादी उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। ताड़ का गुड़ बनाया जा सकता है, ताड़ी पीकर नशे की आदत लोगों में पड़ती है, अगर इसको रोकना है तो ताड़ का गुड़ बनाया जाय और नया धंधा पैदा किया जाय। अगर हमें अपने देश और प्रदेश की गरीबी दूर करना है तो हमको छोटे धंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिये।

परसों बुढ़वल शक्कर मिल, बाराबंकी में जो हमारे क्षेत्र में पड़ती है वहां पर बिजली का इंजिन टूट गया और इससे उस मिल के फाटक पर ५-६सौ बैलगाड़ियां गन्ने से लदी खड़ी हैं, वहां के किसान परेशान हैं और पूरे इलाके में एक भयावह स्थिति पैदा हो गयी है लोग परेशान हैं और मिल बन्द पड़ी है। तो श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि वे बुढ़वल मिल के लिये जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था करें जिससे मिल चालू हो और साथ ही साथ जो वहां पर गन्ने की गाड़ियां खड़ी हैं उनको तुरन्त तुलवाने की व्यवस्था की जाय जिससे किसानों की तकलीफ दूर हो।

श्रीमन्, अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम औद्योगीकरण की तरफ बढ़ें तो हमें सबसे पहले गांव गांव बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये, क्योंकि बिजली की व्यवस्था बहुत जरूरी है। औद्योगीकरण के लिये बिजली की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा सब से पहले ध्यान यह होना चाहिये कि गांव गांव बिजली पहुंचाई जाय जिससे छोटे-छोटे उद्योग धंधों के चलने में मदद मिले। देहात में जो आप औद्योगीकरण के लिये कर्जा बांटते हैं उसका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता है। तो हम ऐसी कोशिश करें जिससे उसका सही सही उपयोग हो और उसका दुरुपयोग रोका जाय। कर्जा लेने में भी बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि तहसीलदार के यहां दौड़ना पड़ता है और कई जगह अपनी हैसियत को तसदीक कराना पड़ता है और साथ ही उद्योग कार्यालय में भी दौड़ना पड़ता है। इसलिये उस दौड़ धूप में भी काफी पैसा खर्च हो जाता है और जो गरीबों को सहायता कर्जे के रूप में मिलनी होती है वह सही रूप में नहीं मिल पाती है। इसलिये वहां ऐसा सुधार होना चाहिये जिससे कर्जा मिलने में जल्दी हो और साथ ही साथ दौड़ धूप न करना पड़े। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बहुत सी मुफीद बातें कहीं, लेकिन उनके भाषण का जो सार था वह यह था कि हम पूंजीपतियों के कन्धे पर चल रहे हैं और समाजवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं राय साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी अनुदान के लिये समालोचना की जाय तो जिन नीतियों के अन्तर्गत वह अनुदान प्रस्तुत किया गया है, जिन सिद्धान्तों को समक्ष रखकर वह अनुदान रखा गया है उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर समालोचना की जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। केवल अपनी पार्टी की नीति को सामने रखकर या उसकी निगाह से यदि कुछ कहा जाय तो वह संगत समालोचना नहीं होगी। आप जानते हैं कि हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था को स्वीकार किया है। राय साहब स्वीकार करेंगे कि औद्योगीकरण के अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिये यह आवश्यक होता है कि निजी पूंजी अधिक से अधिक विकास में आ जाय। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि वह पूंजी प्रकट हो जाय तभी राष्ट्रीयकरण का अवसर मिलेगा। जिस आर्थिक स्थिति में आज हमारा प्रदेश है उसमें निश्चय ही यह सिद्धान्त मानकर चलना पड़ेगा। इसलिये इस सरकार ने निजी उद्योगों के लिये भी कुछ प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है। तो इस स्तर को देखते हुये मैं राय साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यह व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिये और सरकार की इस दशा को सराहना करना चाहिये। जहां तक मैं जानता हूं, सरकार ने स्वयं कुछ उद्योगों को खोला है, उसमें किसी निजी पूंजी के समावेश होने का मौका उसने नहीं दिया है। सामान्य रूप से अगर प्रगति की रिपोर्ट देखी जाय तो औद्योगीकरण में प्रगति हुई। यह दूसरी बात

[श्री रामनरेश शुक्ल]

है कि यह बहुत ढीली हो, मंथर गति से हो, लेकिन यदि यह कहा जाय कि सरकार की उपेक्षा नीति इसका कारण है तो, मैं इसको नहीं मानता हूं । मैं मानता हूं कि रा-मैटिरियल की उपलब्धि की कमी है और पर-कैपिटा इनवेस्टमेन्ट की कमी है, लोगों में औद्योगिक वातावरण का अभाव है, ये सारी चीजें हैं और हमें इन सारे कारणों को अपने सामने रखना चाहिये । अगर सामान्य रूप से एक विहंगम दृष्टि इस रिपोर्ट पर डालें तो प्रदेश ने उन्नति की है ऐसा निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा । मैं इस सम्बन्ध में एक वाक्य इस रिपोर्ट से पढ़ देना चाहता हूं:—

"इन सभी कठिनाइयों के होते हुये भी, भारतीय कारखाना कानून के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की सन् १९६२ की संख्या २५७२ से बढ़ कर १९६३ में २६३३ और सन् १९६४ में यह संख्या बढ़ कर लगभग २९०० हो गयी । उन लघु स्तरीय इकाइयों की संख्या जो निदेशालय के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, भी सन् १९६३ की ५३१० से बढ़ कर सन् १९६४ के प्रारम्भ में ६९९३ और सन् १९६४ के अन्त तक यह संख्या ९,००० से ऊपर हो गयी ।"

तो इस प्रकार हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकासमान प्रगति में पूर्वी जिले और उनमें विशेषतया हमारा गोरखपुर का ऐसा जिला है जिसने इस सरकार की दृष्टि को आकर्षित करने में अपने को असमर्थ पाया है । मैं नहीं समझता कि वहां पर कितने प्रकार के उद्योग-धंधे सरकार ने चलाने का प्रयास किया है । मैं जानता हूं कि गोरखपुर में उर्वरक का कारखाना खोला गया । उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि गोरखपुर में और खास तौर से बांसगांव तहसील में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खोले जा सकते हैं । हमारे जिले में चौरा-चौरी के स्थान पर चर्म उद्योग खोला जा सकता है । कौड़ी ग्राम के स्थान पर कम्बल उद्योग, पिपरौली में कपड़े और बर्तन का उद्योग बहुत उत्तम ढंग से चलाया जा सकता है । ये सारे स्थान सरकार के उद्योग अधिकारियों की दृष्टि में नहीं आ सके, इसका मुझे दुःख है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि विशेष रूप से इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों को बढ़ाने के लिये सरकार की ओर से ऋण देने की व्यवस्था है । जिले के स्तर पर भी दिये जा रहे हैं और पालिसी यह है कि चाहे आपको रा-मैटीरियल मिले या न मिले, सामान मिले या न मिले, लेकिन ऋण दिया जाता है । शर्त यह है कि उसे निश्चित रूप से निश्चित अवधि में उपयोग में लाना होगा वरना एक बार में ही वसूल किया जाय । अगर आप उद्योगों को विकसित करने की अपनी मान्य प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं तो यह शर्त और कालम फार्म में बिलकुल मूर्खतापूर्ण है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि जिस उद्योग के लिये आप धन देते हैं उसके लिये रा-मैटीरियल निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय । मेरी अपनी निजी जानकारी है कि ऐग्रिकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स बनाने के लिये ऋण दिया गया । हमारे यहां रहट की बहुत मांग है और जिनको मेटीरियल नहीं मिलता वह डी० एम० और डी० एस० ओ० के यहां घूमते फिरते हैं । इसलिये जितने लोन दिये जांये उनके उपयोग के लिये जो आवश्यक सामग्री हो उसकी तरफ भी सरकार का निश्चित रूप से ध्यान जाना चाहिये ।

अब मैं एक शब्द गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के संबंध में कहना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में बड़े गर्व से उसकी चर्चा की गयी है । यह करखाना श्रीमन्, गोरखपुर के लिये वास्तव में बड़ा महंगा पड़ा है । हजारों एकड़ भूमि से किसान उजाड़ दिये गये, वे बे-घर-बार के हो गये और बेरोजगार भी हैं । स्थानीय लोगों ने इसके लिये प्रयास और आन्दोलन किया तो सरकार की तरफ से निश्चित आश्वासन मिला कि जिनके घर-बार उजाड़ दिये गये हैं उनको इस कारखाने में नौकरी और जगह देने में प्राथमिकता दी जायगी । मैं निजी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि इस घोषणा की बहुत स्पष्ट रूप से उपेक्षा की जा रही है । जो घोषणा की गयी, उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया । जिन गरीब किसानों की मूल्यवान

भूमि पर वह कारखाना बनाया गया, उनके बच्चों को वहां नौकरी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जब कभी किसी स्टाफ को रखने का प्रश्न उठता है तो यह तय किया जाता है कि आन्तरिक विज्ञापन दिया जायेगा और उसके आधार पर नियुक्तियां होंगी। एक कारखाने का लेबर आफिसर दूसरे कारखाने की जगह ट्रान्सफर कर दिया जाता है। नतीजा इस सब का यह होता है कि सिंदरी कारखाने तथा दूसरे कारखानों से आदमी इम्पोर्ट किये जाते हैं और इस क्षेत्र के लोगों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। मेरा सुझाव यह हैकि यह आन्तरिक विज्ञापन वाली प्रथा को बन्द करना चाहिये। पूर्वान्चल के जो भी लोग वहां कार्य करने की क्षमता रखते हों उनको निश्चय ही वहां पर रोजगार मिलना चाहिये। इसके लिये एक सुझाव मेरा यह भी हैकि वहां की नियुक्ति आदि की बातों की जांच के लिये सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी चाहिये और उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस ओर सुधार करना चाहिये।

एक शब्द चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में भी कहना चाहता हूं। सीमेंट फैक्टरी में जितना सीमेंट पैदा होता है तथा जितना बटता है उससे मुझे असन्तोष नहीं है, असन्तोष मेरा उसकी वितरण व्यवस्था जिस प्रकार की है उसमें है। गोरखपुर का जितना कोटा था वह जिलाधीश के बार बार लिखने पर भी नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों उस जिले से घृणा सी हो गयी है। प्लानिंग तथा निर्माण आदि के लिये जो कोटा वहां का निर्धारित है वह वहां नहीं मिल रहा है। राय साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि इस संबंध में जांच होनी चाहिये। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि गोरखपुर को सीमेंट का कोटा देने में इस फैक्टरी द्वारा उपेक्षा की नीति बरती जाती है। जो वहां का कोटा है वह मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान पर अपने कुछ विचार आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, देश और जनता की खुशहाली कृषि और उद्योग के विकास पर निर्भर है। आज जनता को कोई भी सामान उचित कीमत पर नहीं मिल पाता। आज तरह तरह की परेशानियां जनता को हैं। अपने देश में न तो हम खेती में कोई प्रगति कर पाये हैं और न उद्योग में ही अब तक औद्योगीकरण का परिणाम देश के हित में नहीं हुआ है। केवल बड़ी बड़ी इमारतों के बना देने से ही देश खुशहाल नहीं हो जाया करते। जहां तक उत्पादन का सवाल है, उससे जनता का बहुत बड़ा हित नहीं हो पाया है। उसका कारण सरकार की कुछ गलत नीतियां एवं असावधानी ही है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और ८६ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। यह भी कहा जाता है कि कृषि पर जो भार है उसे कम किया जाय और उद्योग की तरफ लगाया जाय।

मान्यवर उद्योगों को मैं दो दृष्टि से देखता हूं—एक बड़े उद्योग तथा दूसरे छोटे यानी कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों के संबंध में सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है जैसा कि इन्डियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चर, बम्बई ने १९६० में रिसर्च करके बताया है। १९३१ में २७ फीसदी लोग देहात में ऐसे थे जो अपना ट्रेडिशनल पेशा करते थे और छोटे छोटे कारोबार में लगे हुये थे। लेकिन सन् ६० में उस आबादी का ६४ फीसदी अपना अवाई पेशा छोड़कर खेती की तरफ चले गये जिससे जमीन पर बोझ बढ़ गया। इसका कारण यही है कि सरकार ने उनके अवाई पेशों की तरफ ध्यान नहीं दिया वरना जमीन पर बोझ न बढ़ता।

नेशनेलाइजेशन की बात कही जाती है। सही है, होना चाहिये। लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सम्पूर्ण देश का सारा कारोबार नेशनेलाइज कर दिया जाय। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने मिक्स्ड इकानामी की पालीसी अपनाई है, लेकिन हर बात में नेशनेलाइजेशन की बात करना मैं समझता हूं, देश के लिए अनहित होगा। अगर हमारी सरकार जरमनी देश की तरफ ध्यान दे तो पता चलेगा कि सैकिन्ड वर्ल्ड वार के बाद उसने अपनी पब्लिक सैक्टर की बहुत सी फैक्ट्रियों को प्राइवेट सैक्टर में दे दिया इसलिये कि सरकार के चलाने में

[श्री रामअधार कनौजिया]

नुकसान होता था। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की राष्ट्रीय आय में अब सात प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तथा जापान में १० प्रतिशत वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार की कोई निश्चित पालिसी न होने के कारण आज लोग इस भ्रम में हैं कि हम कारबार में पैसा लगावें और कहीं ऐसा न हो कि सरकार राष्ट्रीयकरण करले। इसलिये सरकार को चाहिये कि एक निश्चित पालिसी तय करके जतना को बतावे मैं यह भी मानता हूं कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। उसके कुछ कारण भी हैं कि नया कारोबार करने के लिये रिस्क जरूर लेना पड़ता है। जहां तक प्रजातांत्रिक सरकार का सवाल है जब वह कारबार हमारे सरकारी कर्मचारी ही चलाते हैं तो नुकसान होने पर इस पक्ष के लोग सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार एवं कर्मचारियों पर लगाते हैं कि वे निकम्मे हो गये हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारी हताश होकर कारोबार में भी रुचि नहीं रखते तथा आपके निर्देशों का और भी पालन नहीं करते हैं। इसलिये पब्लिक सैक्टर में उद्योग सफल नहीं होता है। प्राइवेट सैक्टर में जो काम २४ घंटे में हो जाता है वह पब्लिक सैक्टर दे २, ४ महीने तक तय ही नहीं हो पाता है। ऐसी सूरत में अभी यह नही देखा गया कि आपके सरकार द्वारा चलाये हुए रोजगार जनता के हित में रहे हों। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के बारे में प्रश्नों के द्वारा मालूम हुआ कि उसकी कीमत फी बोरा ५ रुपये कुछ आने पड़ती थी, लेकिन एक साल के अन्दर ३ मर्तबा उसके दामों में फर्क किया गया। ५७–५८ में आल इंडिया लैविल की एक कमेटी द्वारा देखा गया कि उस फैक्ट्री में जब नुकसान हो रहा था तो सरकारी कर्मचारियों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके सरचार्ज बढ़ाकर उसे पूरा किया। हमारी सरकार अन्य देशों से कर्ज लेकर भी कारखानों में लगाती है, लेकिन आज तक १५ साल में जितना रुपया लगाया उससे जनता की रोजाना की इस्तेमाल की चीजों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई और जनता को कोई राहत नहीं मिली है; लग्जरीज की तरक्की हुई जैसा आप शहरों में देखते हैं। लेकिन खाने–पीने की चीजों में जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा है।

कुछ साहेबान ऐसा भी कहते हैं कि फैक्ट्रियों की सम्पूर्ण आय मजदूरों में वितरित कर दी जाय हिस्सों के आधार पर। तो यह भी एक तरह का नेशनेलाइजेशन ही है। इसके लिये मार्क्स ने भी यही कहा था कि यदि माहवारी आय या रोजाना की आय व आमदनी मजदूरों में बांट दी जायगी तो हमारी इकानामी फेल हो जायगी और हमारा कारोबार हमेशा के लिये मिट जावेगा। एक तरफ तो सरकार ५।। और ७।। रुपये फीसदी के सूद पर विदेशों से कर्ज लेती है। अगर आल–इंडिया लैविल पर उद्योगों की दृष्टि से आज देखा जाय तो जितना रुपया हमने लगाया है उससे हमको कुल ३ या ४ आने प्रति १०० रुपये पर मुनाफा मिल रहा है। तो ऐसे रोजगार की योजना से किसी देश का फायदा नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (श्री बांकेलाल के कुछ कहने पर) मैं इस अनुदान के समर्थन के लिये तो खड़ा ही हुआ हूं परन्तु मेरे एक माननीय मित्र ने जो कहा कि इधर से तो मंत्री जी बोलेंगे ही इसलिये उन्हें समय दिया जाय, उसके संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां उधर से यह दुहाई दी जाती है कि औद्योगीकरण नहीं हो रहा है, जिस प्रोपोरशन में कांग्रेस के लोग यहां मौजूद हैं और जितने विरोध पक्ष के मौजूद हैं उससे जाहिर होता है कि कितनी दिल-चस्पी विरोधपक्ष के लोगों की औद्योगीकरण में है।

जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है और इससे एम्पलायमैंट का संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। दरअसल प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण में हमारे प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं। ८–७

साल से जब कभी भी औद्योगीकरण के संबंध में माननीय मंत्रीजी की स्पीच सुना करते थे तो केवल एक ही राग उनके पास अलापने के लिये हुआ करता था और वह था लखनऊ की इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री इसके अलावा उनके पास कोई और चीजें नहीं हुआ करती थीं। हां अलबत्ता, अब ३ साल से कुछ हलकी सी तरक्की होकर आई है। हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि कम से कम पिछले १॥, २ साल से हम महसूस करते हैं कि एक सक्रिय कदम हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण की तरफ उठाया जा रहा है। अब की बार में माननीय मंत्री जी और उनके विभाग को बधाई देता हूं कि आज करीब २६ दिन हम लोगों को बजट के अनुदानों पर बहस करते हो गये, अब तक कोई एक मांग ऐसी प्रस्तुत नहीं हुई जिसमें शुरूआत से भ्रष्टाचार का जिक्र न किया गया हो। माननीय मंत्री जी और उनका विभाग बधाई का पात्र है, क्योंकि उसके कार्य के बारे में चाहे जो भी नुक्ताचीनी की गई हो, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई। एक शिकायत की गई जिसका जिक्र माननीय झारखंडेराय जी, माननीय नवलकिशोर जी और माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने किया कि हमारे प्रदेश में उद्योग विभाग कुछ नहीं करता है। टेक्निकल ऐडवाइस न के बराबर है। इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि उद्योग विभाग कितने ही दिनों से कायम है मगर टेक्निकल सेल तो एक साल से ही है। इसलिये उद्योग निदेशालय को बधाई देना चाहिये कि उन्होंने एक साल पहले सोचा तो कि टेक्निकल ऐडवाइस की जरूरत है। ६०० करोड़ रुपया योजना में खर्च करने जा रहे हैं जिसमें से ८–१० हजार रुपया ही आप टेक्निकल ऐडवाइस पर खर्च करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास टेक्निकल ऐडवाइस विभाग द्वारा बड़े बड़े उद्योगों को दी जाय। अगर टेक्निकल ऐडवाइजर के पास आप दिल्ली में अपनी किसी इंडस्ट्री का प्लान बनवाने जायं, तो वह भी टोटल कास्ट का ४, ५ परसेन्ट चार्ज कर लेता है, ऐडवाइस का। तब आप इतने कम रूपये का प्राविजन करके कैसे अच्छी टेक्निकल ऐडवाइस दे सकते हैं? जो काम मंत्री जी ने पिछले साल शुरू किया है मैं चाहूंगा उस पर और ज्यादा रुपया दें और अच्छे-अच्छे एक्सपर्टस् इम्पलाय करें। बहरहाल जितना आपने किया है, बधाई के पात्र हैं।

खादी और ग्रामोद्योग को विघवा बताया गया और यह भी कहा गया कि व्यक्ति विशेष को चेयरमैन बनाकर फायदा पहुंचाने की बात है। ग्रामोद्योगों की आवश्यकता है। जहां बड़े उद्योग लगाये जायगें ग्रामोद्योग के बगैर तरक्की नहीं हो सकती और खादी और विलेज इन्ड्रस्ट्रीज बोर्ड एक अच्छी संस्था है जिसके द्वारा बहुत से लोगों को सहायता तथा प्रोत्साहन मिल रहा है। आलोचना करके उसके काम को रोक दिया जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इतनी बात अवश्य है, जैसा मंत्रीजी ने कहा कि हम जो ऋण देते हैं, उसकी वसूलयाबी में भी कुछ प्रगति कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं कि पिछले सालों में जो वसूली होती थी उससे कहीं ज्यादा इस साल हुई है। यह भी कहा जाता है कि जिस काम के लिए रुपया दिया जाता है उसका उस काम के लिए उपयोग नहीं होता। मेरी राय में इसके लिए उद्योग विभाग का बहुत कम कसूर है। इसमें हम लोगों का कसूर है जो हम उद्योग समिति में बैठकर उद्योग अधिकारी तथा जिलाधीश का गला घोंटते हैं और जानते हुए भी कि यह रुपया उद्योग के लिए नहीं जा रहा है जबरदस्ती रुपया दिलाते हैं। अतः इसमें कसूर हमारा ही है। जहां तक ऋण देने का तरीका है इस समय जो उद्योग विभाग में दो हजार के बजाय पांच हजार रूपये की लिमिट की है, यह अच्छी बात है क्योंकि दो हजार में कोई उद्योग स्थापित नहीं कर सकता।

यह भी कहा गया कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री पनप नहीं रही है। माननीय नवलकिशोर जी ने कुछ हल्का सा जिक्र किया था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह कैबिनेट स्तर पर इस बात का जिक्र करें कि सेल्स टैक्स की जो हाई पावर कमेटी बनी थी, उसने जो सिफारिश की है उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब क्यों है? हम जानते हैं कि सेल्स टैक्स की वजह से ही उद्योगों का गला घोंटा हुआ है। बम्बई का बना हुआ माल यहां बिकता है जो यहीं के बने हुए माल से सस्ता पड़ता है। यह सेल्सटैक्स की गलत नीति के कारण है। माननीय झारखंडेराय जी ने पंजाब का जिक्र किया कि जिस तरह से प्रताप सिंह

[श्री बृजभूषणशरण]

कैरों ने काम किया था उसी तरह से हमें भी करना चाहिए । उन्होंने ऐसा किया कि जब कभी कोई इंडस्ट्री लगती थी तो उसको चुंगी वगैरह से माफी दी जाती थी । छोटी-छोटी बातों पर डाइरेक्टरेट का क्रिटिसिज्म नहीं करते थे । अगर थोड़ा बहुत कच्चा माल गड़बड़ इस्तेमाल होता है तब भी उसकी तरफ ज्यादा तवज्जह न दीजिए जिससे कुछ तो इस्तेमाल होगा । मैं जानता हूं कि एक जमाना था जब जगाधरी एक छोटासा स्टेशन था, जिसको जमुना नगर भी कहते हैं, लेकिन आज जब उधर से गाड़ी में पास होते हैं तो बिलकुल दिल्ली मालूम होता है । वहां काफी उद्योगों की तरक्की हुई है और उसका कारण यही है कि हर स्टेप पर वहां की सरकार उद्योगपतियों की मदद करती है । अब अगर उसमें हम समाजवाद और पूंजीवाद की बात करते हैं तो कभी तरक्की नहीं होगी । अगर राजकीय इंडस्ट्री बनाते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कभी ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते । एक माननीय सदस्य ने कहा कि तीन आना या चार आना प्रति सौ रुपये पर मुनाफा होता है । मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट इंडस्ट्रीज मुनाफे के लिए नहीं लगतीं बल्कि समाजवाद के उसूल को निहित करके लगती हैं । मगर फिर भी मुनाफा न होने की क्या वजह है उसकी जड़ तलाश करना चाहिए । मेरा तजुर्बा है कि मौजूदा फाइनेंशिएल हैंडबुक को उन इन्डस्ट्रीज पर लागू कर देते हैं जिसकी वजह से अगर १० रुपये की कोई टोकरी उनको खरीदनी है तो उसके लिए पहले टेंडर या कोटेशन्स मांगने पड़ते हैं । अगर ऐसा न करें तो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी सर पर सवार हो जाती है फिर विभाग को लम्बे लम्बे जवाब देने पड़ते हैं । इसलिये, अगर किसी इन्डस्ट्री को कार्मशियल तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उसके फाइनेंशियल रूल्स बनने चाहिए ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सुझावं है माननीय शरण जी का अगर कोटेशन्स वगैरह हटा दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अपनी राय दे रहे हैं, उनको सुनिये ।

श्री बृजभूषणशरण—

मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से फारेस्ट और पी० डब्ल्यू० डी० के लिए अलग से फाइनेंशियल हैंडबुक बना रखी है, उसी तरह से स्टेट इंडस्ट्रीज के लिए भी अलग से बनाये । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । एक मर्तबा जब रेल से सफर कर रहा था तो आयल और नेचुरल गैस कमीशन के कुछ लोग भी सफर कर रहे थे उन्होंने जो किस्सा सुनाया उसको सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि अगर यही तरीका स्टेट इंडस्ट्रीज को चलाने का होगा तो वह कभी नहीं पनप सकती । उन्होंने बताया कि रूमानियां से कुल ६ टैक्निकल पुर्जे मिले थे । ६ महीने का हमने अंकलेश्वर में फील्ड वर्क किया और हमने एक चिट्ठी लिखी कि एक कूपे रिजर्व कराने की इजाजत दे दी जाय ताकि एक अफसर उन पुर्जों को अपने साथ लेकर चला आये । ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा और उसने कहा कि बुक कराकर सामान ले आया जाय । विभाग से फिर लिखा गया कि इसमें छूट जाने का अंदेशा है, इस पर वित्त विभाग ने कहा कि उन पुर्जों को इन्श्योर करा दिया जाय । विभाग ने फिर लिखा कि आपको इन्श्योरेंस से रुपया मिल जायगा लेकिन पुर्जे तो नहीं मिलेंगे । इतने दिनों में ६ महीने का समय खत्म हो गया और बाद में हम उन पुर्जों पर त्रिपाल डालकर वहीं छोड़कर चले आये चाहे उनमें जंग लगे या कुछ हो । इसलिए आपको फाइनेंशियल हैंडबुक को बदलना होगा और ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्रलिस्ट्स अपना काम करते हैं उन्हें जब कभी किसी चीज में बचत नजर आती है तो एक मिनट भी नहीं रुकते । किसी उद्योगपति के मैनेजर को अगर दो हजार रुपये का सामान खरीदना हो और वह उससे पूछ ले तो वह उल्टा चार्जशीट लगायेगा कि तुमने स्वयं क्यों नहीं खरीद लिया । लेकिन इधर हमारे फाइनेंशियल रूल्स ऐसे हैं कि जब तक क्लर्क से लेकर मिनिस्टर तक उसका एप्रूवल न हो जाय तब तक पैसा

खर्च नहीं किया जा सकता है । यही कारण है कि पब्लिक सेक्टर में कोई इंडस्ट्री सफल नहीं हो पाती है । श्रीमन्, मैं बहुत सी बातें अपने विषय से बाहर कह गया माननीय मैनेजरसिंह जी की वजह से ।

अब मैं इंडस्ट्री विभाग की सक्रियता की एक मिसाल दे देना चाहता हूं । एक बहुत छोटे उद्योगपति मेरे पास आये जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में एक छोटा सा सीमेंट का प्लांट लगाना चाहते थे । २० टन का प्लांट लगाना चाहते थे । उस समय तक मैं उसके बारे में खुद नहीं जानता था । मैंने उसके बारे में डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को एक खत लिखा । उन्होंने कहा कि यदि आप जल्दी काम कराना चाहते हैं तो अपनी स्कीम भेज दीजिए । आपको सुनकर ताज्जुब होगा और मैं डायरेक्टर साहब को इस के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने लेटर ही नहीं भेजा एक स्पेशल मैसेंजर के हाथ जवाब में स्कीम कानपुर से भेजी । इस प्रकार से जल्दी से काम भी किया जाता है । मैं इस बात में माननीय झारखंडेराय जी का समर्थन करता हूं कि मिर्जापुर में एक फैक्ट्री सीमेंट की और खुलनी चाहिए और एक देहरादून में भी होनी चाहिए और भी कई फैक्ट्रियों की इस प्रांत को आवश्यकता है । देहरादून में इसका सर्वेक्षण भी हुआ । एक उद्योगपति को समझाने के लिए जियालाजिकल सर्वे का भी एक अधिकारी गया था । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रेलवे लाइन जो बनने वाली है उसको दूसरी तरफ हटा कर बनायी जाय जिससे सीमेंट इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन मिल सके ।

इसके अलावा जो छोटे-मोटे काम हैं उनकी ओर माननीय मंत्री जी स्वयं ध्यान दें उनकी ओर माननीय मंत्री जी का मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि एक स्कीम हमारे यहां पहले स्पान्सर हुई और महाराष्ट्र में बाद में, लेकिन हमारे यहां वह ११ महीने तक यूं ही पड़ी रही । अगर ऐसा होता रहा तो फिर बताइये कैसे कोई इनीशियेटिव लेगा ? इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग पर बोलते हुए मैं पहले स्माल स्केल ऐण्ड काटेज इन्डस्ट्रीज को लूंगा । इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज रा-मेटीरियल है । यह देखने में आता है कि आजकल हर चीज पर कंट्रोल है और रा मेटीरियल सरकार की बगैर इजाजत के किसी को नहीं मिलता या सरकार के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है । मैं खासतौर से माननीय मंत्री जी का ध्यान मुरादाबाद की बरतनसाजी की तरफ दिलाना चाहता हूं । मुरादाबाद में किस तरह से रा मेटीरियल मिलता है इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान माननीय जगदीश शरण जी ने दिलाया और उसके बटवारे में किस तरह से गड़बड़ियां होती हैं, यह भी बताया । मैं इस मामले में लगातार ८–१० महीने से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता आया हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गयी ।

मिसाल के तौर पर ३–४ केसेज मैं आपके सामने रखूंगा जिससे पता चलेगा कि रा-मेटीरियल किस प्रकार से दिया जाता है । मुरादाबाद में ग्लास मैन्युफैक्चरर नामक एक संस्था थी, उन्हें ३,२६३ मन तांबा दिया गया सन् ५८ से लेकर ६३ तक लेकिन यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन ही २० दिसम्बर, १९६१ को समाप्त हो चुका था । रजिस्ट्रेशन के कैंसिल हो जाने के बाद भी उसको कोटा दिया गया । एक दूसरी मिसाल, ग्लास वेअर वर्कर्स को १ वैगन कोयला दिया जब कि उनका रजिस्ट्रेशन २३ दिसम्बर, १९६१ को कैंसिल हो चुका था । इसके अलावा एक और कल्लन खां साहब हैं और एक निजाम खां साहब हैं । दोनों बाप-बेटे के नाम अलग अलग कोटा है । सन् ६१–६२ में २० टन कोयला सन् ५९–६० में १९,७८७ रु० का जिंक, १,५४,५५२ रुपये का तांबा इन्होंने लिया जब कि ये सेंधा नमक के लाइसेंसी हैं और नमक का रोजगार करते हैं । इसके अलावा एक और कल्लन खां साहब के

*शक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

लड़के हैं दोनों एक ही काम कर रहे हैं। उन्हें १,१९,०८० रुपये का कापर दिया गया और इस तरह के ५२ केसेज मुझे सन् ५८ से लेकर ६२ तक के मिले जिनको मैंने सरकार के पास भेजा जो मुरादाबाद के बर्तनसाजों और वहां की सोसाइटीज के द्वारा मिसयूज किये गये हैं। इसकी जांच जब उद्योग विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा की गयी तो २० केसेज को उन्होंने भी सही माना कि वहां मिसयूज किया गया है लेकिन मैंने जो जांच की तो उसमें मुझे ५२ केसेज मिले हैं। उनको भेजे हुए १० महीने हो गये लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पता लगाने से मालूम हुआ कि उस पर अभी तक कोई इन्क्वायरी आदि की कार्यवाही नहीं हुई है। इन ५२ केसेज में लगभग २४ लाख रुपये के रा-मेटीरिअल का गोलमाल हुआ है। यह हाल आपके यहां का है और जब इस तरह से रा मेटीरियल के सिलसिले में वेस्टेज होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? जो असली कारखानेदार बेचारे हैं उनको काम के लिए माल नहीं मिलेगा और आज नहीं मिलता है। इस किस्म के कई केसेज सन् ५६ से लेकर आज तक मेरे सामने आये हैं जिनको माल नहीं मिला है और लोगों ने फर्जी सोसाइटीज आदि बना कर माल लेकर उसको ब्लैक में बेचा है। वे ब्लैक इसलिए करते हैं कि एक टन में करीब ५ हजार रुपये का ब्लेक से फायदा करते हैं। तो मिस यूटिलाइजेशन की बहुत सी मिसालें हैं जिनको मैं दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इन मामलों की पूरी जांच की जाय और जिन लोगों ने ब्लैक से अपनी बड़ी-बड़ी कोठियां बना ली हैं उनके ऊपर मुकदमें चलाये जायें।

एक दूसरी बात की तरफ मैं आप का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि रामपुर में दो शुगर फैक्टरीज—रजा शुगर फैक्टरी और बुलन्द शुगर फैक्टरी है जिन को गोवन ब्रादर्स चला रहे हैं। वे बुलन्द शुगर फैक्टरी को बन्द करने जा रहे हैं जिससे ३—४ हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे और दूसरी तरफ लगभग १ लाख क्विंटल शुगर की पैदावार में कमी हो जायगी। साथ ही साथ यह भी सोचने की बात है कि वहां से चार जिले, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद और नैनीताल के किसान अपना गन्ना उन को देते थे, उनका गन्ना आखिर कहां जायगा? कहा यह गया कि मिस्टर एस० एन० गुंडोराव कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि जो अनइकोनामिक यूनिट्स हैं उन को बन्द कर दिया जाय। लेकिन उस रिपोर्ट के अन्दर कहीं यह नहीं लिखा है कि कौन कौन यूनिट्स अनइकोनामिक हैं। यह तो खुद अपने मन से उन्होंने कर लिया है।

अगर उनकी आमदनी का हिसाब देखा जाय तो सन् १९३३ से लेकर आज तक किसी भी साल ६—७ लाख से कम मुनाफे पर यह कारखाना नहीं चला। ऐसी हालत में अगर ये इस कारखाने को छोड़ना चाहते हैं तो आप उन को लेकर मजदूरों के साथ कोआपरेटिव बेसिस पर चलायें, वरना बड़ा भारी नुक्सान होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, इस पर आप एक व्यवस्था दे दें कि यहां पर माननीय राजस्व मंत्री ने एक बार कहा था कि ९ महीने के बाद रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन यहां १० महीने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिला?

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं।

*श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे उद्योग के अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में मैंने बजट पर कटौती प्रस्ताव को देखा है जो खादी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और ग्राम उद्योग के सम्बन्ध में दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा। डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज का जो हमारे प्रदेश का दफ्तर है वह जिस ढंग से काम कर रहा है अगर वह इसी ढंग से चलता रहा तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के औद्योगीकरण में बहुत समय लग जायगा और हम पीछे रह जायंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक स्कीम बनाई कि हम जिलों में इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम करेंगे, कुछ हरिजन स्टेट्स बनाने की भी कोशिश की गई कुछ इमारतें बनाई गईं। जब यह स्कीम बनाई गई तो ऐसा मालूम होता था कि जल्द ही तरक्की होगी, लेकिन अनुभव यह हुआ कि जो इंडस्ट्रीमक स्टेट्स बनाई गईं वे ऐसी जगहों पर बनाई गईं जो बस्ती से बहुत दूर हैं, न वहां पानी का प्रबन्ध है न आबादी है और न वहां कच्चे माल के पहुंचने की कोई सुविधा ही है। रा-मेटीरियल भी नहीं मिलता। यह इमारतें पी० डब्लू० डी० ने बनाई हैं और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि उस में से ८० प्रतिशत रुपया बेकार चला गया। आज भी उस स्कीम को टाला जा रहा है और जो इमारतें बनी हैं उन का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, इस तरह से पब्लिक मनी का दुरुपयोग देख कर दुःख होता है। वहां पर गधे और बकरियां और भिखमंगों के अड्डे बन गये हैं और वहां पर उद्योग से सम्बन्धित कोई काम नहीं हो रहा है।

इसका एक कारण यह है कि आप ने इमारतें तो बना दीं और उनका जो किराया नियत किया गया है वह इतना ज्यादा है कि मामूली आदमी के बस के बाहर है कि वह दे सके और कोई छोटा उद्योग २-३ सौ रुपया माहवार खर्च कर के चला सके। इसके अलावा वह ऐसे स्थानों पर बनाई गई हैं कि जहां सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई प्रोग्राम वहां पर बाकई में शुरु हो, नहीं है, कोई रा-मेटीरियल का या लोगों को वहां काम में लगाने की सुविधा नहीं है। हरिजन इन्डस्ट्रियल स्टेट की इमारतें बनी हैं, लेकिन वहां पर लोन लेकर लोगों ने फर्जी थोड़ा बहुत काम लगा रखा है बाकी सक्रिय कोई काम नहीं होता है और पूरा रुपया जो लगाया गया है वह बरबाद हो रहा है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहता हूं कि इस स्कीम पर एक बार फिर गौर किया जाय कि यह स्कीम कहां तक सक्रिय है और कामयाब है और जो इमारतें बनाई गई हैं उन का कहां तक सद्उपयोग हो रहा है। नई इमारतें अभी न बना कर इन्हीं को पहले काम में लाया जाय, इस तरह से विभाग का और रुपया लगाना एक कलंक ही होगा, हम उद्योग में भी फेल होंगे और हमारा रुपया भी बेकार बरबाद होगा।

दूसरे हमारा बुन्देलखंड का एक पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां आज तक कोई भी उद्योग कायम नहीं हुआ है। जो औद्योगिक स्टेट्स बनीं भी वह सब असफल रहीं, कहीं भी कोई उद्योग नहीं चल रहा है और इमारतें गिर रही हैं। इसके भी कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के दफ्तर की फाइलों की कार्यपद्धति खराब है। मैंने प्रश्न भी किये थे तो मालूम हुआ कि ३ साल में बुन्देलखंड के जिलों को लोहे का कोटा नहीं दिया जा सका और टीन की चद्दरें और जी० सी० शीट्स नहीं मिलीं। यदि आप उद्योग बढ़ाना चाहते हैं और बुन्देलखंड की दशा सुधारना चाहते हैं, आपने वहां बड़े-बड़े बिजली के प्लान्ट लगाये हैं, तो जब तक आप वहां के लिये कच्चा माल, रा-मेटीरियल, जी० सी० शीट्स और सीमेंट नहीं देंगे तब तक वहां कोई काम नहीं लग सकता। जो लोन या ग्रान्ट आप देते हैं वह बरबाद होती हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से विशेष आग्रह करूंगा कि बुन्देलखंड की स्थिति को देखते हुये कच्चे माल और हर प्रकार की सुविधा का बन्दोबस्त किया जाय ताकि वहां भी उद्योग की तरक्की हो सके।

तीसरी बात यह है कि हमारे राय साहब ने खादी ग्रामीण उद्योग के सम्बन्ध में 'विधवा' शब्द का प्रयोग किया। मैं इस पर तो विश्वास नहीं करता, लेकिन यह कह सकता हूं कि यह एक ऐसा विभाग है, ऐसा अध्यक्ष उस का है जो स्त्री पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह से जैसे कोई अपंगु स्त्री है और उसका अपंगु पति है। जो संस्था दूसरे के दिये रुपये को खर्च

[श्री शिव सम्पति शर्मा]

नहीं कर सकती है, जो संस्था ग्रामोद्योग की तरक्की नहीं कर सकती है उस पर बराबर उसी तरह से अधिकार रखना अनुचित चीज है। खादी कमीशन ने इस प्रदेश को काफी रुपया दिया है, लेकिन खादी बोर्ड ने ३० लाख रुपया वापस कर दिया। इसलिये कि वह प्रदेश में बांट नहीं पाई। इस बोर्ड के गठन के बारे में मुझे शिकायत है। जो इसका गठन किया गया है वह संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा बना दी गई है। इसमें क्षेत्रीय आधार नहीं रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में चाहे कृषि उद्योग हो या दूसरे उद्योग हों, हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। जो प्रोत्साहन दिया गया है वह शहरी क्षेत्रों में दिया गया है और देहाती क्षेत्रों में उद्योगों में कोई प्रगति नहीं हुई है। देहाती क्षेत्रों के लिये जो रुपया दिया जाता है उस की मात्रा इतनी कम होती है कि वह उद्योग में न लगाकर दूसरे कामों में लगाया जाता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण रुपये की कमी है। १०००—१५०० रुपये दिये जाते हैं। जब इन रुपयों से कोई काम खड़ा नहीं कर पाते तो लोग दूसरे कामों में उस को लगा देते हैं। जब हम रुपया रखें तो यह देख लेना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये हम कितना दे रहे हैं। फिर बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों में सरकार पक्षपात करती आई है। सरकार का ध्यान छोटे उद्योगों की तरफ अधिक नहीं गया है। जितना प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिये वह नहीं मिला है।

भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर इसका बोझ है। जब तक खेती के ऊपर बोझ को कम कर के उद्योग पर नहीं लगायेंगे तब तक भारत का जीवन स्तर उठ नहीं सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि गांवों में यंत्र चालित छोटे-छोटे उद्योग खड़े किये जायं। मंत्री जी ने इन उद्योगों के लिये अधिक रुपया रखा है, लेकिन फिर भी वह कम है। छोटे और बड़े उद्योगों में बराबर रुपया लगाना चाहिये। दूसरे छोटे उद्योगों को दूसरे प्रदेशों से माल आने पर और सामान तैयार करने पर कुछ संरक्षण भी दिया है, लेकिन इससे अधिक प्रोत्साहन मिलने वाला नहीं है। यदि इनको प्रोत्साहन देना है तो दोनों उद्योगों के अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किये जायं। छोटे उद्योग जो वस्तुयें बनायें वे बड़े उद्योग न बना सकें और छोटे उद्योग उत्पादक वस्तुयें तैयार करें और बड़े उद्योग उपभोक्ता वस्तुयें तैयार करें। यदि इस तरह से कर दिया जायगा तो छोटे उद्योगों को संरक्षण मिल सकेगा।

दूसरे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बड़ी चर्चा होती है। यह मानी हुई बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र में इतना काम नहीं होता है और कम पैसे में नहीं होता है जितना निजी क्षेत्र में हो जाता है। मैं यह कह कर निजी क्षेत्र की वकालत नहीं करता हूं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उनके लिये काम में लाये जायें जो निजी क्षेत्र खड़े न कर सकें। हर जगह सार्वजनिक क्षेत्र को ही फैलाया जाय जब कि हमारे पास अच्छे आदमी नहीं हैं तो उससे रुपया बरबाद होगा और करदाता का बोझ बढ़ता रहेगा। उत्पादक वस्तुयें पैदा करने वाले कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में खोले जायं और दूसरे क्षेत्र निजी क्षेत्र को काम करने के लिये छोड़ दें।

हमारे सामने प्रश्न है कि चन्द हाथों में देश की दौलत इकट्ठी न हो जाय। धन का समान रूप से वितरण होना चाहिये। यह इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन का स्थान ले लें। बल्कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा इसे फैलायें। इससे ग्रामों की उन्नति होगी और आय सामान्य रूप से बढ़ेगी। चन्द हाथों में दौलत इकट्ठी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगी। एक समय था जब भाप की मशीन तैयार होती थीं। भाप एक जगह केन्द्रित होती थी, लेकिन आज हम आगे बढ़ गये हैं। आज एटोमिक पावर से यंत्र चालित किये जा सकते हैं जो घर-घर में लगाये जा सकते हैं और इससे आरगेनाइजेशनल प्राबलम् सौल्व हो सकती है। इससे अधिक मजदूर भी काम में लग सकते हैं। इसके साथ साथ मिल मालिक और मजदूरों का जो झगड़ा है, वह भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में जो मजदूर हैं वे मालिक होंगे और जो मालिक हैं वे मजदूर होंगे और दोनों में कोई अन्तर नहीं होगा।

सहकारिता एक अच्छी चीज है, लेकिन राजतंत्र के द्वारा नहीं चलनी चाहिये, स्वेच्छा से चलनी चाहिये। जो कारखाने सहकारिता के आधार पर खोले जाते हैं, उनमें उत्पादन नहीं हो पाता है और वे बन्द हो जाते हैं। इटावे में श्रीमन्, एक यार्न की फैक्टरी है वहां पर जुलाहों का रिबेट काट काट कर कारखाने में काम चलाया जाता है। फिर ये बुलन्दशहर में एक कारखाना खोलने जा रहे हैं। जब एक मिल से उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों कर-दाताओं पर कर का बोझ बढ़ावें? मेरे बिचार में यह उचित नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान के ऊपर आज हम वाद विवाद कर रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है कि करीब-करीब सारे हाउस का यह मत रहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। यदि हमें अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो खेती के बाद जो दूसरा धन्धा आता है वह है उद्योग। आंकड़ों के देखने से और भाषणों को सुनने से यह भी प्रतीत हुआ और यह सही ही है कि बावजूद पूरी कोशिश के भी हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में जितना आगे बढ़ना चाहिये था उतना नहीं बढ़ पाया है। पर मैं यह अवश्य कहूंगा कि कोशिश निरन्तर की जा रही है और इन २–३ वर्षों में जो कोशिश की गयी और जो आंकड़े हमारे सामने आये उनसे आशा बंधती है कि हम शीघ्र ही उस प्रगति को प्राप्त कर सकेंगे, जिसका हमारा लक्ष्य है। जो वाद-विवाद माननीय सदन में हुआ है और विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव हमारे राय साहब ने किया है और इस संबंध में जो हमारे भाई बोले हैं उससे यह जाहिर हुआ है कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत क्षेत्र का संघर्ष है और यह चीज सही भी है। किन्तु यह मानी हुई बात है कि यदि समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, उन्हें हम एकदम तहस नहस नहीं कर सकते हैं। उसको कुछ समय तक जीवित रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत क्षेत्र भी उन्हीं में एक है।

माननीय मंत्री जी का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उद्योग के संबंध में जो हमारी स्थापना की नीति है, उसमें हमें अर्थ शास्त्र के उस सिद्धान्त को नहीं भूलना चाहिए कि श्रम, रा-मैटीरियल अर्थात् कच्चा माल और उत्पादन का उपभोग (कन्जम्प्शन) जहां पर ये तीनों साधन उपलब्ध होंगे, उतना ही उद्योग अधिक सफल हो सकेगा। हमारे उद्योग विभाग में जो जिले के स्तर पर अधिकारी हैं उन्हें अपनी नीति में इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जिस स्थान पर जो उद्योग खोला जाय उन साधनों को सर्व प्रथम ध्यान में रखा जाय। देखने में यह आता है कि लोग अक्षय स्थानों पर प्लास्टिक का काम करने के लिये ऋण ले लेते हैं, पर प्लास्टिक उन्हें वहां मिलता नहीं उसके कारीगर भी नहीं मिल पाते नतीजा यह होता है कि उस रुपये को या तो दूसरे व्यापार में लगाते हैं या उस रुपये को खाकर ऋणी हो जाते हैं ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे उद्योग नहीं पनप सकते हैं। साथ ही ऋण जिला स्तर पर १०,००० रुपये तक, राज्य स्तर पर १५,००० तक और उसके बाद वित्तीय निगम के द्वारा दिया जाता है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस देय ऋण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो राज्य स्तर पर दिया जाता है। नियम बड़े कठिन हैं और २–२ वर्ष बीत जाते हैं लेकिन वह रुपया नहीं मिल पाता है और वह सारी स्कीम उत्साह तथा सारी मनोभावनायें खत्म हो जाती हैं और जो लक्ष्य होता है वह पूरा नहीं हो पाता।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

चीनी के संबंध में महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जिक्र किया था और जो पुस्तिका उद्योग विभाग से मिली है उसमें भी यह छपा है कि सहकारी क्षेत्र में १० चीनी की मिलों को लगाने हेतु सर्वेक्षण हो रहा है। ४ के लिये स्थान नियत हो चुके हैं। दो के लाइसेन्स भी मिल चुके हैं और २ के लिये मिलने वाले हैं। बहराइच क्षेत्र ऐसा है जहां पर राप्ती, सरयू और घाघरा ऐसी बड़ी नदियां सरदर्द बन गयी हैं। ये तीनों नदियां नेपाल से निकल कर बहराइच जिले में आती हैं और उसकी तहसील नानपारा में उनका सब से पहले प्रकोप विशेष रूप से होता है। बाढ़ के नियंत्रण के लिये वहां बांध भी बांधा गया लेकिन उस बांध के कारण उस क्षेत्र की बड़ी दुर्दशा हुई है और काफी फसलों को नुकसान पहुंच जाता है जिससे काश्तकारों के जीवन कष्टमय हो गये हैं। वहां गन्ने की पैदावार भी काफी होती है। अन्न की अपेक्षा बाढ़ें गन्ने को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाती हैं। अतः जो यह सहकारी शुगर मिलें खोली जा रही हैं उनमें से नानपारा के अन्दर एक शुगर मिल अवश्य खोलने की व्यवस्था की जाय। जब माननीय फूलसिंह जी नियोजन के डिप्टी मिनिस्टर थे ५२ से ५७ तक तो नानपारा को चीनी मिल में लिये सर्वेक्षण में लिया गया था। मेरा निवेदन है कि इस बार भी नानपारा को सर्वेक्षण क्षेत्र में रखा जाय ताकि वहां के किसानों के जीवन की रक्षा हो सके और शकर के उत्पादन में वृद्धि हो सके। वहां के किसानों की यह जोर दार मांग है।

ग्रामोद्योग के बारे में कहा गया। गांवों के अन्दर जहां मिल नहीं है शक्कर की वहां गुड़ बनाने के साधनों को मुहइया किया जाय। लेकिन गुड़ का उद्योग धीरे-धीरे घटता जा रहा है क्यों कि शासन उस अनुदान में कटौती कर रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। शहरों के अन्दर जो ऋण दिया जाता है वह मकानों के मूल्यांकन से हैसियत पर दिया जाता है। ग्रामों में तकाबी देने के लिये हैसियत को लगान का सीरदार को १ का ८० गुना और भूमिधर को १ का १२० गुना आंका जाता है, लेकिन जब ऋण उद्योगों के लिये दिया जाता है वहां यह फारमूला देहातों में एप्लाई नहीं किया जाता जिससे गांव का रहने वाला ऋण नहीं पा पाता है और जो व्यापारी वर्ग है वह ऋण ले जाता है व्यापारी वर्ग उद्योग के नाम पर ऋण लेता है और वह उसको दूसरे कामों में लगाता है। ब्लाकों के अन्दर ए०डी० ओ० उद्योग रहते हैं। इन्सपेक्टर होते हैं। उनका अच्छा खासा एमाउन्ट तय रहता है जिसे लेकर वह व्यापारियों को ऋण दिला देते हैं। इसकी जांच होनी चाहिये और इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। जो लोग ऋण ले कर सही काम में न लगा कर दूसरे कामों में खर्च करते हैं उनके लिये कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि सही कामों में रुपया खर्च हो सके और उद्योग धंधे पनप सकें। अन्त में मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं सुबह से उद्योग धंधों के संबंध में चर्चा सुनता रहा हूं। यह भी बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार का अड्डा है। हम औद्योगीकरण के भक्त हैं। सोशलिस्ट पार्टी औद्योगीकरण में विश्वास करती है और अगर औद्योगीकरण हो तो मैं मंत्री जी को माला पहनाता हूं। गांवों में छोटे छोटे उद्योग-धंधे अगर खोल दिये जायं तो बेरोजगारी दूर हो जायगी और बड़ी-बड़ी मिलें जो हैं उनका एक दम से विध्वंस कर देना चाहिये।

कुछ सदस्य—

इससे औद्योगीकरण कैसे होगा ?

श्री लखीसिंह—

विध्वंस करने से मेरी भाषा में राष्ट्रीयकरण के मानी हैं। सरकार यह स्वीकार करेगी नहीं, क्योंकि इस सरकार में दम नहीं है। कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मिनटों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह काम हो जाता, एक दम घोषणा हो जाती। श्रीमन् क्या बताऊं श्री जगदीश शरण जी ने बताया कि १०० में ६० रुपये का घोटाला है, उद्योग विभाग की तरफ से बताया गया कि १०० में ४० रुपये का घोटाला है, और मुझसे पूछा जाये तो १०० में ९८ और ९९ का घोटाला है। लेकिन मदारी जब खेल खेलता है तो उसके पास उसकी मदद के लिये, उसकी चाल को सफल बनाने के लिये २-४ जमूरे उसके झोले में होते हैं। तो इस सरकार के पास भी कुछ जमूरे हैं, दो चार, जमूरे इधर से उधर चले गये हैं। देखो रामायण राय जी भी उनमें से एक हैं। और वह जमूरे हर वक्त इसकी तारीफ किया करते हैं। गलत काम हो तब भी, सही काम हो तो उसका कहना ही क्या। हम तो सिर्फ सही काम की तारीफ करें, यदि यह सरकार सही काम करे तो हमारी पार्टी उसकी तारीफ अवश्य करेगी और मैं पहला आदमी हूंगा जो उसकी तारीफ करूंगा। हमारे जिले के माननीय कन्हैया लाल जी बैठे हुये हैं, उनसे पूछा जाये कि औद्योगीकरण के लिये जिस कमेटी के हम सदस्य हैं, उसमें क्या होता है। माननीय मंत्री जो नव जवान हैं, उद्योगों के लिये उनके दिल में ध्यान है मैं आपको भी मान लेता हूं आप पेशेवर और पुश्तैनी उद्योगीकरण के एक खानदान में से हो। लेकिन यह जो आपके डाइरेक्टर और सेक्रेटरीज हैं, गला लंगोट बांधे यह इसमें खाक नहीं जानते। हर मामले में पंजाब सरकार की तारीफ होती है और पंजाब की सरकार तारीफ के काबिल भी है। उसकी तारीफ की खुशबू उड़ी हुई है। तो फिर जाकर उनको अपना गुरू बनाओ और डाइरेक्टरों को आप भेजो कि वे वहां से पढ़कर आयें पहले। पंजाब में भेजो उसके बाद वे यहां आकर काम करें।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, आपने लाल बत्ती दिखा दी, अभी तो मुझे बहुत बोलना है। एक बात मैं, श्रीमन्, आपको बताऊं, जिला उद्योग कार्यालय में हमने कहा कि हमें बतायें कि इस इस उद्योग से किस-किस को रुपया मिलता है तो वहां इसकी किताब ही अंग्रेजी में है। उद्योगधंधे के बारे में पढ़कर समझें क्या, वह किताब ही अंग्रेजी में छापकर भेजी है। उसे आम जनता उद्योग करने वाली जनता समझ नहीं सकती और समझ बूझकर यदि कोई आये तो ८०-८० रुपये का स्टाम्प खर्च होता है जब कोई पैसा लेता है। साधारण आदमी, कोई चमड़े का काम करने वाले, छोटे जूते बनाने वाला इस उद्योग में सफल नहीं हो सकता है, वह उस कर्ज को ले नहीं सकता है। हां, इस बारे में बसन्तलाल जी ऐसे सदस्य ने ठीक बात कही, लेकिन शरण जी, जो शायद वकील हैं उन्होंने चौपट ही कर दिया। जब केशवसिंह के मामले में उसे गिरफ्तार करा दिया, श्रीमन् आप भी हमारी बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या सुनूं ?

श्री लखीसिंह--

आप भी वकील हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं कह सकता। वकील नाम की बीमारी से सावधान रहना चाहिये। श्रीमन्, आपसे नहीं कह रहा हूं। सुना है, फिर से बहस होने वाली है कल और परसों। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो पीठासीन रहे वह देखे कि वकील का एक भी भाषण नहीं होना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री लखीसिंह--

२ मिनट और दे दिया जाये, मेरे जिले की बात रह गयी। मथुरा जिले में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है, एक भी मिल नहीं है। मंत्री जी ने १०-१० मील बताई हैं। कांग्रेसी पार्टी के तरफ से छाता में चीनी की मिल खोली गयी। यह क्या मामला है कि केंद्रीय सरकार का आर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बिल्कुल बैठ जायें।

*श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग विभाग का अनुदान चल रहा है और इस पर इधर से और उधर से जो भी बोले हैं सभी की जबान पर मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की बात आयी । चुर्क सीमेंट फैक्टरी जब बनायी गयी थी तो उस क्षेत्र के लोगों के हित के लिये बनायी जा रही है यह कहा गया था । लेकिन वह बन भी गयी, आज सीमेंट फैक्ट्री में बनायी जा रही है और जो उद्योग चल रहे हैं उनसे उस क्षेत्र के लोगों का क्या हित हुआ है यह बताना चाहता हूं । उस क्षेत्र में फैक्ट्री की बुनियाद जब पड़ी तब से लेकर अब तक जो उद्योग मंत्री गये उन सबसे यह आश्वासन मिला, लेकिन हम लोगों की जमीनें ले ली गयीं, हम बेरोजगार हुये, जिस जमीन पर हम खेती करते थे वह भी छीन ली गयी पर वहां के लोगों को फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिला, मुलाजिमत नहीं मिली । हम बेकार हो गये । मुआविजा बहुत कम मिला जमीन का और नौकरी नहीं मिली वह अलग । अब तक उस इलाके में यह होता है कि अपने घरों के आसपास हम पत्थर तोड़ते थे, गिट्टी तोड़ते थे और चाहे तो ठेकेदारों के जरिये से या वैसे ही बेंचकर अपना जीवन चलाते थे । अब सुना है कि वहां का जो पहाड़ था वह यू०पी० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के सुपुर्द कर दिया जायगा और उसका परिणाम यह होगा कि उन गरीबों का यह रोजगार भी बन्द हो जायगा । जिससे वह मजदूरी करके अपने पेट भरते थे वह सब छिन जायगा । इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां के लोगों को अपना भट्टा लगाने के लिये, पत्थर की गिट्टियां तोड़ने के लिये उनको परमिट्स अवश्य दिये जायें जिससे वहां के लोगों का रोजगार न खत्म हो ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां चुर्क सीमेंट फैक्ट्री बनी, हम दुखी और परेशान हुये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्जापुर डेढ़ सौ मील लम्बा जिला है जिसमें करीब ३५ मील मैदान है और बाकी सारा पहाड़ी जिला है, कुल पहाड़ पर है । एक फैक्ट्री है । उस फैक्ट्री की उस जिले में २० दुकानें खुलीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि १९ दुकानें मिर्जापुर शहर या उसके आसपास दी गयीं । फैक्ट्री से ५० मील दूरी पर शहर है । दूधी में पारसाल केवल एक दूकान खोली गयी है । हमारे गांवों के लिये जो सीमेंट चाहिये वह वहां नहीं मिलता है । हमें आश्वासन मिला था कि सस्ता सीमेंट मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है ? सीमेंट चुर्क से मिर्जापुर आवे और वहां से हमें परमिट मिलेगा । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों को और वहां के देहात के लोगों को भी सीमेंट वहीं फैक्ट्री के आसपास विकास कार्यों और दूसरे कार्यों के लिये मिले जिससे वहां के लोगों का फायदा हो सके और वे आगे बढ़ सकें ।

श्रीमन्, वहां नौकरी के लिये वहां ग्रैजुएट लड़के, बी०ए०, बी०एस-सी० लड़के, एम०ए० एल०टी० दरख्वास्त देते हैं कि हमें क्लर्की दे दीजिये । लेकिन बाहर के अधिकारी जो जाते हैं वे अपने साथ बाहर से क्लर्क और चपरासी ले जाते हैं और वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है । उनके साथ पक्षपात किया जाता है । वहां के बी०ए० और एम०ए० पास लड़कों को नौकरी नहीं दी जाती और बाहर के हाई स्कूल और इंटर पास लड़कों को नौकरी दी जाती है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और खासतौर से दूधी तहसील का सवा सौ मील का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । मिर्जापुर के रहने वालों को औद्योगिक विकास के लिये जो अनुदान मिला है वह और जिले जो मैदानी हैं उनके ही तरीके पर मिला हुआ है, बड़े बड़े हाकिम जैसे और मैदानी जिलों में जाते हैं वहां की मैदानी जगहों को देखते हैं वैसे ही इस जिले में भी मैदानी इलाकों को देखकर लौट आते हैं । नतीजा यह होता है कि उस क्षेत्र को जो पहाड़ी है लाभ नहीं मिल पाता । पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन चार जिलों को पटेल आयोग ने छांटा यह जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनसे कम पिछड़ा नहीं है, बल्कि उनसे अधिक ही पिछड़ा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक कमीशन बना दीजिये जो मिर्जापुर के सवा सौ मील लम्बे पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण करे और सीमेंट फैक्टरियों और दूसरी फैक्टरियों में किस तरीके से अधिकारियों द्वारा नाजायज फायदा उठाया जाता है, वहां के सामान का जो नाजायज इस्तेमाल किया जाता है उसका निरीक्षण करे। वहां जो मजदूर रखे जाते हैं या उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसकी जांच करायी जाय, वहां के लोग गरीब हैं, पहाड़ी हैं, आदिवासी हैं, सब कुछ होते हुये भी उनकी जमीन ले ली गयी और नौकरी भी मिली नहीं, साधन नहीं रह गया है, उनकी सहायता अधिक से अधिक की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री झारखण्डेराय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम भाइयों का जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया है, चाहे वह विरोधी पक्ष के हों या शासक पक्ष के भाई हों। मान्यवर, जब मैंने यह बात कही थी कि एशिया अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश हैं जिनकी नीति प्रगतिशील है वह प्रगतिशील बुरजुवा नीति पर चल रहे हैं, तो मेरा आशय यह था कि वह अपने यहां पब्लिक सैक्टर का प्रसार कर रहे हैं। उसके लिये वह दो तरीके काम में ला रहे हैं। एक, नये-नये कारखाने पब्लिक सेक्टर में खोलकर, और दूसरे उनके देश में जो पुराने कारखाने हैं और पूंजी पतियों के हाथ में है उनका राष्ट्रीयकरण करके इन दो तरीकों से वह पब्लिक सेक्टर का प्रसार कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारे सूबे में काम होना चाहिये। इसीलिये हमने बराबर इस बात की मांग की है और उस बात को आज फिर उठाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इस दिशा में यह सरकार केंद्रीय सरकार से लिखापढ़ी करे और दबाव दे। इस तरफ अगर सरकार का कदम हो तो पूरे प्रदेश की जनता और हम इनके साथ रहेंगे। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि जब मैंने समाजवाद की बात कही तो उस समाजवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा है और वह है "सोशलाइजेशन आन मीन्स आफ प्रोडक्शन" अर्थात् उत्पादन के साधनों की सामाजिक स्वामित्व। इस दृष्टिकोण से हम देखें तो जब से इस सरकार और उसकी पार्टी कांग्रेस ने समाजवाद के उद्देश्य की घोषणा और एलान किया, तब से इसकी प्रगति कुछ नहीं हुई। वह प्रगति दशमलव शून्य ही है।

मान्यवर, खांडसारी और गुड़ इस प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग है और इसमें १५ लाख आदमी लगे हुये हैं। इतने आदमी उस उद्योग में जीविका पा रहे हैं तब भी सरकार उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है बल्कि हतोत्साहित कर रही है। उनके मुकाबले में जो पूंजीपति हैं उनको तरजीह दे रही है। जो छोटे-छोटे उद्योग हैं जिनका चर्चा इस सदन में किया गया उसके बारे में प्राक्कशन उपसमिति की एक नई रिपोर्ट है। उस समिति के संयोजक और समिति ने पंजाब में घूमकर वह रिपोर्ट दी है। मैं चाहता हूं सरकार उस समिति की रिपोर्ट से लाभ उठाये और उसमें जो मान्यतायें स्वीकार की गई हैं उनको अमल में लाने की कोशिश करे ताकि हमारे सूबे में, जो पंजाब से लगा हुआ है, उसी प्रकार प्रगति दिखाई दे। श्रीमन्, आज दशा यह हो गई है कि देहात से लोग शहर की ओर रोजी हेतु जाने को उत्सुक हैं। शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। सारा देहात शहरों की ओर जा रहा है देहात की आबादी कम और शहरों की बढ़ रही है। समाज का इम्बुर्जुआमेंट हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि छोटे-छोटे शहरों को स्थापित किया जाय और उनकी संख्या बढ़ायी जाय। इन छोटे शहरों को बड़े होने दें। यदि बड़े शहरों को और बड़े होने दिया गया तो आगे चलकर यह और नई-नई प्रकार की समस्यायें हमारे सामने उपस्थित करेंगे। इसलिये आज के समय में यह उचित है कि छोटे शहरों को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाय। छोटे शहरों में इंडस्ट्री खोलें। वे बिखरे खोले जायं, चाहे पब्लिक में निजी। उसके आसपास टाउन डेवलेप करें ताकि बड़े शहर कम हों। मध्यम दरजे को शहर की ओर सरकार बढ़े और उनका विकास हो तो अच्छा है।

[श्री झारखण्डेराय]

एक बात मैं सरकार से और निवेदन करना चाहता हूं । जो बड़े-बड़े पूंजी पति हैं कानपुर के उनसे यह सरकार दब जाती है लेकिन पूंजीपति वर्ग में जो छोटे-छोटे, मध्यम दरजे के पूंजीपति हैं उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । कोई रियासत उनके लिये नहीं हैं । जो ऊंचे पूंजीपति है उनके काम मिनटों में होते हैं । छोटे पूंजीपतियों के काम महीनों तक भी नहीं हो पाते । यह भेदभाव की नीति हमारे प्रदेश के औद्योगीकरण में बहुत बाधक है ।

स्टेट खादी बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग कमीशन की बात जो मैंने कही थी वह समझबूझकर कही थी । उसको भावुकतावश नहीं कहा था । मैं साफ कहना चाहता हूं कि उसके कार्यकर्त्ताओं को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है । मेरे क्षेत्र में एक सज्जन हैं, मैं उनको जानता हूं कि वह ऐसा करते हैं । आजमगढ़ में सधन विकास क्षेत्र दोहरं घाट है, जिसके कार्यकर्ता चुनाव में पूरे कार्य-भार को बन्द करके झंडे लेकर नारे लगा कर घूमते हैं । उसकी चर्चा मैंने पहले छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं । जब अमरोहा में चुनाव हुआ था तो प्रदेश जानता है कि खादी ग्रामोद्योग संघ के स्थानीय और राज्यस्तर के कार्यकर्ता आचार्य कृपलानी के चुनाव में काम कर रहे थे । यह अर्ध-सरकारी संस्था राजनीतिक लोगों के पनाह का एक सेन्टर है, उसको इस प्रकार से तरजीह नहीं मिलनी चाहिये ।

लखनऊ के पास चिनहट में एक ड्राई मिल्क फैक्टरी है । अभी-अभी नियम ५२ की एक नोटिस प्रातःकाल सदन में पेश हुई थी कि दूध की कमी हो गयी है । कारण यह है कि ड्राई मिल्क फैक्टरी तमाम देहात का दूध पाउडर बनाकर भेज देती है । उसकी लखनऊ में खपत नहीं होती, बल्कि वह सूबे के विभिन्न स्थानों में या बाहर भेजा जाता है । यह एक कारण है कि यहां लखनऊ में दूध की कमी है । ऐसे उद्योग यदि मनमाने तरीके से खोल दिये जाते रहे तो यह घातक होगा । मुझे पता लगा है कि उसका लाइसेंस राज्य सरकार से नहीं मिला है, बल्कि भारत सरकार से ऊपर ऊपर ही दे दिया गया । यह ताल-मेल भारत सरकार और यू० पी० सरकार के बीच में न होना हानिकर सिद्ध होगा ।

मैंने जैसा कि बताया, मैं यह भी चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल आफिसर्स हैं या इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह अपने पीरियाडिकल और एसेंश्यल टूर किया करें । कानपुर के अपने मठ को छोड़ कर दौरे किया करें । स्वयं क्षेत्रों में जाकर देखें, समझे कि कहां कौन सी इंडस्ट्री खुल सकती है और किस इंडस्ट्री को कहां प्रोत्साहन देना चाहिये और किसको नहीं देना चाहिये । मनमाने तरीके से जो दरख्वास्तें आती हैं उसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि वह दौरा किया करें । लाइसेंस और लोन का देना आज एक समस्या हो गयी है, उसके भी स्थानीयकरण की जरूरत है । क्षेत्रीय लोगों में अधिकारी जांय वहीं पर दरख्वास्तें ली जायं, गवाहियां ली जांय, सबूत लिये जायं और वहीं पर फैसले कर दिये जांय । बजाय इसके कि लाइसेंस या रुपया लेने वाले लोग इधर उधर भटकते फिरें इंडस्ट्रियल आफिसर और कानपुर तक । ये छोटे-बड़े दफ्तर भी भ्रष्टाचार के सेंटर्स हो गये हैं, उसकी रोकथाम के लिये यही उपाय है कि अधिकारी खुद देख-भाल करें और मौके पर काम करें । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, दो मिनट और ।

मुझे याद आ रहा है कि जब गोविन्दनारायण जी चीफ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने हर क्षेत्र के मंडलीय प्रतिनिधियों, एम० एल० एज० और एम० पी० ज० की मीटिंग करके वहां की समस्याओं को सुनने का एक तरीका निकाला था कि किस क्षेत्र की क्या जरूरत है और कहां पर कौनसा विकास कार्य अथवा उद्योग खुल सकता है । उससे बड़ी सहायता मिलने की आशा थी । बड़ा अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गयी हैं । मैं समझता हूं कि उस तरीके से अब भी कोशिश की जानी चाहिये जिससे अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं और जरूरतों का साक्षात अनुभव प्राप्त हो सके ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि सारी दुनियां का इतिहास और आज के नव स्वतंत्र संसार की मानवता का इतिहास हमको दो रास्ते का सबक सिखाता है। किसी देश के, खास कर पिछड़े हुए एशिया और अफ्रीका के तटस्थ देशों के सामने दो ही विकास के रास्ते हैं---एक कैपिटलिस्ट और एक नान-कैपिटलिस्ट-पूंजीवादी और गैर-पूंजीवादी। इन दो रास्तों से ही हमको जाना है। समाजवाद के राष्ट्रीय लक्ष्य के घोषित हो जाने के बाद, समाजवाद के लक्ष्य की घोषणा के बाद हमें समाजवादी रास्ता अपनाना होगा और उस ओर दृढ़ता के साथ सरकार को बढ़ना होगा। जितनी सरकार उधर बढ़ेगी उतना ही सहयोग जनता का मिलेगा। अगर पूंजीवाद का रास्ता पकड़ा गया, जैसा कि पकड़ा गया है, तो उसका अनिवार्य परिणाम यही होगा जो पूंजीवादी मुल्कों में हुआ है या हो रहा है। एक मौत का रास्ता है, दूसरी जिन्दगी की राह है। जनता की मुक्ति जिन्दगी की राह में है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने औद्योगिक विकास पर अपना संतोष जाहिर किया और आभारी हूं उन माननीय सद यों का भी जिन्होंने अपना क्षोभ प्रकट किया तथा कुछ त्रुटियों की ओर संकेत किया और सुझाव दिये। यदि त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित न किया जाय तो यह हो सकता है कि उनको दूर न किया जा सके और जो औद्योगिक प्रगति हम करना चाहते हैं वह हो पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग को राजनीति से दूर की चीज समझता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार में दम नहीं है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों को समाप्त कर दे, अगर दम होता तो वह इनको समाप्त कर देती। माननीय लखीसिंह ने कहा कि बड़े उद्योगों को खत्म कर देना चाहिये, उनको विध्वन्स कर देना चाहिये। वे इस समय यहां नहीं है, मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी काम को खत्म करने या विध्वन्स करने की बात आसान है, मगर किसी काम को करना कठिन होता है। इस ओर तथा उस ओर के माननीय सदस्यों की यह प्रबल इच्छा है कि प्रदेश में औद्योगीकरण हो और हमारी भी यही इच्छा है। जितना औद्योगीकरण यहां होना चाहिये था वह नहीं हुआ है यह भी ठीक है, इसमें मैं सभी की राय से सहमत हूं। आज ऐसी खुशी का अवसर भी नहीं है कि जो मैं यह कह सकूं कि जितना औद्योगीकरण होना चाहिये था वह हो गया, अब जरूरत नहीं है और कोई काम इस ओर बाकी नहीं रह गया है। हमारे काम के तरीकों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उन पर हमें विचार करना है। हमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि जो भूलें हुई हैं वे जानकारी में हुई हैं या अनजाने में हुई हैं। आपको मालूम है कि प्रथम १०-१२ वर्षों में हमने अपने प्रदेश में औद्योगीकरण पर जोर नहीं दिया, कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण कृषि पर ही हम बल देते रहे। हमारे सामने औद्योगीकरण करने में अनेकों कठिनाइयां भी हैं। अपने प्रदेश में औद्योगीकरण करके ही गरीबी का निवारण हम कर सकते हैं।

मान्यवर, जितना औद्योगीकरण होना चाहिये, उतना हम नहीं कर सके हैं। देखना यह है कि क्या वह हमारे अधिकारियों में काम की किसी कमी के कारण या उनकी त्रुटियों के कारण नहीं हो सका है, या वास्तव में हमारे सामने कुछ ऐसी कठिनाइयां थीं जिन पर काबू पाना हमारे लिये मुश्किल था। माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब को हमें इस मामले में गुरु बनाना चाहिये था। मैं तो माननीय सदस्यों को गुरू बनाने के लिये तैयार हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि औद्योगीकरण के सिलसिले में जो भी उनके सुझाव हों वे मुझे दें। इसके लिये मैं उन्हे दावत देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, आज नहीं तो फिर दें, क्योंकि बजट ही उसके लिये कोई समय नहीं होता है। जब भी वे सुझाव देंगे, उनके सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

मान्यवर, इस थोड़े से समय में सभी माननीय सदस्यों की आशंकाओं का उत्तर देना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि कुछ बातें माननीय सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के बारे में कही गयी हैं। उनकी जानकारी मुझे इस समय होना सम्भव नहीं है। मैंने उनके सुझावों को नोट कर लिया है और मैं उन सभी का फायदा उठाने का प्रयत्न करूंगा। जो शिकायतें हैं उनको भी देखूंगा।

मैं इस बात से समहत हूं कि उत्तर प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में उद्योगों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा मानने में मुझे कठिनाई है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण में कोई प्रगति हुई नहीं। अन्य माननीय सदस्यों के अतिरिक्त माननीय झारखंडेराय जी ने भी कहा कि कुछ काम अवश्य हुआ है कुछ में नीति का प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय। प्राईवेट सैक्टर को रक्खा जाय या न रक्खा जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वे अवश्य विचार करें कि जब औद्योगीकरण हमको करना है तो इस समय यह प्रश्न हमारे सामने न आता कि औद्योगीकरण निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक में हो। किसी व्यक्ति विशेष को न पनपने दिया जाय ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। आज प्रश्न यह है कि औद्योगीकरण हो चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि औद्योगीकरण निजी क्षेत्र में हो गया तो सारी सम्पत्ति उन्हीं के क्षेत्र में चली जावेगी। गवर्नमेंन्ट को सब अधिकार है। माननीय सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार है। आज यदि हम इस झगड़ा में पड़ गये तो हमारे औद्योगीकरण में रोक लग जावेगी। उद्योगपतियों को बहुत चीजों की जानकारी है जो कि उद्योग करते चले आये हैं। हमारी कठिनाई यह भी रही है कि कृषि प्रधान देश होने से जानकारी इस क्षेत्र में कम रही। उद्योगों में अभिरुचि कम थी। सबसे बड़ी कठिनाई थी अभिरुचि पैदा करने की। हमने इस ओर अभिरुचि पैदा की। अब जब अभिरुचि पैदा हो गई है तो उन लोगों को हटा देना या सार्वजनिक क्षेत्र में न करने देना, यह सब बातें एक विवाद ग्रस्त प्रश्न के रूप में हैं। मैं यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम औद्योगीकरण करें चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। इससे रोजगार में वृद्धि होगी, बेकारी दूर होगी, जीवन का स्तर ऊंचा होगा। मेरा विचार है कि इसी की इच्छा सभी माननीय सदस्यों की है।

जैसा कि मैं कह रहा था कि औद्योगीकरण में हम पिछड़े अवश्य हैं। उसका कारण केन्द्रीय सरकार ने पिछले दस बारह वर्षों में इकाइयां लगाई उससे उत्तर प्रदेश वंचित रहा। उसका कारण था कि केन्द्र ने जितना धन रक्खा था वह रक्खा था खनिज पदार्थों के लिये, लोहे और तेल के कारखानों के लिये। और ऐसी प्राकृतिक उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में थी ही नहीं। तो इकाइयां यहां लग ही नहीं सकी। जैसा मैंने शुरू में भी माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि चार हैवी इन्डस्ट्रीज केन्द्रीय सरकार ने लगाईं। वे बड़ी इन्डस्ट्रीज तो लग गई, लेकिन उनसे क्या लाभ होना है? एन्टी बायोटिक फैक्ट्री, ऋषीकेश में, ७२ रासायनिक उपलब्धियों के कारखाने लगेंगे। १७ अन्य श्रेणियों के कारखाने लगेंगे, १३ बिजली सम्बन्धी, चार मेकैनिकल, सात रसायन सम्बन्धी, आठ विभिन्न प्रकार के कारखाने लगाये जावेंगे। फरटीलाईजर फैक्टरी गोरखपुर में १३ प्रकार के रासायनिक कारखाने लगाये जावेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों नें कहा कि सरकार बड़े कारखानों को बन्द कर दे तो यह नीति ठीक नहीं होगी। उन बड़े कारखानों के द्वारा जो छोटे कारखाने पनपते हैं उनसे हम वंचित हो जावेंगे। जो तकनीकी शिक्षा बड़े कारखानों में मिलती है वह नहीं मिल पावेगी। कच्चे माल की उपलब्धियों में जो सुविधा प्राप्त है वह नहीं मिल सकेगी। छोटे कारखानों द्वारा जो माल खरीदा जाता है वह नहीं मिल पावेगा। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कच्चे माल की कमी है। कच्चे माल की दर असल कमी है। कच्चा माल दो प्रकार का है। एक तो वह जो कि विदेशी मुद्रा से आता है। दूसरा जो हमारे यहां उपलब्ध होता है। हमारे यहां जो उपलब्ध है उसकी हमारे यहां कमी नहीं है।

यह भी शिकायत की जाती है कि कच्चे माल का दुरुपयोग हो रहा है। श्रीमन् मानता हूं और माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कच्चे माल का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ ऐसे आदमियों के हाथ में कच्चा माल पहुंच गया और कुछ सरकारी अधिकारियों की असावधानी के कारण, कि उसका दुरुपयोग हुआ है। लेकिन यदि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि कच्चा माल ही कितना उपलब्ध होता है तो शायद वे सहमत हों कि उसका दुरुपयोग कहां से हो सकता है? आपके द्वारा मैं उनका ध्यान लौहमिश्रित धातुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। १९६३-६४ में ३०० लाख रुपये की मांग थी, मिला हमको ४८ लाख रुपये का सामान। १९६४-६५ में ४०० लाख रुपये की मांग थी, मिला ४२ लाख रुपये का। इसी तरह से नानफेरेश मेटल जिसमें जी० पी० शीट्स आती हैं, मांग थी, हमारी ११ हजार टन की लेकिन आधा टन भी नहीं मिला। इसी तरह से काली चद्दर की मांग हमने १९६४-६५ में ३२ हजार टन की, लेकिन मिली केवल १० हजार टन। कच्चा लोहा तीन हजार टन मांगा, मिला १६० टन। स्टेनलेस स्टील मांगा तीन हजार टन, मिला १६० टन। जब उपलब्धि केवल आवश्यकता से ५ और १० प्रतिशत के बीच में है, तो उसमें हमारा क्या कोष है?

मैंने कहा मैं मानता हूं कि दुरुपयोग होता है, जब यह हमारी नजरों में आता है, तो हम उन यूनिट्स का कोटा कैंसेल करते हैं और आगे नहीं देते। माननीय रियासत हुसेन ने मिसाल दी कि ५२ ऐसी यूनिट्स हैं, जिन्होंने लाखों रुपये के माल का दुरुपयोग कर लिया। इस समय मैं इस स्थिति में तो नहीं हूं, जिससे यह कह दूं कि कितनों ने दुरुपयोग किया है, लेकिन यह मैं जानता हूं कि मुरादाबाद में दुरुपयोग कुछ हुआ और जैसे ही वह बात हमारी नोटिस में आई, उसकी जांच बैठाई गई और १५-२० यूनिट्स का कोटा हम बंद कर चुके हैं। ऐसे लोगों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो इसको देशद्रोह मानता हूं, जो विदेशी मुद्रा से मिले हुए माल का दुरुपयोग किया जाय। लेकिन एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं कि जब ठाकुर फूल सिंह लघु उद्योग मंत्री थे, उन्होंने और हमने इसकी बड़ी छानबीन करी। महीनों उस काम में लगे और हम सब ने ४०-५० कारखाने खुद देखे और जांच की कि कहां दुरुपयोग हो रहा है। जब अन्त में नक्शा तैयार हुआ तो इस नतीजे पर पहुंचे कि कच्चे माल का दुरुपयोग बहुत कम प्रतिशत में हुआ दृष्टि में आया।

उद्योगों के बढ़ने में भवन निर्माण सामग्री की कमी है और इसीलिये हम तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। जमीन की भी बड़ी आवश्यकता होती है। उसमें भी हमें बड़ी कठिनाई पड़ी इसी वजह से इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बनाया गया और उसने प्रयत्न किया है कि जमीनें उपलब्ध करें, ताकि उद्योग स्थापित हों।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जमीन की तथा और जो दूसरी सहूलियतें उद्योगपतियों को दूसरे सूबों में मिलती हैं, क्या वे सभी सुविधाएं आप अपने यहां भी देंगे, जिससे प्रदेश डेवलप करे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही कहा था कि हर सुझाव का उत्तर थोड़े समय में देना मेरे लिये बहुत कठिन है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा पूरा प्रयत्न है और हमने एक कमेटी भी बना दी है, जो उद्योगपति हमारे सूबे में उद्योग लगाना चाहें, हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि उनको सुविधाएं दें और यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरे प्रान्तों से हमारे पास मांगें आई हैं, कुछ आदमियों ने उद्योग यहां लगाये हैं और वह उत्सुक भी हैं, लेकिन एक बात आप न भूलें कि व्यापारी बड़ा चालाक होता है जब हमारे यहां आयेगा तो कहेगा कि पंजाब में बड़ी सुविधाएं हैं जो हम नहीं देते और यदि आप वह सुविधाएं दें, तो उद्योग लगालें और अगर कोई पंजाब में उद्योग लगाता है, तो वह वहां की सरकार से कहेगा कि दूसरे प्रान्त में हमको यह सुविधाएं

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

मिल रही हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि आपको उस भुलावे में नहीं आना चाहिये। लेकिन जहां तक बिजली का सवाल है, रुपये, जमीन टेक्निकल सहायता का सवाल है, हम देने को तत्पर हैं और बहुत खुशी से उद्योगों के लिये देंगे और मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा व्यापारियों को आश्वासन देता हूं कि वह हमारे यहां आकर उद्योग स्थापित करें। इसको आप चाहे एसोरेंस मानिये या विश्वास मानिये कि हम उन उद्योगों को जो दूसरे प्रदेशों से आकर हमारे यहां लगेंगे उनको वही सुविधाएं देंगे, जो और प्रान्तों में मुनासिब तरीके से मिल सकती हैं। समय की कमी के कारण मैं हर बात का जबाब तो नहीं दे सकता। (कुछ माननीय सदस्यों के जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये, उसके बाद में कोई बात आपको पूछनी हो, तो पूछ लीजियेगा।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने जैसा कहा इंडस्ट्रियल निगम का काम है कि वह जमीन उपलब्ध कराये और उसने कुछ जमीन उपलब्ध भी करायी, लाइसेंस भी दिया है। खनिज पदार्थों पर भी काम कर रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने बनाई केवल इसलिये कि जहां उद्योगपतियों को यह सुविधा नहीं है कि जमीन पर कारखाना बना सकें, उनको भवन के निर्माण के लिये भी साधन मिले, इसलिये औद्योगिक आस्थान का उद्देश्य यही है कि भवन निर्मित करके दिया जाय और वह उन्होंने दिये। जून १९६२ में औद्योगिक आस्थान जो बनाये गये और चालू हैं अभी केवल १/३ ही चल पाये हैं। जो नहीं चल पाये, उनमें से आधे के करीब तैयार हैं, जिन पर कब्जा देना है। १९६२ में इन आस्थानों से ३०.३९ लाख रुपये का उत्पादन था, और दिसम्बर ६४ तक वह उत्पादन बढ़कर १ करोड़ २ लाख हो गया है। मैं नहीं कहता कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। केवल बताना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया है उत्पादन को बढ़ाने का और माननीय सदस्य खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि काम हुआ है या नहीं ?

श्री बलवानसिंह—

कुछ डिमार्केशन स्माल स्केल और हैवी इंडस्ट्रीज में कीजिये। जो चीजें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में बनती हैं, उनको बड़ी इंडस्ट्रीज में न बनने दीजिये। औद्योगिक आस्थानों के बारे में कुछ पालिसी होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि उनको समाप्त कर लेने दीजिये, उसके बाद प्रश्न करें तो अच्छा रहे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माननीय सदस्य की आशंका बड़ी मुनासिब है, वह चाहते हैं कि लघु उद्योगों को किस तरह प्रोत्साहन दें। मैं बताना चाहता हूं कि सुबह जब मैंने यह कहा था कि लघुउद्योगों को हम विशेष प्रोत्साहन देते हैं, उनसे टेंडर फीस नहीं लेते और उनके माल की कीमत अगर १५ फीसदी बड़े कारखानों द्वारा निर्मित माल से ज्यादा होती है तो उनका ही माल खरीदते हैं। बड़े उद्योगों का जो माल है और दूसरे प्रदेश में जो माल बना है, बड़े उद्योगों द्वारा उनको भी ५ परसेन्ट छूट देते हैं। अतः हमारा प्रयास है कि लघु उद्योगों को पनपावें और आप जानते हैं कि लघु उद्योगों के द्वारा ही हम प्रदेश की आर्थिक दशा को सुधार सकते हैं। जब तक लघु उद्योगों को अधिक नहीं लगा पाते बड़े उद्योग चलेंगे, उनको चलने दें, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन छोटे उद्योगों का जैसा नवलकिशोर जी ने कहा था हमको तो एक जाल बिछाना है

गांवों में कस्बे-कस्बे में जिससे लोगों को रोजगार मिले, उत्पादन भी बढ़े इसलिये बेरोक-टोक हमको अगर रोजगार बढ़ाना है तो छोटे उद्योगों को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा।

खादी ग्रामोद्योग के बारे में आलोचना हुई। माननीय झारखंडे राय ने उसको कहा कि वह विधवा की तरह है, मालूम नहीं क्या करता है। मुझे उनकी बात सुनकर कुछ सन्तोष हुआ कि उन्होंने उसको विधवा ही कहा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं विधवा निःसहाय है। मैं तो डर रहा था कि कहीं वह यह न कह दें कि सरकार का उससे विशेष प्रेम है। बावजूद विधवा होने के यदि ग्रामोद्योग इतना काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं, वह संतोषजनक है और माननीय सदस्य भी संतोषजनक मानेंगे। श्रीमन्, अब उद्योगों को बढ़ाने के लिये आवश्यकता है टेक्निकल एजूकेशन, की क्योंकि यह सभी सदस्यों ने कहा कि बिना टेक्निकल एजूकेशन के, कुशल कारीगरों के उद्योग पनप नहीं सकते। अतः उसके लिये ११ इंजीनियरिंग कालेज खोले गये जिनमें २,११६ सीटें हैं, १३९ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के स्कूल हैं जिनमें ५,२०० तथा १,७०० विद्यार्थी प्रशिक्षण पाते हैं, इसके अतिरिक्त १६ हजार ड्राफ्टसमैन भी ४४ संस्थाओं में शिक्षा पाते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी टेक्निकल शिक्षा दी जानी चाहिये वह नहीं दे पाते हैं। हम उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी उसको बहुत शीघ्रता से बढ़ाने की इच्छा है और चाहते हैं कि अल्लादीन के लैम्प की भांति एकदम चारों तरफ तरक्की हो जाये, लेकिन हमारे साधन सीमित हैं, और करों का बोझ जनता उठा नहीं सकती, और ज्यादा रुपया हमारे पास है नहीं, केन्द्र से अगर हम मांगते हैं तो वह भी हमसे अपना हिस्सा देने को कहते हैं। एक कहावत है धीरे बंज अकुलाये खेती। प्रगति सब धीरे ही होती है। कोई काम ऐसा भी होता है जो फौरन कर दिया जा सकता है, लेकिन उद्योगों का काम ऐसा काम है जिसमें बड़ी पक्की बुनियाद लगानी पड़ती है। धीरे-धीरे उठाना पड़ता है। तभी उद्योग पनप सकते हैं।

एक बात यह कही गयी कि हमारे द्वारा दिये गये कर्जों का बहुत दुरुपयोग होता है, लेकिन इस सम्बन्ध में हमारे आंकड़े इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश लोन्स कमेटी ने १,२२ लाख रुपया, जिलाधीशों के द्वारा, २,४९ लाख रुपया और फाइनेंस कमीशन के द्वारा १,०४ लाख रुपया बांटा गया। यह फिगर्स मैं लगभग बता रहा हूं। कुल मिलाकर ४,७५,७४,००० रुपया बांटा गया। समय-समय पर इसकी जांच होती रहती है। इसमें से केवल ६४ लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया है। यह कर्जा १२ हजार यूनिट्स को विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न सोर्सेज से बांटा गया। ऐसी हालत में भी केवल १५ प्रतिशत का दुरुपयोग हुआ है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां दुरुपयोग हुआ है वहां सख्ती की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि ४५ प्रतिशत के बजाय ६६ प्रतिशत की वसूलयाबी हमने कर ली है। यद्यपि हमें इससे संतोष नहीं है। हमारे अधिकारी सचेत हैं और दुरुपयोग करने वालों के साथ सख्ती से वसूली की कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

एक शिकायत यह भी की गयी कि कर्जा मिलने में देरी होती है। कर्ज को तो आंख खोल कर ही दिया जाता है, उसके लिये जमानत की भी आवश्यकता होती है। देर उसमें संभव है, लेकिन एक देर ऐसी होती है जो हमारी तरफ से होती है और दूसरी देर कर्जा लेने वालों की तरफ से भी होती है। यदि कर्जा लेने वाला ही जमानत देने से या फार्म जमा करने से कासिर रहे तो उसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन फिर भी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि लोगों को कर्जा लेने में आसानी हो। छोटे उद्योग वालों को हमने छूट भी दे दी है। नियम में अब यह परिवर्तन कर दिया है कि दो हजार तक जिसको कर्जा दिया जायगा उसको निजी जमानत पर ही दे दिया जायगा और ५ हजार रुपया जिसको कर्जा मिलेगा उसको दो शख्शों की जमानत देनी होगी। ५ हजार के ऊपर प्रश्न आता है इस बात का कि वे जमानत जायदाद की दें। एक तरफ हमारे ऊपर आरोप यह है और न भी आरोप हो तो भी हमारी यह ड्यूटी है और माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि जो हमारा कर्जा बंटता है उसका सद्पयोग हो।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

एक बात मैं जानना चाहता हूं कि जिला समितियों द्वारा जो कर्जा दिया जाता है, उनमें १ हजार के कर्ज के ऊपर भी जायदाद की जमानत देने का कोई प्राविधान है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा था कि इनके भाषाण को समाप्त हो जाने दीजिये, फिर आप पूछ लेंगे ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को मैं भी मानता हूं कि जिला कमेटियों द्वारा जो ५०० रुपया, १०० रुपया, २५० रुपया या ३०० रुपया का कर्जा दिया जाता है, यह हमें औद्योगीकरण की ओर अधिक नहीं ले जायगा । असल में आजकल इतनी महंगाई है। और किसी चीज को खरीदने में इतना खर्च होता है कि दो हजार और चार हजार रुपये तो एक बहुत मामूली रकम है, इसलिये हम सुझाव दे रहे हैं कि उद्योग के लिये २ हजार से कम रकम न दी जाय जिससे उसका सदुपयोग हो सके ।

इस सिलसिले में दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे जिले की उद्योग समितियां भ्रमवश यह समझ बैठी हैं कि उनका काम केवल कर्जा देना है । यदि मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान उस जी० ओ० की ओर आकर्षित करूं जिसके जरिये उनका निर्माण हुआ है, तो वे पायेंगे कि उनका काम उससे कुछ व्यापक है और ज्यादा है । उनका रुपया ही केवल नहीं देना है बल्कि उनको यह भी देखना है कि उन्हें जो रुपया दिया गया है उससे कितना औद्योगीकरण हुआ है और कितना नहीं हुआ है । अब हम एक आदेश शीघ्र ही अपने कमिश्नरों और जिलाधीशों को भेज रहे हैं कि जिला लेविल पर जो जिला उद्योग समितियां बनी हुई हैं वे माननीय सदस्यों का सहयोग लें जिससे रुपया अच्छी तरह से बंट सके ।

जैसा कहा गया कि कर्जा बांटने में देर होती है, मैं एक मिनट में दो आंकड़े पेश करके बतलाने का प्रयास करूंगा कि बावजूद इसके सन् ५९–६० में कुल ५३.४० लाख रुपया बांटा गया जब कि सन् ६४–६५ में ११० लाख बांटा गया । सन् १९६०–६१ में ७१ लाख, ६२–६३ में ७९ लाख, ६३–६४ में ८९ लाख और ६४–६५ में १ करोड़ १० लाख बांटा गया ।

श्रीमन्, सबसे बड़ी दिक्कत जो उत्तर प्रदेश की है वह इसकी आबादी है । कच्चा माल आबादी के अनुपात से मिलता नहीं है, क्षेत्रफल के अनुपात से मिलता नहीं है । आवश्यकता के अनुपात से मिलता नहीं है । इसलिये इन्डस्ट्री में कभी लाभ हो नहीं सकता, जब तक कि इनवेस्टमेंट ज्यादा हो नहीं । इनवेस्टमेंट की पोजीशन हमारी यह है कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति इनवेस्टमेंट उद्योग में केवल २.७४ रु० है जब कि सारे भारतवर्ष में औसत ४. कुछ रुपया है । कुछ सूबों में तो औसत १६ रुपये और कुछ में १० रु० का है । जब इनवेस्टमेंट कम है तो उसका रिटर्न आवे वहां से ? मैं माननीय सदस्यों से कह दूं कि यदि उत्तर प्रदेश का सारा बजट उद्योग की तरफ लगा दिया जाय, तो भी शायद वह उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये पर्याप्त नहीं होगा । लेकिन हमें तो काम सब करना है । शिक्षा को रोक नहीं सकते क्योंकि वह बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है । हेल्थ विभाग और मेडिकल विभाग का काम रोक नहीं सकते क्योंकि उसके बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते । अगर जिन्दा ही नहीं रहेंगे तो उद्योग का क्या होगा ? पुलिस विभाग के कार्य को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि पुलिस हमें डाकुओं से बचाने में मदद करती है । मेरा कहना यह है कि हमें तो सब ओर देखना पड़ता है और चारों तरफ इन्तजाम करना पड़ता है । जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उद्योग में अधिक से अधिक रुपया लगावें । जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा– हमारे यहां कच्चे माल की कमी है, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहां सन् ५८ से जो नानफेरस यानी लोहा रहित उद्योग लगे हैं उसकी कमी थी इस की चर्चा हुई । सन् ५८ में केवल हमारे यहां २६ इकाइयां थीं वह सन् ६३ में ६० हो गई और उत्पादन सन् ५८ में था दस लाख, वह बढ़कर

हो गया सन् ६३ में ५४६ लाख। लौह मिश्रित धातुओं की सन् ५८ में थीं ३०४ इकाइयां और वह सन् ६३ में ४४२ हो गई और उत्पादन १,०४२ से बढ़कर १,८८६ हो गया। कर्मचारियों की संख्या जो १३,९८० थी वह बढ़कर २१ हजार हो गई।

अब जो कच्चे माल का दुरुपयोग होता है यह ठीक हो सकता है, लेकिन जब ५–१० प्रतिशत ही मिलता है तो उत्पादन ४–५ गुना है तो कहीं न कहीं से कच्चा माल आता है। यह कहना कि बहुत बाहर माल चला जाता है, किसी विशेष केस में चला गया हो, हमें उसकी इत्तिला नहीं है, लेकिन माल आने की ज्यादा संभावना है और हमें तो सरोकार इस बात से है कि काम ज्यादा हो, काम बढ़े, रोजगार ज्यादा लोगों को मिले न कि छानबीन से कि माल कहां से आता है।

हमारा सूबा बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन कुछ उद्योगों में उसने उन्नति भी की है। कम्पनी ऐक्ट में हमारा प्रदेश पंजाब और बिहार के मुकाबले में पहली पोजीशन रखता है, हमारे यहां १,०६८ इकाइयां पंजीकृत हुई हैं और जहां तक छोटे यूनिट्स का सवाल है उसमें ९,००० पंजीकृत हुई हैं, जबकि पंजाब में केवल १४ हजार हुई, लेकिन फिगर सन् ६२ के हैं, मालूम नहीं अब कितनी बढ़ गई हों। अन्त में, मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया था कि समय कम होने के कारण मैं सब का उत्तर नहीं दे सका हूं, लेकिन माननीय सदस्यों के सुझावों पर सरकार आदर के साथ गौर करेगी और सीमित साधनों में जो सुझाव माने जा सकते हैं वह माने जायेंगे। इन शब्दों के साथ आशा है कि सदन इन अनुदानों को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १०,८९,११,००० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करन का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८ औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,६१,८९,७०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु, अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

श्रीमान जी, कई दिनों से अलग-अलग अनुदानों पर विचार करके माननीय सदस्यों ने विभिन्न सेवाओं और प्रयोजनाओं के संबंध में राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के लिये जो धनराशि स्वीकृत की है और विभिन्न सेवाओं और प्रयोजनाओं के अन्तर्गत जो धनराशियां सहित जब कि परभारित है उनका जो सब मिलाकर ६ अरब १७ हजार और २ हजार ४ सौ रुपया होती है संहत निधि से निकाल कर विनियोग करने की आज्ञा और अधिकार इस सदन से मांगे जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न सेवाओं और प्रयोजनों पर अपनी स्वीकृति दी है उसमें यह निहित था कि उनका इस बात का आदेश होगा कि इन सेवाओं के लिये उन राशियों और प्रयोजनाओं के लिये उतनी धनराशियां खर्च कर सकते हैं। इस विधेयक द्वारा उनका स्पष्ट आदेश मांगा जा रहा है कि संहत निधि से वर्ष १९६५–६६ के लिये उतनी धनराशि को उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये हम खर्च कर सकें। स्वीकृति देते समय जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, बराबर साल भर उन सुझावों को हम अपने सामने रखेंगे। उनकी रोशनी में हम काम करेंगे और हम यह भी प्रयत्न करेंगे कि जो धनराशियां स्वीकृत की हैं उनका पूरा-पूरा ठीक उपयोग हो सके और उनमें किसी भी धनराशि का अपव्यय न हो सके। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों के प्रकाश में वह इस विधेयक पर विचार करें और फिर अपनी स्वीकृति दें।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जैसा वित्त मंत्री महोदय ने कहा, बजट पर हम लोगों ने प्रत्येक अनुदान पर विचार किया, परन्तु मैं इस समय भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह घाटे का बजट है और सरकार की ओर से नवीन कर लगाने का संकेत इसमें हुआ है।

(इस समय ४ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

जो भी धनराशि इस माननीय सदन ने स्वीकार की है उसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार किसी न किसी तरह से उस धन का खर्च अवश्य ही कर दें। आज प्रांत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये और खाद्य संकट के कारण जो लोगों का जीवन दूभर हो रहा है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि सरकार के लिये उचित नहीं होगा कि सरकार नये कर लगाये। जैसा कि कई बार इस सदन में कहा जा चुका है, जब तक सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तथा केन सेस के रूप में एक बड़ी धनराशि जो बकाया है उसे सरकार वसूल नहीं कर लेती तब तक सरकार के लिये नये कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ अधिक से अधिक बचत तथा मितव्ययिता सरकार को करना चाहिये, उससे भी बहुत कुछ धन बच सकता है। बजट के दौरान मैंने यह भी निवेदन किया है कि जिस प्रकार की योजना सरकार द्वारा चल रही है उससे समस्यायें गंभीर होंगी, मूल्यों में वृद्धि होगी और कठिनाइयां पैदा होंगी। योजना के हम पक्ष में हैं, लेकिन साधनों को देखते हुए हमको योजना में परिवर्तन करना होगा। किन्तु सरकार हठधर्मी से आगे बढ़ रही है इसलिये, योजना बदलो, आन्दोलन हम प्रांत भर में करेंगे और सरकार को जनमत के आधार पर सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेंगे।

इस बात का भी संकेत है कि सरकार किसानों पर कर लगाने की बात सोच रही है। मैं उससे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह खेतिहर प्रदेश है। काश्तकारों की शक्ति ऐसी नहीं है कि वे कृषि की उन्नति करते हुये एक पैसा भी कर में दे सकें। इसलिये मैं सरकार को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तिम चेतावनी देते हुए यह कहूंगा कि किसानों पर कोई कर लगेगा तो वह इस प्रदेश के लिये अच्छा नहीं होगा और सरकार अगर हठधर्मी करती है तो पूर्ण रूप से उसका विरोधी दल विरोध करेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़ा रंगीन यह उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त बजट, १९६५–६६ सदन में पेश किया गया। अच्छा होता यह सबेरे मिल जाता तो बहुत से आंकड़े हम देख सकते थे। जितनी आडिट रिपोर्ट्स सदन में पेश हुई हैं मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें २५ फीसदी से ८५ फीसदी तक जो सदन ने अनुदानें स्वीकृत की उनको सरकार खर्च नहीं कर पायी। अतः जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा नये कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना रुपया सदन से स्वीकत कराया जाता है सरकार यों उसे खर्च कर ले तो भी कोई जरूरत नहीं है कि नये टैक्स लगाये जायं, और अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों से लिये जायं जो देने लायक हैं। गरीब किसानों पर अनएकोनामिक होल्डिंग्स रखने वाले किसानों पर नये टैक्स नहीं लगाने चाहिए। आडिट रिपोर्ट १९६४ के पेज २७ पर जो अनुदान बजट में स्वीकृत हुआ उस पर फिर सप्लीमेंटरी मांगा गया और उस में ८० फीसदी बच गया।

इसी तरह से और ग्रांट्स को देखिये। मैं कहना चाहता हूं कि तीन प्रश्न हमारे सामने हैं। एक तो वह कि सदन में खर्चा स्वीकृत होता है उसको सरकारी कर्मचारियों को खर्च करना चाहिये। इसके अलावा खर्च करने में जो रूल्स एंड रेगुलेशन्स बाधक हैं उनको बदलना चाहिये, क्योंकि वे प्रदेश की प्रगति में सहायक नहीं हैं। तीसरे यह कि जो खर्च न कर पाये उसकी आप रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिये। दूसरे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बहस के समय मने कहा था कि जब सदन की स्वीकृति के लिये आप कोई ग्रांट भेजते हैं तो वित्त विभाग को उसमें काट छांट करने का अधिकार है। एक बार जब सदन में आ जावे और सदन धन स्वीकार कर दे फिर वित्त विभाग को रोड़ा नहीं लगाना चाहिये। लेकिन जब सदन से धन स्वीकृत हो जाय तो उसके पश्चात् डिले होने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। जब धन स्वीकृत हो गया तो खर्च करने वाले विभाग को पूरा अधिकार होना चाहिये।

मैंने माननीया मुख्य मंत्री से प्रार्थना की थी कि जो हमारे कांस्ट्रक्शन के काम हैं उस विभाग में सेक्रेटरी की पोस्ट पर आई० ए० एस० के अधिकारी न रखे जांय और इंजीनियर्स को रखा जाय। इंजीनियर्स की जो कांफ्रेंस लखनऊ में हुई थी उसमें भी यही तय हुआ था। इससे कांस्ट्रक्शन के काम जल्दी हो सकेंगे। यह बड़े दुख की बात है कि हम कैपिटल आउटले के रुपये को भी खर्च नहीं कर पाते। पर करोड़ों रुपये का हम ब्याज देते हैं इस पर मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम इसको देखेंगे, उतना ही रुपया लेंगे जितनी आवश्यकता होगी।

श्रीमन्, एक चीज नई इस साल बजट में शुरू की गई है कि इस साल से फारनेविमल स्टेटमेंट भी दिया है इसके लिये ये बधाई देता हूं कि ट्यूबवेल्स को इस साल दो हिस्सों में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, में बांट दिया है। अब तक एक साथ ही रखा साता था। लेकिन इस साल यह अच्छी तरकीब सोची गई है कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। अनप्रोडक्टिव में ४४ करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। इसमें हमारा लास ४ करोड़ रुपये का चल रहा है। एक करोड़ ६२ लाख रुपये के करीब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। ट्यूबवेल्स में जो हमने कर्जा लिया है उसमें हमारे अस्टेट्स की क्या हालत है? हमने जो ट्यूबवेल्स बनाये हैं उसके दो हिस्से किये हैं। अनप्रोडक्टिव में ४४ करोड़ खर्चा किया और ४ करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं माननीया मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जितना रुपया ट्यूबवेल्स पर खर्च किया गया है इसको दो हिस्सों में क्यों बांटा गया? इस तरह से हम देखते हैं कि बड़ा लास चल रहा है।

[श्री नेकराम शर्मा]]

दूसरा एचीवमेंट हमारी कैनाल्स हैं । इसके भी दो हिस्से कर दिये गये हैं । एक प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव । अनप्रोडक्टिव में हमारा एक अरब २६ करोड़ १५ लाख के करीब खर्च हुआ है । इसमें भी ३ करोड़ के करीब लास हो रहा है । कैनाल्स और टयबवेल्स दोनों लास में जा रहे हैं ।

तीसरी हमारी बस सर्विस है । उसमें करोड़ों रुपयों का इनवेस्टमेंट है । उसमें तीन करोड़ का प्राफिट होता था । लेकिन अब वह घटकर एक करोड़ रुपये पर आ गया है । जितना हमने खर्च किया है उतना ही हमारा लास होता चला गया है । इसके बाद इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री हैं, इस पर जितना खर्च किया जा रहा है उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है । हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बड़ी गम्भीर है । जितना रुपया हम इनवेस्ट कर रहे हैं उसका उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय कि इतना खर्च करने के बाद भी हमें रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है । आइंदा क्या योजना है । आपने पहले कहा कि ट्यूबवेल्स नहीं बनायेंगे लेकिन बाद में वे फिर आ गये ।

श्रीमन्, एक प्लास्टिक सर्जरी का विभाग है उसमें एक प्रोफेसर ट्रेंड होकर आये हैं इंगलैन्ड से ३ साल ट्रेनिंग लेकर, अफसोस है कि उनकी योग्यता से लाभ नहीं उठाया जाता है । उन्होंने योजना दी रुपया भी बजट में मिल गया, लेकिन सचिव ने आगे कार्य नहीं चलने दिया । मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इस मामले को स्वयं देखें । तो प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन से एक स्वास्थ्य विभाग के सचिव नाराज हो गये । बजट में रुपया भी प्रोवाइड था लेकिन रुपया रिलीज नहीं किया गया । प्लास्टिक सर्जरी के लिये मुख्य मंत्री ने एक विद्यार्थी को इलाज के लिये इटली भी भेजा है । अपने यहां पर जब व्यवस्था है, फिर भी इतने दिन की ट्रेनिंग पाये ट्रेन्ड लोगों को बाहर दूसरे प्रदेशों में भेज दिया जाता है और हम उनका इस देश में लाभ उठा नहीं पाते हैं जब कि हम उनको ट्रेन्ड करने में काफी समय लगाते हैं और उन पर काफी पैसा भी हमारी सरकार का खर्च होता है । हमारे यहां ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन हैं सैकड़ों को ठीक किया है, फिर उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता ? क्यों बजट का रुपया रिलीज नहीं किया जाता ?

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, कम से कम ३ मिनट और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, २ मिनट और ले लीजिये, अभी बहुत लोग बोलने को हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

इसी तरह से जो अफसर ट्रेंड हो कर आ जायं, आपके एम०एड० ओ० आर्गनाइजेशन में आ जायं, उनको बाहर भेजा जाये तो जिस ट्रेनिंग के लिये आप उन्हें स्पेलाइज्ड करने के लिये भेजते हैं इससे आप लाभ नहीं उठा पाते हैं । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में प्रशासन पर खर्च और प्रदेशों की अपेक्षा कम हो रहा है । लेकिन पापुलेशन की दृष्टि से यदि देखा जाये तो यह ठीक है । क्योंकि हमारे यहां की जन संख्या साढ़े सात करोड़ के है, किन्तु यदि आप उसे रुपये के हिसाब से देखें बजट मे ली गई धनराशि के दृष्टिकोण से आप देखे तो आप पायेंगे कि वहां पर प्रशासन पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, दूसरे मदों पर खर्च के अनुपात में । किन्तु यहां पर शासन पर किया जाने वाला व्यय जब पापुलेशन के ऊपर फैला दिया जाता है तो वह अवश्य कम हो जाता है । किन्तु वास्तव में हमें प्रशासन पर किये जाने वाले व्यय को अपने प्रदेश के बजट के कुल प्राविधान के अनुसार ही देखना चाहिये । कांसेप्ट्स आफ बजट बाई गवर्नमेंट आफ इंडिया के अनुसार देखा जाये तो हमारा प्रशासन पर खर्च अवश्य ही अधिक है । तो २–३ शब्द में आपसे और कहना चाहता हूं । ३ बातें होनी चाहिये,

एक तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट को जब धन मंजूर हो जाये, उसके बाद उसमें हस्ताक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये, दूसरी बात जो लोग वर्कचार्ज में हैं उनको पावर दें कि वह सफलतापूर्वक आपका कार्य कर सकें। तीसरा यह है कि योजना पर जो आप रुपया खर्च करते हैं, जो आप एसेट्स क्रियेट करते हैं, उसमें देखें कि उनसे उचित रिटर्न्स भी मिलते रहें और यदि प्रापर रिन्टर्स उससे नहीं मिल रहा है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिये।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस बजट के दौरान में सभी प्रान्तों में बजट पेश हो गये हैं और एक प्रान्त को छोड़ कर, मध्य प्रदेश को, अन्य किसी प्रान्त में नये टैक्स लगाने की योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ७० लाख रुपये के टैक्स की एक छोटी-सी योजना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने यह इशारा किया था कि शायद यहां पर कुछ टैक्स लगाना पड़ेगा और लोगों का यह खयाल है, सब का इशारा किसानों पर टैक्स लगने का है। केन्द्रीय सरकार ने तो एक कदम और आगे उठाया है कि उन्होंने टैक्स में रिलीफ दिया है सब लोगों को। ऐसी स्थिति में यदि हमारी सरकार का इरादा है और टैक्स लगाने का तो वह उसे छोड़ दे।

जो रुपया बजट से मंजूर है, उसके प्रापर यूटीलाइजेशन के सम्बन्ध में मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। बजट में एक अजीब बात यह है कि एक से ज्यादा सप्लीमेंटरी बजट पेश होते हैं और इस हाउस का उसमें कितना समय लगता है और डिपार्टमेंट का कितना समय उसमें लगता है, इस पर विचार होना चाहिये। होना यह चाहिये कि सप्लीमेंटरी बजट बहुत रेयरली पेश किया जाये, कोई इमर्जेंसी आ जाये तो उसकी गुंजायश है, वरना बजट में ही सब चीजें आ जानी चाहिये। यदि यह कायदा हो जाये तो यह भी कायदा हो जाये कि जितनी डिमान्ड्स है वह प्रापर टाइम पर आयें, प्रापर टाइम पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आयें। उन्हें उन पर विचार करने के लिये प्रापर टाइम भी अवश्य मिल जाना चाहिये। यदि ऐसा हो जाये तो श्री नेकराम जी ने जो शिकायत पेश की है उन्हें इसका मौका न मिले। फाइनेन्स डिपार्टमेंट उतना समय नहीं दे पाता जितना उसको देना चाहिये और होता यह है कि इस समय पास हो जाये क्योंकि समय गुजर रहा है और बाद में देखा जायगा। जिसका परिणाम यह होता है कि पूरी तरह से हर पहलू पर विचार न किये जाने के कारण अनेकानेक कारणों से कार्य नहीं हो पाता है और रुपया बच जाता है, जिसके लिये अनावश्यक टैक्स जनता पर लगाने पड़ते हैं। इसके साथ यह होना चाहिये कि जब ग्राण्ट्स हम पास कर दें तो फिर फाइनेन्स डिपार्टमेंट को उसमें कोई चेन्ज लाने की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। फाईनेन्स डिपार्टमेंट को यह अधिकार होना चाहिये कि वह कहे कि इस महीने तक जो मांग आ जायगी वह तो वर्तमान बजट में ली जा सकेगी और इसके बाद में आने पर अगले बजट में जायगी, और इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिये।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो हमें ४ मिनट का समय और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

बहुत लाचारी है, समय कम है और अभी कई सदस्य बोलने को हैं।

श्री फूलसिंह—

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बजट सेशन में गवर्नर का एड्रेस नहीं होना चाहिये, यह अलग होना चाहिये, क्योंकि दोनों के दरम्यान एक साथ में सरकार की नीतियों की आलोचना होती है। गवर्नर का एड्रेस अलग किसी सेशन में होना चाहिये ताकि बजट पर वाद-विवाद के लिये सदन को काफी समय मिल सके और उसका ७–८ दिन का समय बच जाये। यह जितना काम होता है, इस बजट में आप तलाश करें तो आपको दुरबीन से तलाश करना पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

हमने देखा हम सोशलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं हम ५ चीजें प्रोवाइड करेंगे। पानी है, मकान है, खाना है यह सब चीजें हैं। अब इस बजट को देखिये तो यह नहीं जाना जा सकता है कि कितना रुपया पानी के लिये रखा गया है और कितना उद्देश्य उसमें से हमने पूरा कर लिया जो पानी के लिये हमने बनाया था। इसलिये बजट की रिमाडेल करना चाहिये ताकि मोटी मोटी बातें समझ में आ सकें।

एक बात मुझे और निवेदन करना है। बजट में जितना काम हुआ उसकी जांच कैसे हो? गवर्नमेंट कहती है कि सब काम ठीक हुआ। अपोजीशन कहता है कि कुछ नहीं हुआ। तो प्रश्न उठता है कि एक नीम सरकारी संस्था जैसी केन्द्र में है जिसे पी० ई० ओ०, पीरिआडिकल इवैलुयेशन आर्गनाइजेशन है, उस प्रकार की हो जो सब कामों का इवैलुएशन करे कि क्यों काम नहीं हुआ, जो नहीं हुआ। हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो मिड टर्म सर्वे हुआ है उसका सिर पैर नहीं है। तो एक ऐसा तरीका जरूर होना चाहिये जिससे चीजें लोगों के सामने आ सकें और लोगों को ज्ञान हो सके कि क्या त्रुटि है और वे अपनी राय दे सकें।

हमारे यहां एक तरीका हो गया है कि किसी न किसी पर इलजाम दिये बिना कोई बात हमारे यहां चलती नहीं है। पालिटिशियन आयेगा तो वह सर्विसेज पर दोष देगा, सर्विसेज के लोग पालिटिशियन की खराबी बतायेंगे, गवर्नमेन्ट कहेगी कि तमाम खराबी अपोजीशन कर रहा है और अपोजीशन वाले कहेंगे कि गवर्नमेंट सारी खराबी की जड़ है। इसलिये यहां पर कोई एक संस्था होनी चाहिये जैसे इंग्लैंड में उन्होंने आम्बर्ड्समैन बनाये हैं। उस तरीके की कोई चीज यहां पर होनी चाहिये जिससे सही सही बात लोगों के सामने आ सके और त्रुटियां दूर हो कर प्रदेश की तरक्की हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, विनियोग विधेयक के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पिछले १ महीने से हम लोग बजट के विभिन्न मदों पर विचार करते आये हैं। हम उसकी आखिरी मंजिल पर पहुंच गये हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मंत्री जी ने जितनी रंगीन यह पुस्तिका हमको दी है उतनी ही फीकी तस्वीर हमारे प्रदेश की है। अब इसके विपरीत आप यह देखिये कि हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और हमारे सूबे की जो तस्वीर है आर्थिक प्रगति की वह बहुत ही निराशाजनक है। मैं समझता हूं कि हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, इस सदन के अन्दर पिछली बार, वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जो सबसे बड़ा बाधक हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके कायदे, कानून, नियम, उपनियम इतने पुराने पड़ गये हैं कि जो प्लानिंग के पहले के हैं, देश की आजादी और डिमोक्रेटिक ढांचे के आने के बहुत पहले के बने हैं और उसमें परिवर्तन किये जायेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नहीं हुआ और उसके कारण प्रदेश की उन्नति में बहुत बाधा पड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया। समय नहीं है, मजबूरी है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐश्योरेंस दिया था श्रीमन्, कि सौ फीसदी धन का यूटिलाइजेशन विकास के कामों में होगा। मैं सरकार के सामने इस सूबे की दूसरी तस्वीर लाना चाहता हूं। इस सूबे में ८४ फीसदी काश्तकार हैं और यहां के काश्तकार की एक एकड़ पीछे २०० रुपये की इन्कम नहीं है जब कि दूसरे देशों में ४,००० पये एकड़ तक इन्कम आती है। उस सूरत में साढ़े ७ करोड़ रुपये का टैक्स आप इस प्रदेश की गरीब जनता से वसूल करने की कोशिश न करें क्योंकि अभी नेकराम जी ने बताया कि २४ करोड़ रुपये की रकम ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाये और जिन मदों में उसे लगना चाहिये था और जितना उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिये था वह नहीं हुआ। ट्यूबवेल्स नहीं बने, अगर बिजली का फैलाव न हो, हास्पिटल न हों, जब इतनी जरूरी चीजों पर रुपया खर्च नहीं हुआ

और उसका इस्तेमाल न हो तो अफसोस होता ही है। एक खुशनसीबी यह है कि यू० पी० जैसी बड़ी आबादी के और देश भी होंगे, लेकिन उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि उनका सारा पैसा इतने उम्दा तरीके से यूटिलाइज होता है कि सरकार की तरफ से उस पूरी आबादी को सहूलियतें मिलती जाती हैं और एक एक पैसे का यूटिलाइजेशन होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर इस २५० करोड़ के बजट का एक एक पैसा, जिसके लिये आपने आश्वासन दिया है कि एक एक पैसा जनता के हित में खर्च होगा और इस्तेमाल होगा, जनता के हित में व्यय हो तो यह प्रदेश के लाभ की बात होगी। मुझे आशा है कि जो यह आश्वासन आपने दिया है इसको आप पूर्ण रूप से पालन करेंगे। सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च के अन्दर ज्यादातर रुपया खर्च होने के लिये आता है। अगर आप ऐसी परम्परा डाल दें कि अप्रैल, मई और जून में ही जिस जिस विभाग का पैसा हो उसको दे दिया जाय और वह जल्दी से साल के महीनों में खर्च कर दें तो यह प्रदेश के लिये बहुत लाभ की बात होगी।

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार की यह कभी इच्छा नहीं हो सकती है कि वह जनता के ऊपर बिना जरूरत के कभी कोई टैक्स लगाये। जब ऐसी मजबूरी आ जाती है कि काम चल नहीं सकता तभी वह इस नाखुशगवार काम को करती है। माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना को चालू करने के पूर्व जितने रुपये का वादा था कि टैक्स के जरिये से हम इकट्ठा करेंगे उतना रुपया हम इकट्ठा नहीं कर पाये तब भी अपने प्लान में बगैर कोई कमी किये हुये अपने साधनों से रुपया बचाकर कामचलाते रहे और चलाया है। इसी साल के बजट में हम प्लान के ऊपर राजस्व व्यय में ५४ करोड़ ४८ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से हमको २४ करोड़ रुपया ही मिलने की आशा है। ३० करोड़ ४८ लाख रुपया हम अपने पास से व्यवस्था करके खर्च करेंगे। उसके ऊपर अगर इतना खर्च करने की जरूरत न पड़ती तो जहां १४ करोड़ ९१ लाख का घाटा हुआ है वहां पर १५ करोड़ ५७ लाख सरप्लस होता। इसलिये यह सोचना कि कभी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि बिला जरूरत के कोई टैक्स लगाये, सही नहीं? इस तरह की कोई बात नहीं है। नहर, ट्यूबवेल की बात कही गई। श्रीमन्, वैलफेयर स्टेट को बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनसे आमदनी नहीं होती है, लेकिन जनता की भलाई के लिये वह काम करने पड़ते हैं क्योंकि उनसे जनता की भलाई, प्रदेश के विकास का सम्बन्ध रहता है। ये काम इसी कारण करने पड़ते हैं कि जनता की भलाई के ये काम होते हैं। इनमें लाभ की दृष्टि नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा अनुसूची

२—ऐसे विविध व्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ६,००,१७,०२,४०० रु० (छः अरब, सत्तरह लाख, दो हजार, चार सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६५–६६ के लिये ६,००,-१७,०२,४०० रु० का दिया जाना।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

अनुसूची

१	२		३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
			रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर	..	३,८७,०००	३,०००	३,९०,०००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	..	९,७७,५३,३००	१४,२००	९,७७,६७,५००
३	राज्य आबकारी	..	३८,९१,५००	२,०००	३८,९३,५००
४	बिक्री-कर	..	७३,६५,९००	५,०००	७३,७०,९००
५	अन्य कर और शुल्क	..	३२,४६,१००	१,०००	३२,४७,१००
६	स्टाम्प	..	११,३४,७००	१,०००	११,३५,७००
७	निबन्धन	..	२४,४९,३००	२००	२४,४९,५००
८	राज्य विधान-मण्डल	..	६१,९६,३००	७१,१००	६२,६७,४००
९	सामान्य प्रशासन	..	२,४४,१४,४००	१७,०७,३००	२,६१,२१,७००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन		११,४०,९९,६००	५,०००	११,४१,०४,६००
११	गांव सभायें और पंचायतें	..	१,६४,४०,८००	२,०००	१,६४,४२,८००
१२	न्याय प्रशासन	..	२,०२,९९,९००	४१,१०,१००	२,४४,१०,०००
१३	कारागार (जेल)	..	२,२२,४२,४००	२,०००	२,२२,४४,४००
१४	पुलिस	..	१६,४६,२९,७००	१०,०००	१६,४६,३९,७००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	..	१,०४,५३,४००	६०,०००	१,०५,१३,४००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	..	२४,०५,६००	३००	२४,०५,९००
१७	शिक्षा	..	४३,४६,०३,९००	२,०००	४३,४६,०५,९००
१८	चिकित्सा	..	९,३०,३४,४००	३,०००	९,३०,३७,४००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	९,५१,७१,३००	७००	९,५१,७२,०००
२०	कृषि संबंधी विकास	..	८,७२,४५,२००	४,०००	८,७२,४९,२००
२१	उपनिवेशन	..	३,६८,४००	१००	३,६८,५००
२२	पशुपालन तथा मत्स्य-पालन	..	४,५६,९५,८००	२,०००	४,५६,९७,८००
२३	सहकारिता	..	२,९६,७२,२००	२,०००	२,९६,७४,२००
२४	उद्योग	..	१०,८९,११,०००	२,५००	१०,८९,१३,५००
२५	नियोजन और समन्वय	..	१६,४६,८५,७००	५,०००	१६,४६,९०,७००
२६	श्रम और सेवायोजना	..	२,८४,२४,८००	३,०००	२,८४,२७,८००
२७	सूचना निदेशालय	..	६२,७४,३००	५००	६२,७४,८००

१	२	३		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	३,५६,१०,६००	१,०००	३,५६,११,६००
२९	समाज-कल्याण ..	५७,१६,८००	५००	५७,१७,३००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	१७,९८,७९,२००	२,०००	१७,९८,८१,२००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	९,०९,५३,१००	४,०००	९,०९,५७,१००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं ..	१४,४२,२०,५००	३,७०,७००	१४,४५,९१,२००
३६	संचार-साधनों का सुधार ..	७८,५३,६००	..	७८,५३,६००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	२,०२,२७,७००	१००	२,०२,२७,८००
३८	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	१,७९,९९,७००	..	१,७९,९९,७००
३९	परिवहन ..	२६,९०,७५,३००	६५,०००	२६,९१,४०,३००
४०	दुर्भिक्ष सहायता ..	४६,४८,२००	५०,०१,०००	९६,४९,२००
४१	अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें ..	४,०२,१८,४००	३,९२,७००	४,०६,११,१००
४२	राजनीतिक पेन्शनें तथा भत्ते	२५,४५,०००	..	२५,४५,०००
४३	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	१,८८,६१,८००	..	१,८८,६१,८००
४४	वन ..	५,६७,५२,०००	२,०००	५,६७,५४,०००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	४,९२,१०,२००	८,०००	४,९२,१८,२००
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय ..	३,४९,८४,५००	..	३,४९,८४,५००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	२१,५७,५६,६००	२१,५७,५६,६००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	६१,०४,२२,०००	६१,०४,२२,०००

*भारित विनियोग ।

१	२	३		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय ..	१७,०७,७७,५००	२,०००	१७,०७,७९,५००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	४,६१,८९,७००	५,०००	४,६१,९४,७००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३१,८६,९७,१००	५००	३१,८६,९७,६००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२१,८०,६७,३००	३,१५,०००	२१,८३,८२,३००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	७,५५,९०,९००	१,३०,०००	७,५७,२०,९००
५३	पेन्शनों का राशिमूल्य ..	८,२२,०००	३०,०००	८,५२,०००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें ..	७०,३६,४८,४००	१००	७०,३६,४८,५००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	१,०५,९१,२८,८००	..	१,०५,९१,२८,८००
	योग ..	५,१६,३१,७५,२००	८३,८५,२७,२००	६,००,१७,०२,४००

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदश विनियोग विधेयक, १९६५

३१ मार्च, १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए ;

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संहत निधि में से ३१ मार्च, १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का विरोध करना चाहता हूं । विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि १७ साल की हुकूमत में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनता को किसी प्रकार की सुख-सुविधा पहुंचाने में असमर्थ रही । बराबर सरकार की योजनायें चलती रहीं और अन्न का अभाव होता रहा । १७ साल की हुकूमत में यह सरकार जनता को एक भाषा भी नहीं दे पायी और आज तक वह अंग्रेजी भाषा को ही अपनाती रही और उसी में उसका सारा कार्य चलता रहा है ।

तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सुव्यवस्था नहीं रह गयी है । प्रदेश में चोरों और डकैतों के अड्डे बन गये हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा जो नैनीताल से लगी हुई है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव ,विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२९ मार्च, १९६५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

"मैं स्पष्टतया इस मत का हूं कि जिस बिल बुक को बिक्री-कर अधिकारी के आधार माना है वह पूर्णतया गलत और मिथ्यापूर्ण ढंग से तैयार की गई है और उन्होंने कर निर्धारण कार्यवाही पक्षपात पूर्ण दृष्टि और दुर्भावना से पूरी की है। बिक्री-कर अधिकारी ने अपने सरकारी पद का गलत उपयोग किया और उन्होंने अत्यन्त गैर जिम्मेदाराना और निरंकुश ढंग से कार्य किया है जिससे न केवल उनकी वरन् विभाग की और अन्ततः सरकार की भी बदनामी हुई है। मुझे यह तो विदित नहीं है कि सरकार एवं विभाग द्वारा बिक्री-कर अधिकारी श्री मेहरोत्रा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे की प्राधिकारीगण उपेक्षा करें। इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और बिक्री-कर अधिकारी को दंड दिया जाना चाहिए।"

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे २३ पृष्ठ पर)

'क'

यह योजना पश्चिमी बंगाल से मछली की मांग जो करीब १ लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है, को पूरा करने तथा राज्य मत्स्य उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिये २,८१,३०० रु० की लागत से विशिष्ट कार्य क्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। उपर्युक्त परिव्यय में योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण आदि के लिये ३,९४,४०० रुपये की अपेक्षित धनराशि सम्मिलित नहीं है और जो कि अपेक्षित नक्शे और अनुमान तैयार हो जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उन के लिये बाद में निधियों की व्यवस्था की जायगी। इन जलाशयों में ३० लाख मत्स्य अंगुलिकायें संग्रह की जायंगी। इन जलाशयों से तृतीय आयोजना काल में ८,५०० किलोग्राम तथा १९६७–६८ से प्रतिवर्ष १.६० लाख किलोग्राम मत्स्य उत्पादन होने का अनुमान है। नियमित रूप से संग्रह तथा सुचारु प्रबन्ध द्वारा उत्पादन का लक्ष्य और बढ़ा कर प्रतिवर्ष ४.८० लाख किलोग्राम तक किया जायगा। यह केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है जिसका पूरा व्यय भारत सरकार राज्य सरकार को ५० प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण देकर वहन करेगी।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

नत्थी "क"

प्रथम भाग

विकास क्षेत्र महरौनी के ग्रामों की सूची

१—बहादुरपुर
२—छरौनी
३—सिमारिया
४—रखबारा
५—घावा
६—तलऊ
७—देवरान खुर्द
८—देवरान कलां
९—रामसेरा
१०—सतवन्सा
११—सैदपुर
१२—करौंदा
१३—नैनवारा
१४—दरौना
१५—छैन
१६—कुमरेही
१७—अजान
१८—भिडरवाहू
१९—खिरिया लटकंजू
२०—पचौनरा
२१—कुआन घोसी
२२—महरौनी
२३—परवान
२४—घुवारी
२५—किसारदा
२६—छपरत
२७—निवारी

द्वितीय भाग

विकास क्षेत्र मंडवरा के ग्रामों की सूची

१—मंडावरा
२—रंगवान
३—मझगवां
४—प्यासा
५—चमोह
६—घोरवारा
७—उलदौना
८—मिसरा
९—लरगन
१०—मुदिया
११—सरहूमेर
१२—गदहौली खुर्द
१३—गौरा
१४—तिसगवां
१५—मानिकपुर
१६—बुधनी
१७—गरहौली कलां
१८—बकसपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

माताटीला से बबीना तक ग्रामों की सूची

१—घिसौली
२—बघौरा
३—बटौरा
४—पुरा
५—बरैरा
६—नवा खेरा
७—शेरवर
८—कोटी

बबीना से झांसी तक ग्रामों की सूची

१—रसोई
२—मानपुर
३—गनेशपुर
४—शिमरावारी
५—खेलार
६—शइपर
७—अटारी
८—बिजौली
९—राजगढ़
१०—हंसारी
११—सिमराहा
१२—कुम्हारटोला
१३—श्रीनगर

बुन्देलखण्ड संग्रहालय सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ व ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९–३० पर)

मास का नाम १९६४	कोटा जो मिला मैट्रिक टन	मास का नाम १९६४	कोटा जो मिला मैट्रिक टन
जनवरी ..	.. २७६	जुलाई ..	.. २४५
फरवरी ..	.. ३१८.५	अगस्त ..	.. २४५
मार्च ..	.. २५६	सितम्बर ..	.. २६३
अप्रैल ..	.. २४३	अक्तूबर ..	.. २६२
मई ..	.. २६५	नवम्बर ..	.. २४५
जून ..	.. २४५	दिसम्बर ..	.. २८४

क्रमांक	शकर थोक विक्रेता का नाम	सन् १९६४ का एलाटमेंट क्विन्टल
१—	सर्वश्री जगन्नाथ रामचन्द्र	२४५६
२—,,	डी० एस० एस० ए० बोर्ड सहकारी समिति ..	२५९५
३—,,	शान्ती स्टोर्स	११४०
४—,,	मोहनलाल जैन	१०९५
५—,,	सूरज बली मुन्नूलाल	१०९५
६—,,	जगदीश राय अग्रवाल	८६०
७—,,	बसंल ट्रेडिंग कम्पनी	८५५
८—,,	नानक सरन टन्डन	९१०
९—,,	केशवराम गुप्ता	८६०
१०—,,	अग्रवाल एन्ड ब्रदर्स	३६५
११—,,	माता प्रसाद गुप्ता	८६०
१२—,,	फतेहचन्द जगदीशराय	१०२०
१३—,,	रामलाल गुरमुखराय	९९०
१४—,,	मोहनलाल लक्ष्मीकान्त	१०४५
१५—,,	मंसादीन जयदयाल	९९५
१६—,,	रामकिशन दास एन्ड सन्स	९९५
१७—,,	नन्दलाल जैन	९९५
१८—,,	श्रीकृष्णा	८४०
१९—,,	झुनझुन वाला एन्ड ब्रदर्स	९९५
२०—,,	रामलाल राम प्रसाद	९९५
२१—,,	इन्द्रदेव आनन्द देव	१०१०
२२—,,	मंगल प्रसाद	७८५
२३—,,	राम औतार	७२०
२४—,,	विश्वनाथ प्रसाद	७२०
२६—,,	माता प्रसाद भूरामल	२३६०
२६—,,	बाबूराम मथुरा प्रसाद	८४०
२७—,,	सर्राफ एन्ड कम्पनी	१०१५
२८—,,	नन्द किशोर रामनरेश	९९५
२९—,,	सत्य नरायन शिवसुन्दर	७८५

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखये पीछे पृष्ठ ४३ पर)

नत्थी "क"

मेरठ मंडल

१—मुजफ्फरनगर

आगरा मंडल

२—अलीगढ़

३—मथुरा

४—आगरा

५—मैनपुरी

इलाहाबाद मंडल

६—फरुखाबाद

७—इटावा

८—कानपुर

९—फतेहपुर

झांसी मंडल

१०—बांदा

११—हमीरपुर

१२—झांसी

१३—जालौन

वाराणसी मंडल

१४—जौनपुर

गोरखपुर मंडल

१५—गोरखपुर

१६—बस्ती

१७—आजमगढ़

१८—देवरिया

कुमायूं मंडल

१९—अल्मोड़ा

लखनऊ मंडल

२०—रायबरेली

२१—सीतापुर

२२—हरदोई

२३—खीरी

फैजाबाद मंडल

२४—फैजाबाद

२५—गोंडा

२६—बहराइच

२७—सुल्तानपुर

२८—प्रतापगढ़

उत्तराखंड मंडल

२९—उत्तरकाशी

३०—पिथौरागढ़

३१—चमोली

३२—टेहरी-गढ़वाल

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओले से हुई क्षति का विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)	फसलों में क्षति की मात्रा	मृत्यु मनुष्य	मृत्यु पशु	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८
१	देहरादून	६१७	४१,८७०	५ से २५ पैसे तक	..	..	..
२	सहारनपुर	६१७	१.१४,१६६	४० से ६२ ,,	..	..	क्षति केवल २२ गांवों में शेष नगण्य।
३	बुलन्दशहर	११०	६,३००	१० से ५० ,,			
४	मेरठ ..	४५४	६६,६५५	६ से १०० ,,	२	१	
					७ घायल		
५	एटा ..	१५	..	१० से ३० ,,			
६	बरेली ..	३५०	७०,०००	५० से ८० ,,	२		
७	बिजनौर	१४०	७५,३३८				क्षति नगण्य है
८	बदायूं	५१९	१३,३०२	४७३ गांवों में ५० पसे से कम क्षति तथा ४६ गांवों में ५० पैसे से ऊपर क्षति हुई।			
९	मुरादाबद	३२६	३५,७०१	२० स ८७ ,,			
१०	शाहजहांपुर	१,०४३	१,८०,२८४	२० से ८७ ,,	६ व्यक्ति आहत	२	
११	पीलीभीत	३६५	१,०२,९५४	५ से ४५ ,, केवल २ गांव में ५० से ८० पैसे			
१२	रामपुर ..	१११	४,२००	२५ से ४० ,,			
१३	वाराणसी	१,५२५	२,००,८४९	१२ से १९ ,,			
१४	गाजीपुर	२५२	..	२२१ गांव में कोई क्षति नहीं हुई। २५ ग्रामों में १९ पैसे का नुकसान हुआ तथा ६ गाँवों में ५० पैसे से ऊपर तक।			
१५	बलिया	२३६	३२,३८४	१० पैसा			

१	२	३	४	५	६	७	८
१६	नैनीताल	२५५	२५,२९५	१० से ४४ पैसे तक			
१७	बाराबंकी	९७	२०,४४७	६ पैसा			
१८	लखनऊ	१६०	१४,६४२	६ से २५ ,,			
१९	उन्नाव	७३	९,२४८	१३ गांवों में ७५ से १०० पैसे तक			
२०	पौड़ी-गढ़वाल	९ पट्टी	..	२५ पैसे तक			

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० ग्र० पी०—ए० पी० २१ एल० ए०—१९६५—८६२ ।